खण्ड-403, अंक-4
शुक्रवार, 25 माघ, शक संवत् 1913
(14 फरवरी, 1992 ई0)

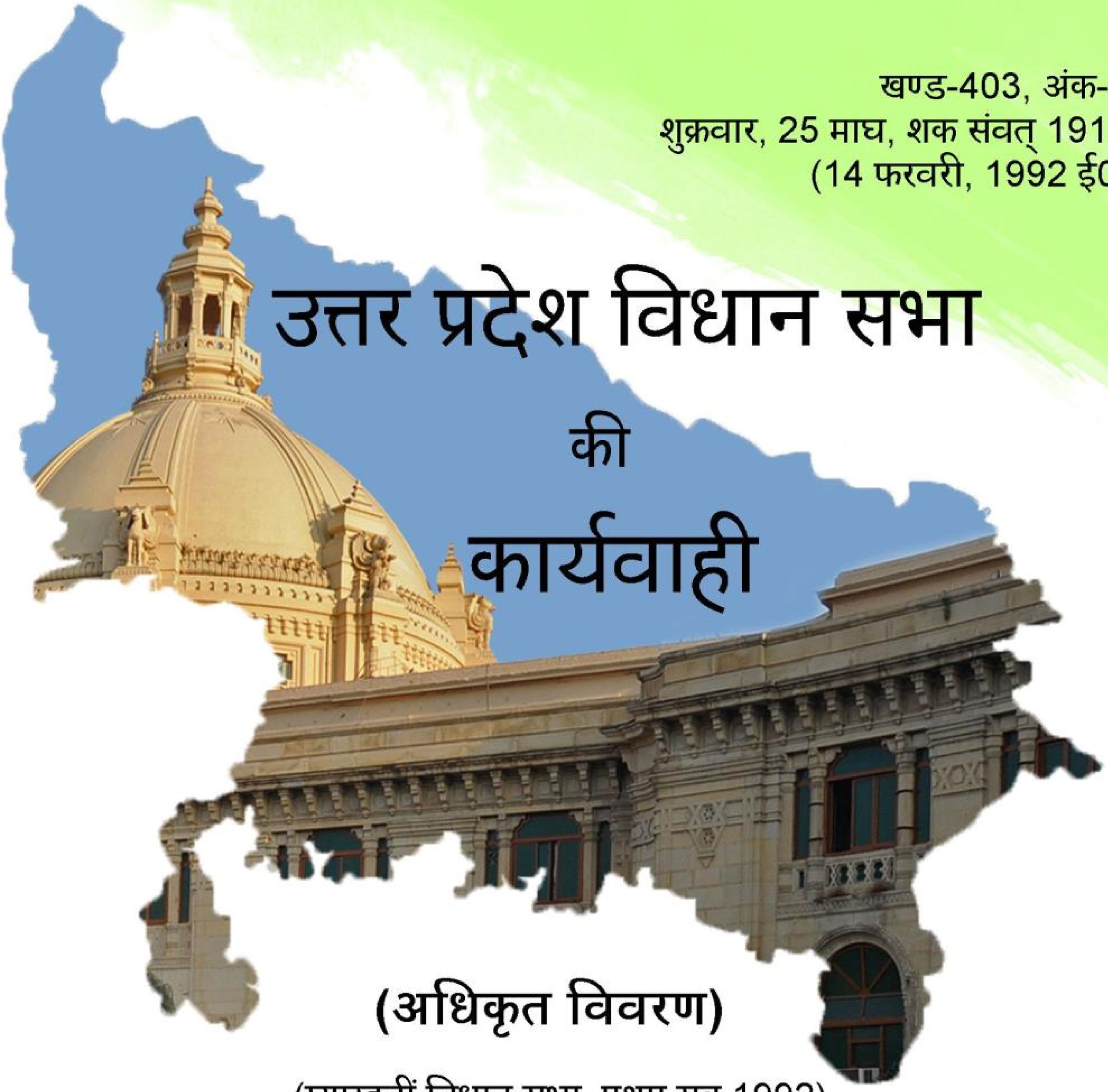

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	क
प्रश्नोत्तर ..	1
सदन को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	128
नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त, सूचनाएं ..	136
उत्तरांचल में सी0टी0 संवर्ग के अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	136
प्रदेश में किरासिन आयल के अभाव तथा बड़े पैमाने पर की जा रही चोर-बाजारी से उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	137
जनपद गाजीपुर में भैंसही नदी के नखतपुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	137
जनपद गाजीपुर के थाना मरदह की पुलिस चौकी मटेहू में छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह की पुलिस द्वारा नृशंस हत्या के दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करने एवं परिजनों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	138
लखनऊ नगर के विभिन्न मार्गो पर बढ़ते अनाधिकृत कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	138
जनपद मिर्जापुर चुनार में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	139
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तहवरपुर के अन्तर्गत सौफीपुर 33 के0बी0 विद्युत उपकेन्द्र की पुरानी मशीनों को बदलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	139

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद हरदोई और फर्रूखाबाद के बीच गंगा नदी एवं मेंहदी घाट पुल के बारे में प्रश्न का अलग-अलग उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 140

श्री भोला शंकर मौर्य, सदस्य, विधान सभा पर हुये प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. 142

औचित्य के प्रश्न की अन्य सूचनाएं .. 163

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं .. 163

गढ़वाल मण्डल के जनपद उत्तरकाशी, चमोली एवं टिहरी में भूकम्प पीड़ितों को समुचित सहायता न मिलने विषयक, नियम 311 के अन्तर्गत सूचना .. 182

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम लखनऊ के वर्ष 1987-88 के स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा (सदन के पटल पर रखा गया) .. 193

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1988 से 10 जनवरी, 1989 तक) सदन के पटल पर रखा गया) .. 194

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1984-85 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 194

विज्ञप्ति संख्या-वि0क0-2-2152/ग्यारह-7 (51)/91-उ0प्र0 अधि0 1548-आदेश-91, दिनांक 26 अक्टूबर, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 194

विज्ञप्ति संख्या-वि0क0-2-2154/ग्यारह-7(51)/91-उ0प्र0अधि0-15-48 आदेश-91, दिनांक 26 अक्टूबर, 1991 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 194

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक) (सदन के पटल पर रखा गया) .. 194

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय अनुपूरक) नियमावली 1990 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 195

कार्य-मंत्रणा समिति के कार्य निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 195

नियम 311 की शेष सूचनाएं लिए जाने की मांग .. 197

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं .. 199

नत्थियां .. 201

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बृजराज त्रिपाठी, श्री	बहराइच
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
अवध पाल सिंह, श्री	एटा	बृजेश कुमार शर्मा, श्री	प्रतापगढ़
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	मदन भईया, श्री	मेरठ
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
कटार सिंह, श्री	मेरठ	मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
किशन लाल, श्री	पीलीभीत	योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	रमाकांत यादव, श्री	आंजमगढ़
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
गोमती प्रसाद, श्री	लखनऊ	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती	लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	श्रीराम चौहान, श्री	बस्ती
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	सत्यदेव पचौरी, श्री	कानपुर (नगर)
पतिराज, श्री	आजमगढ़	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
पृथ्वी सिंह, श्री	हरिद्वार	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी		

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 1992

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विकास योजनाओं हेतु बजट प्राविधान एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

** 1-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्रियों द्वारा विकास के कार्यक्रमों से संबंधित घोषणाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में नई सरकार की क्या नीति है? क्या सरकार अवगत है कि पूर्व मुख्य मंत्रियों की घोषणाओं के पूरा न होने से मुख्य मंत्री की घोषणाओं को जनता में गम्भीर न माने जाने की परम्परा विकसित होने का खतरा है? पूर्व मुख्य मंत्रियों की घोषणाओं हेतु राज्य बजट में धन का प्राविधान करते समय सरकार की प्राथमिकतायें क्या होंगी?

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

विकास योजनाओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति वस्तुतः योजना की उपयोगिता, औचित्य, बजट प्राविधान एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पूर्व मुख्य मंत्रियों द्वारा विकास की योजनाओं से सम्बन्धित घोषणाओं की पूर्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तथा आय-व्ययक में धन का प्राविधान उक्त वर्णित तथ्यों पर आधारित होगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने दो बातें कही है जिस कारण दुबारा प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ रही है। पहली यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि योजना की उपयोगिता और औचित्य, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में विकास कार्यक्रमों में जो इसके पूर्व के मुख्य मंत्री थे, जैसे श्री नारायण दत्त तिवारी जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारा जितने भी कार्य प्रस्तावित थे वह सब वर्तमान सरकार की दृष्टि में क्या औचित्यपूर्ण

एवं उपयोगी नहीं हैं दूसरा यह कि अगर औचित्यपूर्ण और उपयोगी नहीं हैं तो क्या इसकी समीक्षा के लिए सरकार ने कोई समिति का गठन किया है?

श्री कल्याण सिंह -

मान्यवर, जो घोषणाएं की गयी हैं उनकी उपयोगिता एवं औचित्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता और इसी के आधार पर मूल्यांकन करके उन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय में 554 घोषणायें की गयी थीं उनमें 514 पूरी हो गयी हैं और 40 अभी अधूरी हैं। यह जो 40 अधूरी योजनाएं हैं, इनका अध्ययन करके मैंने यह निकाला कि इनमें से 11 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें लगभग 20 करोड़ रुपये का परिव्यय निहित है, एक चौथाई पर 20 करोड़ रुपया होगा और कुल 40 पर अगर जोड़ा जाये तो यह धनराशि और बढ़ जायेगी इसी प्रकार से माननीय मुलायम सिंह जी के मुख्य मंत्रित्वकाल में 397 घोषणाएं की गयीं थीं उनमें से 200 घोषणाएं या तो पूर्ण हैं या निरस्त हुई हैं ....197 घोषणायें ऐसी हैं, जो अपूर्ण हैं। अब इन 197 अपूर्ण घोषणाओं में से मैंने हिसाब निकालकर देखा है, इसमें 62 घोषणायें ऐसी हैं, जिन पर लगभग 40 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमानित है, यह एक तिहाई घोषणाओं के बारे में है। इस प्रकार से सारी घोषणाओं को जोड़ दिया जाय, तो लगभग 200 करोड़ रुपये का परिव्यय आवश्यक है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्व में चुनावों के सन्दर्भ में घोषणायें की जाती रही हैं और तब न इसका औचित्य देखा गया, न उपयोगिता और न कहीं कोई धन की उपलब्धता का ही ध्यान रखा गया, फिर भी हम परीक्षण करा रहे हैं, जहां-जहां उसकी उपयोगिता, औचित्य तथा जितना धन उपलब्ध होगा, उसके हिसाब से इन सारी योजनाओं पर विचार कर लेंगे।

श्री ऊदल -

क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के लिये माननीय नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्रित्वकाल में, उसके बाद माननीय मुलायम सिंह के समय में इस निधि में 30 करोड़ रुपया रखा गया था, क्या उस योजना में बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गयी है, यदि हाँ तो क्या सरकार पूर्वांचल के 12 जिलों के विकास के लिये उस निधि को पुनः उतना ही करने की कृपा करेगी?

श्री कल्याण सिंह -

मान्यवर, पिछले वर्ष की योजना जो पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को

छोड़कर 3710 करोड़ रुपये की निर्धारित की गयी थी। पर्वतीय क्षेत्रों को मिलाकर 3900 करोड़ रुपये का प्लान आउट ले तैयार किया गया था। केन्द्र की सरकार ने इसमें भारी कटौती करके इसको 2800 करोड़ कर दिया था, यह 3900 करोड़ रुपये के आउट ले को मानकर किया गया था, इसमें 787 करोड़ रुपये की एक, 700 करोड़ की एक और बाकी 10 करोड़ की धनराशि की एक कटौती की गयी, जो शेष कुल मिलाकर 2800 करोड़ रुपये के आसपास रह गया, इसी वजह से 91-92 में इस निधि में कटौती करनी पड़ी। पर मैं माननीय सदन को और माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस कटौती को वर्ष 92-93 की वार्षिक योजना में पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी जवाब दिया गया है, उसमें दो चीजें मैं जानना चाहता हूं। एक तो जैसा माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने पूछा था कि शासन की नीति क्या है और दूसरा जैसा मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि योजना की उपयोगिता, औचित्य, बजट प्राविधान के अनुसार सब कुछ निर्भर है। श्रीमन् मानकर चलते हैं कि शायद उस समय उसकी उपयोगिता, औचित्य का पता नहीं लग पाता, घोषणा हम लोगों के दबाव में आकर करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछले उपचुनावों में आपके द्वारा जो घोषणायें की गयीं, उनकी इस समय उपयोगिता है या नहीं, ये अब लागू होंगी या नहीं?

श्री कल्याण सिंह-

जो कुछ भी घोषणायें की गयी हैं, उन पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। काश इन घोषणाओं के अनुरूप धन और संसाधनों की व्यवस्था कर दी गयी होती, तो इन घोषणाओं को पूरा करने में सरलता होती। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि पहले घोषणा संस्कृति मानने वाली सरकारें थीं, यह सरकार ऐसी नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं आया है। मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि शासन की क्या नीति है। दूसरा, इस उपचुनाव में मुख्य मंत्री जी ने कितनी घोषणायें की और उसमें से कितनी लागू की हैं?

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री अग्रवाल जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह उत्तर दे

दिया कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने कितनी घोषणायें की और उनमें से कितनी पूरी हुई और कितनी नहीं। यह भी उन्होंने उत्तर दे दिया कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने 397 घोषणायें की और उसमें से 200 पूरी हो गई।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों ने अधिकांश घोषणायें चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए की थी। पूर्व मुख्यमंत्रियों पर, माननीय मुख्य मंत्री जी का यह आरोप है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पिछले उप चुनाव में वोटरों से वोट लेने के लिए कितनी घोषणायें की और उनमें से कितनी लागू की गई तथा कितनी घोषणाओं का औचित्य नहीं है?

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, चुनाव के दौरान मेरे द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है। सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं या तो वे चुनाव के पहले से हैं या फिर चुनाव के बाद से हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जो घोषणा संस्कृति में विश्वास नहीं करती अपितु कार्य संस्कृति में विश्वास करती है।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने घोषणायें की, माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने घोषणायें की। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के समय में की गई घोषणाओं के परीक्षण करने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन घोषणाओं का परीक्षण करने के लिए कौन सी मशीनरी बनाई गई है?

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, स्वयं मेरी देख-रेख में और मेरी अध्यक्षता में संबंधित विभाग के अधिकारियों व संबंधित विभाग के मंत्रियों को बुलाकर परीक्षण किया जा रहा है। हम विपक्षी दल के नेताओं का भी सहयोग चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस दल के विधायकों से सहयोग चाहते हैं कि जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के साथ भेद-भाव बरता जा रहा है और जो पैसे की कटौती की जा रही है, वह पैसा हमें वह दिलवायें ताकि हम योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करें।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, यह सदन जानना चाहेगा कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ कौन सा भेद-भाव बरत रही है। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बतायें?

श्री अध्यक्ष-

आप मूल प्रश्न को लें।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आप संरक्षण दें। चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह बात सदन में कही है, इसलिए यह सारा सदन जानने के लिए उत्सुक है कि किस तरह का पक्षपात केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के साथ किया जा रहा है और कौन-कौन से मसलों में किया जा रहा है? मान्यवर, आप इसका उत्तर दिलवायें। यह हमारा अधिकार है कि सदन के फ्लोर में अगर कोई उत्तर आता है तो उस उत्तर के संदर्भ में हर माननीय सदस्य का अधिकार बन जाता है कि उसका समाधान किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, प्रश्नोत्तर काल की सीमा और उसके महत्व को देखते हुये मैं कहना चाहता हूं इतने विस्तृत पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, आपने पूछा है कि किन-किन मसलों पर और किन-किन योजनाओं के बारे में केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ भेद-भाव का बर्ताव कर रही है, यह प्रश्न बहुत ही विस्तार का है। यह प्रश्न बहुत ही व्यापक है।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मैं जानना चाहूंगा कि 307 घोषणाओं में से आपने 200 को पूरा कर दिया है, तो आप बची हुई 107 के बारे में स्पेसिफिक बतायें कि इन योजनाओं में किन को प्राथमिकता के आधार पर लेने जा रहे हैं?

श्री कल्याण सिंह-

यह विस्तार का प्रश्न है। मुझसे आंकड़े नहीं मांगे गये थे, परन्तु फिर भी मैंने बताया कि 307 घोषणायें की गयीं और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कि प्रदेश को औद्योगीकरण की आवश्यकता है, तो उसके बारे में केवल एक घोषणा की गयी है और वह भी पूरी नहीं हुई है। 307 में 11 निरस्त कर दी गयी हैं और 107 ऐसी हैं, जो अपूर्ण हैं। जो निरस्त कर दी गयी हैं और जो अपूर्ण हैं, उन्हीं में से उस योजना के औचित्य

को देखते हुये प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वित्तीय संसाधनों को देखते हुये, हम उन को कहां तक प्राथमिकता के आधार पर कर पायेंगे।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

जो शेष योजनायें रह गयी हैं, उनमे से प्राथमिकता के आधार पर आप किन योजनाओं को लेने जा रहे हैं, यह आप यहां पर बता दें। अपने सीमित साधनों को देखते हुये किनको पहले लेने जा रहे हैं, इसकी घोषणा सदन में कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने पूछा कि कौन सी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेने जा रहे हैं। 197 घोषणायें हैं, अगर एक-एक के बारे में परीक्षण करके बताया जायेगा, तो क्या यह व्यापक प्रश्न नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप किसी विशिष्ट योजना के बारे में पूछ लें, उसका उत्तर आ जायेगा।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, वर्ष 1991-92 में 30 करोड़ रुपये से पूर्वांचल विकास निधि योजना स्वीकार की गयी थी और जिसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों को दी थी, 14 जुलाई के परिपत्र द्वारा हम लोगों को सूचना दी थी, तो इस योजना में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कटौती किये जाने का क्या औचित्य है। दूसरी चीज यह है कि इसी तरह से 10 लाख कूप योजना के अन्तर्गत महराजगंज जिले को 1991-92 के लिये 139 लाख रुपये स्वीकृत हुये थे परन्तु अब तक मात्र 48 लाख रुपया दिया गया है, तो इस कटौती का क्या औचित्य है। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या इन योजनाओं में कटौती करके एक नयी परम्परा नहीं डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री ओमकार सिंह-

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहसाघाट, बदायूं में नाव डूब जाने से 68 आदमियों की मृत्यु हो गयी थी तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने वहां पर पुल बनाने की घोषणा की थी और मृतकों को 5-5 हजार रुपया सहायता देने की घोषणा की थी तो मैं जानना चाहता हूं कि उसे पूरा न करने का क्या औचित्य है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है मृतकों को मुआवजा देने के बारे में

है । यह प्रश्न पूर्व मुख्य मंत्रियों द्वारा विकास कार्यक्रमों के संबंध में घोषणाओं से संबंधित है अनुदान देने के लिये नहीं (व्यवधान) मैं इस अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं ।

डा0 बृजभान यादव-

मान्यवर, हमें भी मौका मिलना चाहिये ।(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मैं मुख्य मंत्री जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं (व्यवधान) पहले शांत तो करायें ।

श्री अध्यक्ष-

आप स्थान ग्रहण करें प्रदेश के विकास से संबंधित प्रश्न है । (व्यवधान) अनुदान का नहीं । आप स्थान ग्रहण कर लीजिये प्रश्न पढ़ कर और उत्तर को सुन करके तब अनुपूरक प्रश्न करें (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपा कर जो आपसे वरिष्ठ सदस्य हैं उनका लिहाज करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

प्रदेश के विकास से संबंधित प्रश्न था उसका उत्तर भी गंभीरता से दिया जाना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी से यही अपेक्षा थी जो भी पिछली सरकार या मुख्य मंत्रियों ने घोषणायें की वह उनसे अवगत होंगे लेकिन हम कम से कम मुलायम सिंह जी ने जो घोषणायें की उनसे निश्चित है कि जो कोई घोषणा की गयी वह नियोजन और वित्त विभाग से परीक्षण कराये बगैर नहीं की गयी । तो इस प्रकार दोषारोपण से समस्या का समाधान नहीं होगा घोषणा संस्कृति की सरकार तो अब आई है कार्य संस्कृति की सरकारें बहुत पहले चली गयीं । आरोप-प्रत्यारोप से प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

जो घोषणायें हुई थीं और जिन योजनाओं पर कार्य शुरू भी हो गया बदले की भावना से उनको क्यों रोक दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी के इस आरोप का मैं जोरदार खण्डन करना चाहता हूं कि कोई योजना बदले की भावना से रोकी जा रही है ।

मैंने पहले ही कह दिया कि हमारी दृष्टि में पूरे प्रदेश का विकास हो यह हमारा लक्ष्य है। जो पुराने मुख्य मंत्रियों ने कोई घोषणा की हैं उनको इसलिए रद्द नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने घोषणा की है या किसी क्षेत्र विशेष की वह योजना है। यद्यपि इन घोषणाओं ने कितना असंतुलन पैदा कर दिया है इस पर चर्चा हो तो उसका जवाब देने के लिये हमारे पास मैटीरियल मौजूद है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि योजनाओं का औचित्य, उनकी उपयोगिता प्राथमिकता का आधार हैं। हमारे पास इतने सीमित संसाधन हैं उनके अनुसार प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें कोई दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें नम्बर पर ठहरें। सीमित संसाधनों से उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकता तय करनी पड़ रही है, उनको बदलना पड़ रहा है। इन घोषणाओं के लिये जैसा मैंने पहले भी कहा अगर आज फैसला ले लिया जाय तो कम से कम दो सौ करोड़ रुपये चाहिये। कार्यक्रम किये जाते रहे परन्तु कहीं पर कोई परिव्यय का प्राविधान नहीं किया गया हमारी प्राथमिकता चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विधायक जी के क्षेत्र में हो, उसमें कौन किस पार्टी का है यह दृष्टिकोण नहीं रहेगा उसकी उपयोगिता और प्रदेश का विकास प्राथमिकता है समूचे प्रदेश की जनता की यह सरकार है, पूरे प्रदेश की सेवा में हम लगे हुये हैं। तो भेदभाव के कारण किसी योजना को नहीं काटा जा रहा है बल्कि हम तो यह कर रहे हैं कि योजना की उपयोगिता, औचित्य और सीमित संसाधनों में प्राथमिकताओं का पुनर्निधारण करके योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं जिससे कम पैसों में ज्यादा लोगों की हम सेवा कर सकें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शांत रहें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव-

मान्यवर, जो प्रश्न हुआ है वह नीति संबंधी प्रश्न हुआ है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री पूर्व मुख्य मंत्रियों की घोषणाओं को पूर्ण करने में बाध्य हैं या नहीं ? दूसरा प्रश्न है कि पिछले 8 महीनों में मुख्य मंत्री जी ने कितनी घोषणायें की हैं और उसमें कितनी को लागू किया है?

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, मैं इस प्रश्न का बड़े विस्तार से उत्तर दे चुका हूं।

(व्यवधान) मान्यवर, हमारा दृष्टिकोण यह नहीं है कि किन मा0 मुख्य मंत्री ने घोषणा किया है और उसके आधार पर यह भेद किया जाय और उन घोषणाओं को समाप्त किया जाये। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। श्री वर्मा जी ने कह दिया कि पक्षपात के आधार पर किया जा रहा है, यदि उसके आधार पर होता तो बाराबंकी की कई योजनायें, जो आपने स्वीकार की थी उनको, नहीं काटा गया है, इसी तरह इटावा की योजनाओं को नहीं काटा गया है।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, आगरा जब आप गये थे तो कहा था कि मैनपुरी में कोई योजना नहीं लागू की जायेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी का उत्तर आप सुन लें तब प्रश्न करें। बिना इजाजत के जो मा0 सदस्य बोलेंगे उनको नहीं लिखा जायेगा।

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, मेरी बाध्यता संसाधन की उपलब्धता है। यदि संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तो चाहते हुए भी उनका कार्यान्वयन करना कठिन है। संसाधन की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होती तो उन्हें काटने की आवश्यकता न पड़ती। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार धन की व्यवस्था नहीं की गई थी। बिना धन के कैसे पूरा कर दें।

(घोर व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक बात और जानना चाहूंगा कि पूर्वांचल [illegible] बदले 20 करोड़ कर दिया गया। यह 10 करोड़ की [illegible] अत्यन्त पिछड़े इलाकों में की गयी। मेरी सूचना है कि [illegible] जिला योजनाओं में व्यय होनी थी वह सारा शासन ने अपने पास रखा हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिला योजनाओं के परिव्यय में कटौती करके और लखनऊ से इस पैसे का वितरण वह किस प्रकार करायेंगे? 10 करोड़ रुपये जो आपने पूर्वांचल निधि में से लखनऊ में रखा है उसे वापस करने का कष्ट करें। यह मेरी निश्चित सूचना है। यह 53 करोड़ रुपये सारी योजनाओं को काटकर यहाँ रखा गया

है, जिला योजनाओं में खर्च के लिये वापस करेंगे?

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

श्रीमन् श्री कैलाश नाथ सिंह यादव जी ने मेरे उत्तर को कुछ ज्यादा ध्यान से नहीं सुना। यदि सुना होता तो यह प्रश्न न करते। परिव्यय 3900 करोड़ आवंटित किया गया। इसमें से 787 करोड़ एक कट गया, 100 एक कट गया जो बचकर साढ़े 27-28 सौ करोड़ ही रह गया। मैं तथ्य की बात कह रहा हूं तो नाराज हो जाते हैं। मैंने इस बात का आश्वासन दिया है कि वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना में बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल निधि की जो कटौती हुई है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आश्वासन दे रहा हूं आप विश्वास समझ लीजिये।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अल्पसूचित प्रश्नों के लिये मात्र बीस मिनट का समय होता है परन्तु मैंने फिर भी समय बढ़ा दिया। एक प्रश्न जनता दल (अ) और एक प्रश्न जनता दल (ब) से होगा।

(घोर व्यवधान)

डा0 जी0 एस0 विनोद-

मैं मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास की दृष्टि में इन्होंने मुजफ्फरनगर के लिये क्या किया। मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिये कोई विकास योजना बनाई है या नहीं? क्या मुजफ्फरनगर प्रदेश का हिस्सा नहीं है?

श्री अध्यक्ष-

यह तो मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, आपने नई योजनाओं के बारे में प्रश्न किया है। आपको इसके बारे में बाद में समय मिलेगा।

डा0 जी0 एस0 विनोद-

अपने जिले के बारे में प्रश्न किया है कि क्या योजनाए चल रही हैं तो मान्यवर, आपको क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से नहीं उठता।

डा0 बृजभान यादव-

मान्यवर, माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने जिस भावना को व्यक्त किया है उसी से संबंधित मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री घोषणायें तो कर देते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं। जिस मुख्यमंत्री को क्षेत्र में जाने पर क्षेत्र की जनता फूलों से लाद देती है और वह घोषणायें कर देते हैं, तो उनको उस पर अमल भी करना चाहिए लेकिन वह अमल नहीं करते हैं, यह बात उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है?

डा0 बृजभान यादव-

मान्यवर, इस तरह से निरंकुश होकर मुख्यमंत्रियों को घोषणा नहीं करनी चाहिए, यह जो निरंकुश होकर घोषणा करते हैं क्या आप इस पर अंकुश लगाने की कृपा करेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कोई मुख्यमंत्री निरंकुश होकर घोषणा करे यह बात ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, मुझे भी एक प्रश्न उठाने की इजाजत दे दें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ओंकार जी ने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, बदायूं में मुख्यमंत्री जी ने एक पुल बनाने की घोषणा की, तो क्या उस पुल को बनाने का काम शासन करेगा?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं उठता है। इसके अलावा प्रश्न करें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

केन्द्र सरकार ने जो योजनाओं में कटौती की है उसका क्या कारण है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

(व्यवधान)

आप सब लोग अपना आसन ग्रहण करें।

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अरविन्द प्रताप सिंह-

मान्यवर, मुझे समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है, आपको परम्परा मालूम होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

श्रीमन् जो प्रश्न यहां पर उपस्थित हुआ था और उसके संबंध में जो अनुपूरक प्रश्न आये तो मूल प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है और प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न का भी उत्तर दे दिया गया है। अब यदि एक-एक पुल और पुलिया का या एक-एक खड़ंजे का सवाल उठायेंगे तो उसके लिये अलग से सूचना देकर प्रश्न करना होगा।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, पुल पुलियों की बात नहीं है....

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायं। मुख्य मंत्री जी अभी खड़े हैं उनका उत्तर अभी समाप्त नहीं हुआ है।

श्री कल्याण सिंह -

अब किसी स्थान विशेष के बारे में या किसी कार्य विशेष के बारे में कोई जानकारी चाहिये तो मैं उसका स्वागत करूंगा। नये सिरे से प्रश्न प्रस्तुत करें उसकी तैयारी करके उसका उत्तर दे दिया जायगा। जो नीतिगत प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। किन परिस्थितियों में, क्या प्राथमिकतायें निर्धारित कर रहे हैं उनको बता दिया गया है। मैं समझता हूं कि अब कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता, वैसे श्रीमन् जैसा आपका आदेश।

एक सदस्य -

(* * *)

श्री अध्यक्ष -

यह लिखा नहीं जायेगा। आप बैठिये।

मूल प्रश्न में किसी योजना को रोके जाने की बात नहीं है इसलिये शासन से यह अपेक्षा करना गलत होगा। उन्होंने नीति की बात का उत्तर दे दिया है। किसी विशेष योजना को रोके जाने की शिकायत हो तो अलग प्रश्न करें।

(अल्पसूचित ता0प्र0सं0-2 पुकारे जाने पर)

श्री मुन्ना चौहान -

मान्यवर, क्या केवल पार्टी के नेताओं को ही अवसर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष -

पार्टी नेताओं के साथ-साथ सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाता है। आप बैठें, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री मुन्ना चौहान -

अगर केवल 5 लोग सदन का प्रतिनिधित्व देंगे तो बाकी लोग यहां से चले जायें, उनका आना बेकार है। आप केवल पार्टी के नेताओं को समय देते हैं?

नोट:- (* * *) यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने का आदेश

** 2- श्री किशन गोपाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री प्रदेश के प्रत्येक विभाग में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 1992 तक रखेंगे? यदि हां, तो यह शासनादेश कब तक जारी हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी, परिवहन एवं पूर्व धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)-

राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों का कोटा 31 मार्च, 1992 तक पूर्ण करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक माह पूर्व ही कार्य करने का संकल्प लिया गया है और लिखित उत्तर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

बधाई बाद में दीजियेगा, अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मेरी सरकार ने एक माह पूर्व ही यह कार्य करने का संकल्प लिया है और उसकी घोषणा कर रहे हैं तो बधाई तो दूंगा ही। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिन विभागाध्यक्षों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा नहीं किया है क्या उनको एडवर्स इंटरी दी जायेगी या सजा दी जायेगी?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर स्पष्ट है. 31 मार्च, 1992 तक अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा करने के संबंध में आदेश दे दिये गये हैं। सक्रियता तत्परता से सभी विभागों में काम जारी है।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया था कि यदि संबंधित अधिकारी या विभागाध्यक्ष कोटा पूरा नहीं करते, वैसे तो यह कल्याणकारी सरकार करेगी ही, मुझे पूरा विश्वास है, उन्होंने आश्वासन दे दिया है, लेकिन यदि अधिकारी या विभागाध्यक्ष कोटा पूरा नहीं करते तो उनके खिलाफ कोई

कार्यवाही की जायेगी, या नहीं?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, आदेश इस अपेक्षा से दिये गये हैं कि उनका पूर्ण पालन हो और अगर उसमें कोई कमी होगी तो तद्नुसार उसमें कार्यवाही की जायेगी।

डा0 जी0 एस0 विनोद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहां तक हरिजन कोटे की बात है, कितने आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारी हैं जिनको चार्ज दिया गया है और कितनी सीटें खाली हैं? उसमें कोटा कब तक पूरा करेंगे? जितना कोटा पूरा करना है उसको कब तक पूरा करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया कि राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों का कोटा 31 मार्च, 1992 तक पूर्ण करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। उन्होंने उत्तर दे दिया है।

डा0 जी0 एस0 विनोद-

इसमें आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 का कितना कोटा है? कितने अधिकारी फिलहाल जिलों में डी0एम0 और एस0पी0 के रूप में मौजूद हैं? इसमें कोटा पूरा करने जा रहे हैं या नहीं? मैं इसका विवरण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, जिस प्रकार हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग-अलग होते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का कोटा किसी भी विभाग में पूरा नहीं है। चाहे क्लास-1 हो या क्लास-2 मान्यवर, मथुरा जनपद में कोई भी क्लास-1 या क्लास-2 का अधिकारी नहीं है। आपकी नीति है कि संवेदनशील जिलों में डी0एम0 या एस0डी0एम/ए0डी0एम0 आरक्षण कोटे का होगा। मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित है। मथुरा में एक भी अधिकारी शिड्यूल कास्ट का नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री पूरन प्रकाश-

(शोर व्यवधान के मध्य) . . (* * *)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा ।

(शोर व्यवधान)

आप हिसाब से प्रश्न बना लीजिये तो मैं अनुमति दे दूं । [illegible] आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 की बात पूछ ली ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न में 30 अप्रैल, 1992 तक कोटा पूरा करने की बात कही गयी थी, उत्तर दिया गया है कि 31 मार्च, 1992 तक पूरा कर देंगे । मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित जाति कोटे के कितने पद रिक्त हैं और उसमें कितने विभागीय चयन समिति से और कितने पब्लिक सर्विस कमीशन से भरे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, [illegible] यह था कि क्या कोटा पूरा करने की अंतिम तिथि अप्रैल, 1992 रखी जायेगी । यह जो कोटा पूरा करने का प्रश्न है, यह सीधी नियुक्तियों के लिये विभागीय चयन समितियों के माध्यम से जो नियुक्तियां होंगी उसके लिए भी है और अवधि 30 अप्रैल, 92 रखे जाने के संबंध में उत्तर आया कि 31 मार्च, 1992 तक कोटा पूरा करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । इसमें विभागीय समितियां और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों निहित हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आप तो विद्वान हैं । सरकार की ओर से उत्तर अक्सर गोल-मोल आता है । कभी-कभी तथ्य से परे भी आ जाता है । हम लोगों का अधिकार होता है कि सरकार कुछ छिपा रही हो, या कोई ऐसी घोषणा कर रही हो, जो सम्भव नहीं है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि विभिन्न श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं, कितने पदों को विभागीय चयन समितियों से भरा जायगा और कितने पदों को लोक सेवा आयोग से भरा जायेगा?

श्री अध्यक्ष-

विभिन्न श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं और उनको किस प्रकार से

नोट:- (* * *) यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

भरा जायेगा, यह प्रश्न हो सकता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

ऐसा नहीं मान्यवर, हमारा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने प्रश्न किया और कहा कि सरकार हमेशा गोल-मोल जवाब देती है, हो सकता है ऐसा होता रहा हो और जिस सरकार में वर्मा जी मंत्री रहे उसमें ऐसा ही हुआ हो परन्तु, हमारी सरकार एक खुली सरकार है। मान्यवर, बड़ा स्पष्ट उत्तर है, आप प्रश्न को देखें, जो प्रश्न है, उसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है। कल हमें प्रश्न मिला, आज हमने उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी जो अनुपूरक प्रश्न माननीय वर्मा जी ने किया है, उसका उत्तर दे दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, इसी बजट सत्र के अन्दर जब राष्ट्रीय एकीकरण का बजट आयेगा, तब मैं यह बताऊंगा कि कितने स्थान रिक्त हैं, कितने भरे गये और कितने भरे जायेंगे। 31 अक्टूबर, 1991 को मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को एक आदेश गया है कि जितने विभाग और उनके संवर्ग और समूह हैं, उनकी रिक्तयों की सूचना दें और उनको भरें इस पर लगातार काम जारी है। उसके अनुसार भर्ती के काम में अनुसूचित जाति का कोटा 31 मार्च, 1992 तक पूरा हो सके इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि वह 31 मार्च, 1992 तक कोटा पूरा कर लेंगे। मान्यवर कोटा कहां से पूरा कर लेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, मेरा अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से ही संबंधित था। मान्यवर, इनको जब यह ही नहीं मालूम है, तो कहां से ये रिक्तयां भरेंगे?

श्री अध्यक्ष-

मूल प्रश्न में तो यह चीज निहित है कि कोटा पूरा नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने 31 मार्च, 1992 तक कोटा पूरा करने के निर्देश दे दिये हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

इन्होंने कुछ नहीं किया है, श्रीमन् यह तो फर्जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अलग से प्रश्न पूछ लें कि आपकी इस सूचना के अनुसार कितने पद रिक्त हैं और इसके बारे में सरकार क्या कर रही है। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी कैसे उत्तर दे दें कि इतनी श्रेणियां हैं और इतना कोटा पूरा हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सभी पदों को 31 मार्च, 1992 तक भरने की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जूडिशियल सर्विसेज व उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो चयन सूची बनाकर भेजी है, क्या सरकार उन सभी को 31 मार्च, 1992 तक नियुक्ति दे देगी? दूसरा प्रश्न मान्यवर, यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश जुडीशियल सर्विसेज एवं सिविल सर्विसेज के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की जो चयन सूची शासन को भेजी है, क्या सरकार उन सभी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों को 31 मार्च, 1992 तक नियुक्ति दे देगी?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य की यह जिज्ञासा है कि जिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों की नियुक्तियों के बारे में लोक सेवा आयोग ने अपनी संस्तुति करके भेजा है क्या उनको 31 मार्च, 1992 तक नियुक्ति दे दी जायेगी?

श्री राम कुमार शुक्ला-

मान्यवर, प्रश्नकाल में पिछले साल 20-20 प्रश्न तक हो जाते थे, आज तो लगता है कि 2 ही प्रश्न रह जायेंगे।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है उसके उत्तर में कहना चाहता हूं कि आदेश के अनुसार लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लिये जो भी अधियाचन किये जा रहे हैं और जो भी उनके द्वारा चयन की

प्रक्रिया पूरी करके आदेश दिये जा रहे हैं या जो भी आयेंगे उनका परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम कुमार शुक्ला जी की आपत्ति बहुत सही है कि पहले प्रश्नकाल में 15-20 प्रश्नों के उत्तर आ जाते थे। इसलिए केवल एक अनुपूरक प्रश्न स्वीकार करके मैं अगला प्रश्न ले लूँगा।

(व्यवधान)

श्री श्याद अली-

मान्यवर, अगर 31 मार्च, 1992 तक नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो क्या दोषी लोगों को दंडित किया जायेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष-

दोषी लोगों के खिलाफ कैरेक्टररोल में इंट्री करेंगे या नहीं यह बात आ गयी है।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

आवास विकास कालोनी इन्दिरा नगर में दैनिक वेतन पर कार्यरत सफाई मजदूरों को नगर महापालिका के नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधाएं देने की मांग

*1-श्री राम ललित चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1979 में इन्दिरा नगर स्थित आवास विकास कालोनी में 72 सफाई मजदूर दैनिक वेतन पर रखे गये थे और इन्हें तब से रुपया 600 मात्र प्रति माह वेतन दिया जाता रहा है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उक्त कालोनी अक्टूबर, 1988 से नगर महापालिका के अंतर्गत आ गयी है और वे सभी 72 सफाई मजदूर भी नगर महापालिका के कर्मचारी हो गये हैं? यदि हां, तो उन्हें नगर महापालिका के नियमित सफाई मजदूरों को मिलने वाले वेतन एवं अन्य सुविधायें अब तक न दिए जाने के कारण क्या है? क्या मंत्री जी उन्हें नगर महापालिका के सफाई कर्मचारियों की भांति वेतन एवं भत्तों की सुविधा

उपलब्ध करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

प्रश्न में उल्लिखित 72 सफाई मजदूर दैनिक वेतन पर आवास-विकास परिषद् द्वारा वर्ष 1979 में रखे गये थे।

जी हाँ।

नियमित पदों के सृजित न होने के कारण वेतन व अन्य सुविधाएं, नगर महापालिका के नियमित सफाई मजदूरों की भांति नहीं दी जा सकी है।

पदों के सृजन के पश्चात् ही उक्त अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, इन 72 कर्मचारियों को वर्ष 1979 में रखा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इन नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन भत्ते क्यों नहीं दिये जा रहे हैं?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, आवास-विकास परिषद् द्वारा रखे हुए 72 कर्मचारी उस समय भी नियमित कर्मचारी नहीं थे, बाद में नगर महापालिका में आने के बाद भी नियमित कर्मचारी नहीं हैं। डेलीवेजेज कर्मचारी के रूप में अभी भी कार्य कर रहे हैं।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, इनकी लगभग 13 वर्ष की सेवायें हो गयी हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इनको कब तक नियमित कर दिया जायेगा?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, नियमितीकरण के लिये हमारी प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है, प्रथम चरण में लगभग 10 हजार कर्मचारी नियमित किये गये हैं, शेष 6 हजार नियमित हो जायेंगे। 11 अक्तूबर तक जो कार्य पर लगे थे और शनैः शनैः हमारे मानक के अनुसार जैसे-जैसे स्थान रिक्त होते जायेंगे हम इन्हें भी नियमित कर लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा-

मैं जानना चाहूंगा कि क्या नगर महापालिकाओं में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में छटनी की भी कोई कार्यवाही चलायी जा रही है?

श्री अध्यक्ष-

इसका प्रश्न नहीं उठता, इसमें नियमित होने की बात है।

श्री अखिलेश-

आपने अभी बताया कि शनैः शनैः मानक के अनुसार नियमित कर दिये जायेंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि मानक क्या हैं?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, मानक तय करने के लिये 30 अक्तूबर, 1991 को हमने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी जैसे ही मानक तय करके देगी, उस हिसाब से कार्यवाही होगी। पूर्व मानकों में यह था कि 62 कर्मचारी 10 हजार की आबादी पर रखे जाते हैं। वर्तमान समय में मानक बदलने की संभावना है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा की गई नियुक्तियों का विवरण

*2-श्री खालिद गौरी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा वर्ष 1991 में आम चुनाव घोषित होने के बाद विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो किन-किन पदों पर कितने लोग नियुक्त किये गये और उनकी सेवा की वैधानिक स्थिति क्या है?

बेसिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)-

जी हां।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 9 (नौ) पदों पर नियुक्तियां की गईं। नियुक्तियों में कोई अवैधानिकता नहीं हुई है।

श्री खालिद गौरी-

मान्यवर, समय-समय पर भारत का चुनाव आयोग सत्ता के दुरुपयोग को बचाने के लिए प्रधानमंत्री व शासन को कुछ निर्देश देता है जिसमें नियुक्तियों पर बैन भी लगा दिया करता है। जिस वक्त इन 9 (नौ) कर्मचारियों की नियुक्ति हुई उस वक्त चुनाव आयोग का बैन था। इसको मंत्री

जी ने स्वीकार भी किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय यदि बैन था तो यह नियुक्तियां वैधानिक कैसे हो गयीं?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, जहां तक नियुक्तियों के प्रतिबन्ध का सवाल है इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्वाचन विभाग से आज्ञा संख्या-3212/17-ए-1-72/91, दिनांक 22 मार्च, 91 के अनुसार सिर्फ स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी है, नियुक्तियों पर रोक नहीं लगायी गयी है।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन्, माननीय शुक्ल जी काफी ज्ञाता हैं शिक्षा विभाग के लेकिन यह प्रश्न का जवाब काफी घुमा कर दे रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि किस तारीख को नियुक्तियां हुईं। दूसरा भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानान्तरण और नियुक्तियों पर रोक के आदेश किस तारीख को जारी किये गये थे और क्या उन तारीखों के बीच में नियुक्तियां हुई हैं? यदि हुई हैं तो क्या वे उसे रद्द कराने की घोषणा करेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, दिनांक 24-4-91 को नियुक्ति पत्र निर्गत किये गये थे। इसमें हमने दिनांक 28-3-91 को साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की थी परन्तु चयन समिति उस तिथि के पूर्ण न होने के कारण हमने दिनांक 9-4-91 को साक्षात्कार सम्पन्न कराया और दिनांक 24-4-91 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया।

शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड जमालपुर के ग्राम भुइली और शेरवां में मीठा पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

*1-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड जमालपुर के ग्राम भुइली और शेरवां में मीठा पेयजल उपलब्ध नहीं हैं और वहां की लगभग 15 हजार आबादी खारा पानी पीने के लिये मजबूर है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु समुचित क्षमता की मीठे पेयजल की टंकी बनवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब-

तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम भुइली व शेरवां की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 3576 व 1248 है। ग्राम भुइली में कार्यरत 7 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों में से 4 से अत्यधिक खारा तथा 3 से कम खारा पानी उपलब्ध हो रहा है। ग्राम शेरवां में 5 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित है जिनमें सभी से कम खारा पानी उपलब्ध हो रहा है।

भुइली व समीपवर्ती ग्रामों को सम्मिलित करते हुये पाइप पेयजल योजना विरचित की जा रही है। योजना हेतु वांछित धन उपलब्ध होने पर इसके 3 वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

शेरवां ग्राम के लिये किसी पाइप पेयजल योजना का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। उक्त ग्राम में अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों के पानी की गुणता मानक में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीया नगर विकास मंत्री जी ने बताया कि खारा पानी कुछ हैण्ड पाइपों में हैं। वहां की स्थिति यह है कि आजादी के बाद से आज तक लोग 10 किलोमीटर दूर से पानी लेकर पी रहे हैं और जो हैण्ड पाइप आपने लगाया है उसमें से खारा पानी आ रहा है। आपने बताया कि खारा पानी कम हो रहा है तो इस प्रकार से लोग जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर दूसरी व्यवस्था कराई जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप क्या अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

मैं चाहता हूं कि दूसरी व्यवस्था कराई जाये।

(व्यवधान)

डा0 जी0 एस0 विनोद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया नगर विकास मंत्री जी से यह

जानना चाहता हूं कि जो खारा पानी वहाँ के हैण्ड पाइपों से आ रहा है उसके सम्बन्ध में वे क्या करने जा रही हैं, क्या कोई दूसरी व्यवस्था पानी की करायी जा रही है?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, यह क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है । लेकिन पानी जैसी प्राथमिक आवश्यकता को देखते हुए हमने ट्रायल बोर के लिए वित्तीय वर्ष में दस-दस लाख रुपये का प्राविधान किया है । अगर हमने इसमें सफलता पायी तो आगे ट्रायल बोर के लिए एक करोड़ पाँच लाख रुपये के नये वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी । वैसे मानिकपुर में हमको मीठा पानी उपलब्ध हो गया है । . . अगर हमें ट्रायल बोर में सफलता मिल गयी और संसाधन उपलब्ध हुये तो हम उस क्षेत्र में पानी मीठा देने की स्थिति में होंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह -

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं । मैं चुनार क्षेत्र से 4 बार रिप्रेजेन्ट किया हूं और खारे पानी के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ । मैं यह जानना चाहता हूं कि वहाँ जो इन्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, उनकी 20 फीट तक ही खुदाई की गयी है, जिससे पानी अच्छा नहीं निकल सका है, साथ ही इसमें जल निगम के जे0ई0 स्तर से टेक्निकल गड़बड़ी है । क्या माननीया मंत्री जी पानी के स्ट्रेटा तक खुदाई करवाकर अच्छा पेयजल उपलब्ध करवाने की कृपा करेगीं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न है कि जो 20 फीट खुदाई करवा के इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगवा दिये गये हैं, उनको और ज्यादा गहरा बोर करके मीठा पानी निकलवाने का प्रयास होगा ।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, परीक्षण कराने के बाद हम इसके लिये प्रयास करेंगे ।

श्री पूरन प्रकाश-

मथुरा जनपद के गोवर्धन ब्लाक के ग्राम दौसेरस में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये पाइप लाइन डाली हुयी है, वहाँ जल निगम के एक्ज्यूक्यूटिव इंजीनियर द्वारा जबरदस्ती पाइप लाइन को हटाया जा रहा है, जबकि जल निगम मीठा पानी उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से अक्षम है, तो क्या माननीया

मंत्री जी अच्छा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगीं ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, ट्रायल बोर पर परीक्षण हो रहा है, जिसका उद्देश्य है, मीठा पानी उपलब्ध कराना। यदि उसमें असफल होते हैं तो पाइप लाइन की व्यवस्था संसाधन उपलब्ध होने पर करायेंगें।

श्री धनी राम वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि दोनों गाँवों में खारा पानी है। किसी में कम है और किसी में ज्यादा है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि डेढ़ किलोमीटर पर मीठा पानी मिल जायेगा। जब शहर में 4-4, 6-6 व 10-10 किलोमीटर दूर से मीठा पानी दिया जाता है तो देहाती क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर की पाइप लाइन बिछाकर पानी न दिये जाने का क्या कारण है?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इस पर परीक्षण चल रहा है।

(श्री धनीराम वर्मा के खड़े होने पर-शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री वर्मा जी, पहले आप माननीय मंत्री जी को पूरा उत्तर देने दीजिए। यदि इस प्रकार आप व्यवधान डालना चाहेंगे। तो मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(श्री धनी राम वर्मा व श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये श्री हृदय नारायण दीक्षित व श्री लीलाराम शर्मा आदि माननीय सदस्य उन्हें पुनः उनके आसन पर वापस ले गये) (शोर/व्यवधान)

सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री जागेश्वर प्रसाद जी के खड़े रहने पर शोर/व्यवधान)

श्री जागेश्वर प्रसाद जी आप कृपा करके बैठ जायं। श्री जागेश्वर प्रसाद जी जो कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

माननीय श्री वर्मा जी इस सदन में विभिन्न आयुवर्ग के माननीय

सदस्यगण हैं। कभी प्रश्नों का उत्तर आशा के अनुरूप आता है और कभी आशा के अनुरूप नहीं आता है। कभी-कभी किसी अनुपूरक प्रश्न को लेकर पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है तो माननीय सदस्य उस पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हैं और कभी-कभी कुछ अनुपूरक प्रश्न सीधे आ जाते हैं। लेकिन मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आयु में जो वयस्क हैं ऐसे सम्मानित सदस्यगण अपने ऊपर संयम रखकर दूसरों को भी उसका अनुकरण करने की प्रेरणा देते रहें। हो सकता है किसी माननीय मंत्री के उत्तर से कोई माननीय सदस्य संतुष्ट न हों। मैं तो स्वयं इतने अधिक प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा हूं। आज आपने सुना ही होगा श्री धनीराम वर्मा जी की टिप्पणी को। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा अनुपूरक प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे देते हैं, कि बाकी शेष प्रश्न आ ही नहीं पाते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को अवसर मिले, प्रश्न पूछने का और उनके प्रश्न का उनको उत्तर मिल जाये। लेकिन अगर सदस्यगण इस तरह अधीर हो जायेंगे तो दूसरे साथी भी उनका अनुकरण करने लगेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी सम्मानित सदस्य संयम से, संतुलित भाषा का प्रयोग करते हुए और धैर्य रखते हुये प्रश्न करें, तो सभी को अवसर मिल जायेगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह-

आप धनीराम वर्मा जी के प्रश्न का उत्तर दिला दें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, नेता सदन यहां पर बैठे हैं और उनके सामने इस तरह की घटनायें हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप भी तो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि बैठ जाइये लेकिन नहीं मान रहे हैं। मेरा आप सभी से केवल इतना ही कहना है कि संयत भाषा का प्रयोग करें और धैर्य रखें। अगर किसी मंत्री का उत्तर ठीक से नहीं आया है, तो जैसी परम्परा रही है, दूसरे प्रश्न में माननीय सदस्य पूछ लेते हैं कि मैंने यह पूछा और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया है, या पूरा नहीं दिया है और वह फिर प्रश्न कर लेते हैं और मैं उसकी अनुमति भी दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

नोट- नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-। के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

जनपद गाजीपुर की नगरपालिका का सीमा विस्तार

*2-श्री उदय प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका गाजीपुर जनपद गाजीपुर का चुनाव सीमा विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया था? यदि हां, तो उक्त सीमा विवाद का निस्तारण आज तक न होने के क्या कारण हैं? उक्त चुनाव कब तक कराये जायेंगे?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

नगरपालिका, गाजीपुर की सीमा विस्तार के निस्तारण का प्रकरण विचाराधीन है।

सीमा विस्तार के संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर चुनाव कराये जायेंगे।

उ0प्र0 जल संस्थान में ज्येष्ठता के आधार पर महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्ति करने की माँग

*3-श्री भारत सिंह रावत-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 जल संस्थान पालिका सेवा के सेवा संबंधी नियमों के कारण कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी तत्काल सेवा नियम बनाये जाने के आदेश देंगे तथा सेवा नियम बनाने तक तदर्थ सिद्धान्त बनाकर ज्येष्ठता के आधार पर महा प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति प्रदान करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार

जी नहीं।

महाप्रबन्धक के पद पर नियमित चयन न हो सकने के कारण संबंधित संस्थान के वरिष्ठतम् अधिशासी अभियन्ता को स्थानीय रूप से महाप्रबन्धक का कार्य देखने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त सेवा के अभियन्ताओं के लिये उ0प्र0 पालिका और जल संस्थान जलकल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1986 बनी हुई है, जिसके नियम-7 के अनुसार उ0प्र0 पालिका (केन्दीयित) सेवा नियमावली, 1966 के प्राविधान भी लागू होते है।

उक्त नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार महाप्रबन्धक के पद पर नियमित चयन का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को सन्दर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 की शाखा विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन में कार्यरत कर्मचारियों को विनियमित करने की मांग

*4-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संस्थाओं में तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण के लिये जारी शासनादेश संख्या 3124/12 सी-2-151 (5)-83, दिनांक 30-7-85 में क्या इस बात का उल्लेख है कि उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 की शाखा विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन में विगत 1979 से कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण न किया जाये? यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण अभी तक क्यों नहीं किया गया? क्या यह सही है कि विनियमितीकरण न होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों का विनियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार वालियान)-

शासनादेश संख्या 3124/12 सी-2-151 (5)/83, दिनांक 30-7-85 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा लागू की गयी संशोधित विनियमावली में केवल उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पदों पर सहकारी संस्थाओं में तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण किये जाने का प्राविधान है। तथापि उक्त विनियमावली में विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन के कर्मचारियों के विषय में पृथक से कोई उल्लेख नहीं है।

संशोधित विनियमावली के विनियम संख्या-1(1) एवं 4(1) के प्राविधानों एवं उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली-1981 के नियम संख्या 3 ए (VI) में परिभाषित कर्मचारी की श्रेणी में विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारी नहीं आते हैं। अतः विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारी शासनादेश संख्या 3124/12सी-2-151(5)/83, दिनांक 30-7-85 में वर्णित प्राविधानों के अधीन विनियमितीकरण हेतु पात्र नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण विनियमावली 1985 में विश्व बैंक प्रोजेक्ट कर्मचारियों के विनियमितीकरण का कोई उल्लेख न होने के कारण उनके विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद्, इन्दिरा नगर की समीपवर्ती बस्तियों में जलापूर्ति

*5-श्री लाखन सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में इन्दिरा नगर से लगी हुई बस्तियों, पटेल नगर, शालीमार गार्डेन, पानीगांव, इस्माइलगंज आदि में पानी की भीषण किल्लत के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त बस्तियों को समीपवर्ती आवास एवं विकास परिषद् के ओवरहेड टैंकों से जोड़कर पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था की जायेगी व वहां के निवासियों से जलकर लेकर पानी की आपूर्ति की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

पटेल नगर, शालीमार गार्डेन, पानी गांव, इस्माइलगंज, आदि बस्तियों में पाइप द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था नहीं है।

जी नहीं, उक्त व्यवस्था आवास एवं विकास परिषद् की बस्तियों के लिये ही पर्याप्त है।

पाइप द्वारा जलापूर्ति व्यवस्था से पूर्व जलकर आरोपित नहीं किया जा सकता है। उक्त व्यवस्था धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी के फार्मासिस्टों के स्थानान्तरण का मामला

*6-श्री हाजी मोहम्मद वसीम-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1635-सेक-2/पांच-89-4 (26)/88, दिनांक 12 अप्रैल, 1989 के माध्यम से स्थानान्तरित किये गये उत्तर प्रदेश सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेंसरी के फार्मेसिस्टों को माह जुलाई, 1991 में सचिवालय डिस्पेंसरी में पुनः नियुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो उनको किन विशिष्टियों के अंतर्गत तथा क्या उनकी सचिवालय में पुनः नियुक्ति करते समय उन कारणों को भी देखा गया जिसके आधार पर उनका सचिवालय डिस्पेंसरी से पूर्व में स्थानान्तरण किया गया था?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय डिस्पेंसरी में स्थानीय व्यवस्था पर दो

फार्मेसिस्टों की तैनाती कर दी गयी थी जिन्हें अब सचिवालय डिस्पेंसरी से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को चेतावनी दे दी गयी है।

*7-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम लखन-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की माँग

*8-श्री मथुरा प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगरपालिका सण्डीला, जनपद हरदोई में बस स्टेशन से रेलवे क्रासिंग होकर इमलियाबाग तक जाने वाली मुख्य सड़क की दशा अत्यन्त ही खराब एवं जीर्ण होने के कारण नागरिकों को आवागमन में अत्यधिक असुविधा होती है एवं विगत महीनों में सड़क की खराबी के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं? क्या शासन के अधीन उक्त सड़क के जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना है? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त सड़क को कब तक ठीक करा दिया जायेगा? क्या इस कार्य हेतु कोई धनराशि आवंटित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ, किन्तु विगत महीनों में सड़क की खराबी के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991-92 में नगरपालिका सण्डीला को सड़कों के निर्माण/मरम्मत हेतु रु0 3,90,000 स्वीकृत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण अंचलों में हैण्ड पम्प के स्थान पर पक्के कुओं के निर्माण की माँग

*9-श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री घनश्याम शुक्ल तथा श्री शिवपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्रामीण अंचलों में लगाये गये हैण्ड पम्पस के कभी-कभी खराब होने की दशा में तथा वहां मैकेनिक (मिस्त्री) उपलब्ध न होने के कारण वे

महीनों तक खराब पड़े रह जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में हैण्ड़ पम्पस के स्थान पर पक्के कुएं बनाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

अस्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों की सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र मरम्मत करा दी जाती है। इसके लिये सामान्यतः ब्लाक स्तर पर एक मैकेनिक की व्यवस्था है। परन्तु स्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्प जिनको उखाडकर, बोरिंग करके पुनः स्थापित करना होता है, समुचित धन उपलब्ध होने पर ही ठीक कराये जा सकते हैं।

जी नहीं।

क्योंकि सामान्यतः साधारण कुएं का जल पीने के लिये उपयुक्त नहीं है तथा प्रथम स्ट्रेटा का होने के कारण इसको प्रदूषण से बचानां अत्यन्त कठिन है।

प्रदेश की नगरपालिकाओं एवं टाउन एरिया में चुंगी की समाप्ति

*10-श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पिछली जनता दल सरकार ने प्रदेश में चुंगी समाप्त करने का निर्णय लिया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस निर्णय से प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं एवं टाउन एरिया की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण कर्मचारियों को नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण अधिकांश जगह हड़ताल चल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त निर्णय पर दुबारा विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

नगरपालिकाओं की चुंगी समाप्ति से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति प्रतिमाह शासन द्वारा की जा रही है।

टाउन एरिया में चुंगी लागू नहीं थी। अतः चुंगी समाप्ति से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी महापालिका में अविवादग्रस्त दाखिल खारिज के मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश

*11-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 89 से अब तक वाराणसी महापालिका में नाम चढ़ाने हेतु दाखिल-खारिज के अविवादग्रस्त कितने मामलें दाखिल किये गये और उनमें से कितने निर्णीत हो चुके हैं और कितने लम्बित पड़े हैं? क्या अविवादग्रस्त दाखिल खारिज के मामलों को एक निश्चित अवधि के अन्दर निपटा दिये जाने हेतु कोई निर्देश मुख्य नगर अधिकारी को सरकार देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनवरी, 1989 से अब तक नगर महापालिका, वाराणसी में दाखिल खारिज हेतु कुल 17,901 मामले अविवादग्रस्त दाखिल हुए इनमें से 5,192 मामले निर्णीत हो चुके हैं तथा 12,709 मामले लम्बित हैं।

अविवादग्रस्त मामले नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 213 के अंतर्गत एक माह का नोटिस संबंधित व्यक्ति को कार्यकारिणी समिति अथवा उप समिति द्वारा दिये जाने के उपरान्त निपटाये जाने का प्राविधान है। नगर महापालिकाओं को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर दाखिल खारिज के प्रकरण तुरन्त निबटाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गये हैं।

*12-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

(3रे शुक्रवार के लिए स्थगित)

पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सी0पी0एम0टी0 परीक्षा 1991 में बरती गयी अनियमितता के संदर्भ में दोषसिद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*13-श्री कटार सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा में प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता भंग हुई थी तथा परीक्षा केन्द्रों पर विद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रश्न-पत्रों के हल परीक्षार्थियों को पहुंचाये गये थे? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार पूर्वांचल विश्वविद्यालय के उपकुलपति को तुरन्त निलम्बित करेगी तथा प्रश्न-पत्रों को आउट करने तथा उनके हल

परीक्षार्थियों तक पहुंचाने में दोषी शिक्षकों तथा कर्मचारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर सी0पी0एम0टी0 1991 की परीक्षा निरस्त कर पुनरायोजित की जा चुकी है।

प्रश्नगत जाँच अभी चल रही है, जिसके पूर्ण हो जाने के उपरान्त दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

तत्कालीन कुलपति, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सेवानिवृत्त हो चुके हैं अतः निलम्बित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद नगर में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही की मांग

*14-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद नगर में पेयजल की भीषण समस्या बन गयी है? यदि हां, तो पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

नगर में पेयजल की भीषण समस्या बन जाने की कोई सूचना नहीं है।

नगर में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु यू0 पी0 अरबन डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*15-श्री लीला राम शर्मा-

(4 थे मंगल में ता0प्र0सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मैनपुरी के करहल बाईपास चौराहे पर, डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने हेतु अनुमति न दिया जाना

*16-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डा0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा करहल बाई पास चौराहा, मैनपुरी पर स्थापित करने हेतु दिनांक 19-12-1986 को प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो

क्या उसी समय साढ़े नौ फीट ऊंचा स्तम्भ, प्रतिमा लगाने के लिए निर्मित करा दिया गया था? यदि हां, तो क्या अम्बेडकर प्रचार समिति, मैनपुरी को प्रतिमा स्तम्भ पर लगाने के लिए रोका गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी हां।

पूर्व अनुमति की अवधि समाप्त होने पर पुनः अनुमति माँगी गई जो कानून व्यवस्था के आधार पर नहीं दी गयी।

महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (मुख्यालय) में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा न करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

*17-श्री ओम प्रकाश दिवाकर तथा श्री सन्त बख्श रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (मुख्यालय) में वरिष्ठ लिपिक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके समक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ लिपिक में नियमानुसार आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों? यह कोटा कब पूरा किया जायेगा? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (मुख्यालय) में वरिष्ठ लिपिकों के कुल 88 पद स्वीकृत हैं जिनके समक्ष अनुसूचित जाति के 9 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनुसूचित जन जाति का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

जी नहीं।

वरिष्ठ लिपिक के पद शत प्रतिशत कनिष्ठ लिपिकों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका।

जैसे-जैसे कनिष्ठ लिपिक पदोन्नति हेतु पात्र होते जायेंगे उनको प्रोन्नत कर आरक्षित कोटा पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी।

कोटा पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के आदेश महानिदेशक को दे दिये गये हैं।

उत्तरदायित्व निर्धारित होने पर जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

ग्रामीण आंचलों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने की मांग

*18-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवायें सुलभ कराने हेतु सचल स्वास्थ्य सेवा (ग्रामीण) बनाकर गांव-गांव में जाकर कैम्प लगाने तथा ग्रामीणों को कुछ मूल रोगों बीमारियों, महामारियों (सांप काटने आदि की घटना) के लक्षण तथा रोकथाम की जानकारी देने तथा उनको स्वास्थ्य साहित्यों को उपलब्ध कराकर स्वतः मामूली बीमारियों के उपचार हेतु स्वावलम्बी बनाने के बारे में सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी तथा वह योजना प्रदेश में कब तक लागू कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*19-डा0 दिनेश जौहरी, श्री नन्द राम तथा श्री श्याम बिहारी सिंह-

(1ले मंगलवार में ता0प्र0सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्लान एवं बजट के पद पर स्वीकृति के बिना कथित नियुक्तियां करके शासनादेश का उल्लंघन किया जाना

*20-श्री हरदेव सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्लान प्रोजेक्ट एवं कार्मिक के कुल 62 पद प्रत्येक जनपद के लिए एक पद सृजन हेतु चिकित्सा अनुभाग-3 द्वारा शासनादेश दिनांक 26-10-89 जारी किया गया था? यदि हां, तो क्या इस एक पद पर बाद में दो अधिकारियों, एक को प्लान एवं बजट अधिकारी दूसरे को कार्मिक अधिकारी नाम देकर नियुक्तियां की गयी है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्लान एवं बजट के इस नए अतिरिक्त पद पर स्वीकृति के बिना कैसे नियुक्तियां करके शासनादेश दिनांक 20-2-91 द्वारा कार्य आवंटित किये गये हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर बिना स्वीकृति

प्राप्त इस पद को समाप्त करेगी? शासनादेश का उल्लंघन करने हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं। एक पद पर दो अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं की गई है बल्कि उपर्युक्त शासनादेश में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त वरिष्ठ वेतनमान में पूर्व में उपलब्ध पदों के विरुद्ध कार्यरत उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के मध्य दायित्वों के निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या-1504 सेक-3/पॉच-91-10(15)/85, दिनांक 20 फरवरी, 1991 के द्वारा उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रतिरक्षण) (कार्मिक) एवं (प्लान एवं बजट) के पदनाम से नामित किया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में सुलभ शौचालयों का निर्माण अनुभव प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाओं से कराया जाना

1-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सुलभ शौचालयों के निर्माण के कार्य पर सुलभ इन्टरनेशनल नाम की एक संस्था का पिछले एक दशक से एकाधिकार बना हुआ है? स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा इस कार्य हेतु प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर नहीं निकाला जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया जाता है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश सरकार की स्थानीय निकाय निदेशालय का पचासों करोड़ रुपया इस संस्था को कई वर्षों से अग्रिम के रूप में दिया गया है तथा इस संस्था द्वारा शौचालयों का निर्माण कम से कम पांच सालों में किया जाता है? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है? क्या विभाग द्वारा इस संस्था से कोई विलम्ब शुल्क आर्थिक दण्ड के रूप में लिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उनको दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं। सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य शासन द्वारा मान्यता

प्राप्त चार संस्थाओं से कराया जाता रहा है ।

जी नहीं ।

शासन द्वारा इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्त स्वयं सेवी संस्थाओं से निर्माण कार्य कराया जाता है जो सुलभ शौचालयों का संचालन लम्बे अरसे से कर रहे हैं । स्थानीय निदेशालय द्वारा सुलभ शौचालय मद में कोई धनराशि संस्था को अग्रिम के रूप में नहीं दी गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई ।

यदि कोई अनियमितता का मामला प्रकाश में आता है तो मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी

जनपद लखनऊ के कटारी टोला चौक के भवन स्वामी श्री बाबू राम मेहरोत्रा को रिफण्ड की धनराशि का भुगतान

2-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भवन स्वामी श्री बाबू राम मेहरोत्रा निवासी 324/77-78, कटारी टोला, चौक लखनऊ-3 ने प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के कार्यालय में रु0 84.00 (चौरासी) का रिफण्ड दिए जाने से संबंधित पत्र दि0 26-12-84 को प्राप्त करवाया है? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित धनराशि रु0 84.00 का भुगतान मय ब्याज सहित संबंधित भवन स्वामी को करवा दिया गया? यदि हां, तो कब भुगतान हुआ? यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रकरण में बरती गयी लापरवाही के संबंध में संबंधित अधिकारी को दण्डित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र महापालिका में प्राप्त होने की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी ।

भवन स्वामी से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उनके द्वारा जमा टैक्स का आगणन करने के उपरान्त उन्हें रु0 353/- मात्र दिनांक 7-2-92 को वापस कर दिया गया है ।

प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की गई है ।

रिफण्ड के भुगतान में किसी अधिकारी द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अतः किसी को दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के प्रभारी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा फाइलेरिया वाहन का प्रयोग

3-श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मलेरिया एवं फाइलेरिया कार्यक्रमों के अंतर्गत जनपद बाराबंकी में मार्च 1991 में प्रभारी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कार्यकारी मलेरिया एवं फाइलेरिया अधिकारी से बिना मांग-पत्र लिए लाखों रुपये का अनुपयोगी सामान क्रय किया है? क्या यह सही है विभागीय आदेशों के विपरीत फाइलेरिया वाहन को जनवरी, 1991 से अब तक फाइलेरिया कार्यक्रम में न चलाकर अन्य कार्यक्रमों एवं व्यक्तिगत कार्यों में उपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या इसका भुगतान फाइलेरिया बजट से ही दिया गया है? उक्त अवधि में कुल व्यय कितना हुआ एवं कुल क्रय किए गए सामान की सूची एवं उसका मूल्य तथा उपयोग, क्रय करने वाले अधिकारी के नाम की सूचना सहित सदन के पटल पर रखेंगे? क्या दोषी अधिकारी के खिलाफ सरकारी पद एवं धन का दुरुपयोग करने के कारण कार्यवाही करेंगे?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

संयुक्त निदेशक, मलेरिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा फाइलेरिया वाहन का उपयोग कार्यक्षेत्र में किया गया है। चूंकि उपमुख्य चिकित्साधिकारी के पास अनेक कार्यक्रम होते हैं, अतः एक कार्यक्रम के वाहन से जाने पर उनके द्वारा अन्य कार्यक्रमों को भी सम्पादित किया जाता है। वाहन का प्रयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया गया है।

फाइलेरिया वाहन पर किया गया व्यय फाइलेरिया बजट के अतिरिक्त मलेरिया बजट से भी वहन किया गया है।

माह जनवरी से जून 1991 तक फाइलेरिया वाहन पर रु0 12094.25 की धनराशि व्यय हुई। माह मार्च 1991 में मलेरिया एवं फाइलेरिया कार्यक्रमों के लिए क्रमशः रु0 16,095.95 एवं रु0 7859.00 कुल रु0 24754.95 का सामान क्रय किया गया जिसकी सूची संलग्न है। इसका उपयोग मलेरिया एवं फाइलेरिया कार्यक्रम में किया गया। क्रय करने वाले अधिकारी डा0 दया प्रकाश, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी, तृतीय हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 201-202 पर)

जनपद महराजगंज के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव का स्थानान्तरण

4-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आशुलिपिक, मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय महराजगंज का स्थानान्तरण डा0 बी0 बी0 श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य महानिदेशालय के पत्रांक 4 क/ए/932-35, दिनांक 6-3-91 के द्वारा पिथौरागढ़ किया गया था किन्तु उन्होंने अपना स्थानान्तरण रुकवा लिया। जबकि उनके विरुद्ध जांच आख्या निदेशक, प्रशासन ने अपने पत्र दिनांक 10-5-91 के द्वारा शासन को प्रेषित की थी? यदि हां, तो क्या सरकार उनका स्थानान्तरण निदेशक, प्रशासन की संस्तुति के अनुसार तुरन्त पिथौरागढ़ करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ से पद रिक्त न होने की सूचना पर श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव का स्थानान्तरण रोका नहीं गया बल्कि संशोधित करते हुए जनपद वाराणसी में रिक्त पद पर किया गया है।

निदेशक(प्रशासन) के पत्र दिनांक 10-5-91 द्वारा श्री श्रीवास्तव का स्थानान्तरण मण्डल से बाहर करने की संस्तुति की गयी है। तद्नुसार ही श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव का स्थानान्तरण मण्डल से बाहर किया गया है। श्री श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 5-8-91 को जनपद वाराणसी में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के थाना हजरतगंज के मार्टिन पुरवा में कतिपय व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

5-श्री हरेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मार्टिन पुरवा, थाना हजरतगंज लखनऊ के निवासीगण सर्वश्री लालजी, श्याम सूरत तिवारी, खान आदि का

प्रार्थना पत्र श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दिनांक 10-10-1991 को उन्हें नगर विकास सचिव तथा नगर प्रशासक नगर महापालिका, लखनऊ जो मार्टिन पुरवा की सार्वजनिक भूमि पर श्री रामचन्दर उर्फ मुन्ना ठेकेदार एवं श्री रमेश सहगल द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके आवास बनाये जाने व जनता के आने जाने वाले मार्ग पर गाय के खूंटे गाड़ कर मार्ग अवरुद्ध करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों? सार्वजनिक भूमि पर से अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मामले में नगर महापालिका द्वारा की गई जांच पड़ताल से यह ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता श्री लाल जी तथा श्री रमेश के मध्य स्थानीय न्यायालय में विवादित भूमि से संबंधित एक वाद चल रहा है।

चूंकि प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। अतः मामले में समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है।

स्वास्थ्य भवन के परिवहन शिविर कार्यालय में स्टोर कीपर को कार्य हित में सम्बद्ध करने का मामला

6-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वास्थ्य भवन के परिवहन शिविर कार्यशाला में स्टोर कीपर का पद सृजित है? यदि नहीं, तो वहां दस वर्षों से स्टोर कीपर को सम्बद्ध रखने का क्या औचित्य है? क्या उक्त स्टोर कीपर के मूल तैनाती के स्थान पर स्टोर दस वर्षों से बन्द है जिसके कारण उसके चार्ज में रखे नये कल पुर्जों का अवमूल्यन हो रहा है? शिविर कार्यशाला में अनधिकृत रूप से स्टोर कीपर को सम्बद्ध करने के लिए कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

स्टोर कीपर को 10 वर्षों से नहीं बल्कि दिनांक 16-11-89 से

शिविर कार्यशाला स्वास्थ्य भवन में कार्यहित में सम्बद्ध किया गया है।

स्टोर कीपर के चार्ज में यूनीसेफ द्वारा प्रदत्त कल पुर्जे हैं। यूनीसेफ़ द्वारा प्रदत्त पुरानी वाहनें निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम कर दी गयी हैं, जिसके फलस्वरूप उक्त स्टोर में रखे कल पुर्जे अनुपयोगी हो गये हैं। स्टोर में रखे कल पुर्जों को नीलाम करने हेतु महानिदेशालय से शासन में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 घनश्याम सिंह के विरुद्ध कथित शिकायतों की जांच तथा स्थानान्तरण के पश्चात् पुनः उसी स्थान पर तैनाती का औचित्य

7-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 घनश्याम सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर जब जनपद अलीगढ़ में मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उनके कार्यकाल में फर्जी नसबंदी की शिकायत प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की जांच के दौरान कुछ अधिकारी/कर्मचारी निलंबित हुये थे तथा डा0 घनश्याम सिंह के भी दोषी पाये जाने पर उनका स्थानान्तरण वहां से हो गया था? यदि हां, तो डा0 घनश्याम सिंह को पुनः मुख्य चिकित्साधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर तैनात करने का क्या औचित्य है? क्या सरकार इन्हें अन्य पद पर स्थानान्तरित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

उक्त जांच में डा0 घनश्याम सिंह दोषी नहीं पाये गये थे और न ही डा0 सिंह का स्थानान्तरण फर्जी, नसबन्दी में दोषी पाये जाने पर किया गया था।

शेष का प्रश्न नहीं उठता

जनपद मिर्जापुर में स्वीकृत अहरौरा अस्पताल के निर्माण हेतु धनराशि

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मिर्जापुर)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में अहरौरा अस्पताल स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब? उक्त अस्पताल कब तक पूरा कराये जाने की सम्भावना है? क्या सरकार ने उक्त अस्पताल

के निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कब? उक्त धन का उपयोग अब तक न किये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

दिनांक 2-12-86 को।

अधिग्रहीत भूमि पर न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य पूर्ण कराये जाने की सम्भावित तिथि, सूचित करना सम्भव नहीं है।

जी हाँ। शासनादेश दिनांक 2.12.86 के द्वारा लाटरी फण्ड से रु0 12.00 लाख स्वीकृत किया गया।

धन का उपयोग अधिग्रहीत भूमि पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः किसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करनें का कोई प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र/मिर्जापुर के विकास खण्ड राबर्टगंज चतरा/राजगढ़ के ग्रामों में इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्पों का लगाया जाना

9-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड राबर्टगंज चतरा में स्थिति बढ़ौली कुसाही पेयजल योजना तथा जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ स्थित सशक्तेशगढ़ पेयजल योजना व डोंगिया पेयजल योजना पर अब तक कितनी धनराशि शासन द्वारा व्यय की गयी है? उक्त पेयजल योजनाओं से कितने गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है? क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं से पानी की आपूर्ति समुचित मात्रा में नही हो पा रही है? यदि हां, तो क्या उन गांवों में इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगवाये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्नगत बढ़ौली कुशाही, शक्तेशगढ़ व डोंगिया (राजगढ़ सुकृत) ग्राम समूह पेयजल योजनाओं पर क्रमशः रु0 351.04 लाख, रु0 59.49 लाख व रु0 163.08 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

वर्तमान में उक्त पेयजल योजनाओं के क्रमशः 55, 18, व 12 ग्रामों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी हाँ। बाधित विद्युत आपूर्ति, रखरखाव हेतु धनाभाव तथा वर्षाऋतु में भीषण वर्षा आदि ही इसके अपरिहार्य कारण रहे हैं।

उक्त के निवारणार्थ इन योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों में योजनावार क्रमशः 126, 101 व 126 इण्डिया मार्क-11 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं।

10-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(3रे शुक्रवार के लिए स्थगित)

प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां किया जाना

11-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इस समय प्रदेश में 300 के करीब नर्स का प्रशिक्षण प्राप्त महिलायें बेकार हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनको काम पर लगाने का कोई उपाय कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान नियमों/शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध पदों पर केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ किया जाना सम्भव है।

जनपद लखनऊ के पोस्ट हजरतगंज के ग्राम जियामऊ में प्रकाश की व्यवस्था

12-श्री मुनव्वर हसन तथा श्री झाऊ लाल यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम जियामऊ, पोस्ट हजरतगंज लखनऊ की अनुसूचित जाति की बस्ती में अभी तक पूर्ण रूप से प्रकाश की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या तीन स्ट्रीट लाईट पोल वहां पर लगवाने के लिए नगर महापालिका लखनऊ को अतिरिक्त धन स्वीकृत करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं? तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

ग्राम जियामऊ पोस्ट हजरतगंज लखनऊ का निरीक्षण करते समय

नागरिकों की मांग पर दो पोल लगाये जाने हेतु विभाग द्वारा रु0 7,170/- का व्ययानुमान बनाया गया है जिसके लिए नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा निविदा भी आमंत्रित कर ली गई है ।

विश्व बैंक के कर्मचारियों की नियुक्तियों का विनियमितीकरण करने की मांग

13-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के अध्यक्ष ने अपने पत्र संख्या 1240/मण्डल/85, दिनांक 25 अक्टूबर, 1985 प्रबंन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ को यह निर्देशित किया था कि विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 का ही एक अंग है अतः इसके गैर तकनीकि कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु चयन समिति की बैठक शीघ्र बुलवा कर इनका विनियमितीकरण किया गया? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या कर्मचारियों का विनियमितीकरण चयन समिति बुलाकर किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विनियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हाँ ।

शासनादेश संख्या 3124/12सी-2-151(5)/83, दिनांक 30-7-85 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना द्वारा लागू की गयी संशोधित विनियमावली में केवल उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के अन्तर्गत आने वाले पदों पर सहकारी संस्थाओं में तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण किये जाने का प्राविधान है । तथापि उक्त विनियमावली में विश्व बैंक प्रोजेक्ट डिवीजन के कर्मचारियों के विषय में पृथक से कोई उल्लेख नहीं है । उक्त संदर्भित संशोधित विनियमावली के विनियम संख्या-1(1) एवं 4-(1) के प्राविधानों एवं उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली-1981 के नियम संख्या-3 ए( ) में परिभाषित कर्मचारी की श्रेणी में विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारी नहीं आते हैं । अतः विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारियों का शासनादेश संख्या 3124/12सी-2-151(5)/83, दिनांक 30-7-85 द्वारा अधिसूचित संशोधित विनियमावली के अधीन विनियमितीकरण नहीं किया गया ।

अतः विश्व बैंक परियोजना के कर्मचारियों का बैंक की सेवा में विनियमितीकरण किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

सी0 एम0 एस0 डी0 प्रभाग स्वास्थ्य निदेशालय उ0प्र0 द्वारा दूसरे प्रदेश की वृहद् इकाई को क्रयादेश देने का कारण

14-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एम0 एस0 डी0 प्रभाग स्वास्थ्य निदेशालय उ0प्र0 के अन्तर्गत टेण्डर नं0 8 एफ0/सी0 एम0 एस0 डी0/75 (एम0) 90-91/क्यू0 सी0/82, दिनांक 3-1-91 के आईटम नं0 58 एवं 60 के अंतर्गत दो फार्मों की दरें एक ही थी? यदि हां, तो उक्त फर्मों के नाम एवं रेट क्या-क्या थे? यदि दरें समान थी तो समान दर होने के बावजूद प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाई को क्रयादेश न देकर दूसरे प्रदेश की वृहद् औद्योगिक इकाई को क्रयादेश देने का कारण क्या था? क्या उक्त लघु औद्योगिक इकाई की औषधियों की गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई थी? यदि नहीं, तो क्रयादेश देने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

बराबर दर वाली दो फर्में (1)-श्रीमतं न्यू इडिंया फार्मास्यूटिकल्स, सदर बाजार हरदोई तथा (2) श्रीमतं टी0 टी0 के0 फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मद्रास थी। इन फर्मों के आइटम सं0-58 के लिये दर 82.80 रु0 तथा आइटम सं0-60 के लिये 14.50 रुपये दर थी।

प्रश्नगत निविदा में आइटम सं0-58 का फार्मूला पिछले वर्ष (1989-90) के फार्मूले से भिन्न होने के कारण तथा आइटम सं0-60 आमन्त्रित निविदा के शर्तों के अनुरूप न होने के कारण किसी भी फर्म से क्रय नहीं किये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य शिक्षा समिति कौथेलिया, तुदवल, पहूतेरा व पेंग, जनपद हरदोई द्वारा कतिपय अध्यापकों के विरुद्ध शिक्षण कार्य में रुचि न लेने की शिकायत

15-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा विभाग का यह स्पष्ट निर्देश है कि ग्राम्य स्तर पर स्थित प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के विरुद्ध यदि ग्राम्य शिक्षा समिति कोई प्रस्ताव कर देती है तो उस अध्यापक पर, प्रस्ताव के अनुरूप तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित होती है? यदि-

हां, तो क्या यह सत्य है कि जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा की ग्राम शिक्षा समिति कौथेलिया, तुदवल, पहूतेरा व पेंग ने वहां तैनात कुछ अध्यापकों के विरुद्ध शिक्षण कार्य में रुचि न लेने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई को माह जुलाई, 1991 में भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवप्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत भवन विहीन प्राथमिक पाठशालाओं का विवरण एवं प्रा0पा0 हरपुर तथा गोसाईपुर के भवन निर्माण की मांग

16-श्री राम लखन-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत प्रा0 पा0 हरपुर तथा प्रा0 पा0 गोसाईपुर के भवन निर्माण हेतु धन का आवंटन हुआ है? यदि हां, तो कब और कितना? क्या भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? इस हेतु दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? उक्त विद्यालयों का भवन निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

17-श्री राम लखन-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के तहसील जलालपुर में वर्ष 89-90, 90-91 तथा 91-92 में कितने प्रा0 पाठशालाओं को कितना धन भवन निर्माण हेतु आवंटित किया गया? किन-किन प्राइमरी स्कूलों का भवन बन कर तैयार हो गया है और किन स्कूलों का अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ? क्या यह भी बतायेंगे कि जलालपुर तहसील

क्षेत्र में कौन-कौन प्राइमरी स्कूल भवन विहीन हैं और उनका निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर में वर्ष 89-90 में 10 प्राइमरी स्कूल हेतु रुपया 9,00,000-00 तथा वर्ष 90-91 में 11 विद्यालयों के निर्माण हेतु रु0 9,90,000-00 आवंटित किया गया। वर्ष 91-92 में प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण हेतु धन का आवंटन नहीं हुआ है।

वर्ष 89-90 में स्वीकृत 10 प्राइमरी पाठशाला भवन तथा 90-91 में स्वीकृत 8 प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। वर्ष 90-91 में स्वीकृत शेष तीन प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सूची संलग्न है।

जनपद फैजाबाद के तहसील जलालपुर में संलग्न सूची में उल्लिखित 12 प्राइमरी पाठशाला भवन विहीन हैं, जिनका निर्माण जिला योजना में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पूर्ण कराने की कार्यवाही की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 203-204 पर)

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड-इगलास के ग्राम कांका प्राइमरी विद्यालय के भवन निर्माण की मांग

18-श्री श्रीराम-

क्या शिक्षा मंत्री (प्राथमिक शिक्षा) कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ के खण्ड विकास इगलाश की ग्राम सभा नंगला नहचला मोहन के मजरा ग्राम-कांका में जिला परिषद् की ओर से लगभग 9 वर्षों से प्राइमरी विद्यालय संचालित है? यदि हां, तो क्या उक्त मजरा ग्राम "कांका" के गाटा सं0-7 में शासन की ओर से विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद अलीगढ़ के स्तर से प्लाट का नजरी नक्शा दिनांक 16-2-88 को पास कर दिया गया है? यदि हां, तो अभी तक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण न होने का कारण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम सभा नंगला नहचला मोहन के मजरा ग्राम कांका की आबादी लगभग 1000 होते हुए भी मात्र 350 की आबादी वाले ग्राम नंगला नहचला में विद्यालय का भवन निर्माण कराये जाने की शासन की कोई योजना है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी हाँ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अलीगढ़ द्वारा अन्यत्र स्थान पर निर्माण प्रारम्भ कराने के कारण इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। प्रकरण की जाँच करायी जा रही है।

ग्राम कांका के अतिरिक्त ग्राम नगला नहचला में विद्यालय भवन निर्माण कराने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

19-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

(तीसरे मंगलवार में अता0प्र0सं0-180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

20-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

(3रे शुक्रवार के लिए स्थगित)

जवाहर रोजगार के अनुरूप नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगारों के लिए आवास की सुविधा आदि देने की मांग

21-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में भूमिहीनों को सरकार द्वारा राहत एवं आरक्षण प्रदान किये जाने की भांति क्या शहरी गरीबों, जिनके पास रहने को मकान नहीं है और जो जीवन यापन के लिये मजदूरी करते हैं? उन्हें भी राहत एवं आरक्षण की सुविधा सरकार प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए चलाई जा रही जवाहर योजना के अनुरूप नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगार एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा आवास की सुविधा हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित नेहरू रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत तीन उपयोजनाएं चलाई जा रही हैं :-

1- नगरीय लघु उद्यम योजना-

गरीब व्यक्तियों को लघु उद्यम स्थापित करने हेतु 75% ऋण एवं 25% अनुदान दिया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण भी दिये जाने की योजना है।

2-नगरीय मजदूरी रोजगार योजना-

सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से गरीब व्यक्तियों को सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण द्वारा रोजगार उपलब्ध कराना।

3- नगरीय आश्रय सुधार योजना-

नगरीय गरीब व्यक्तियों को आवास निर्माण एवं झुग्गी झोपड़ी सुधार हेतु आर्थिक सहायता तथा तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना। इसके अन्तर्गत 75% ऋण एवं 25% अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय की ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी के कतिपय कर्मचारियों द्वारा अभिलेख गायब करने के सम्बन्ध में की गयी जांच आख्या

22-श्री हाजी मोहम्मद वसीम-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय चिकित्सालय (एलोपैथिक) के वर्ष 1988-89 के हुए विशेष सम्परीक्षा जाँच में कतिपय कर्मियों को महत्वपूर्ण अभिलेखों को गायब करने का दोषी पाया गया था? यदि हां, तो ये कौन-कौन कर्मी हैं तथा इनके विरुद्ध दिनांक 1-8-91 तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री कल्याण सिंह-

वर्ष 1988-89 में सचिवालय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी के लेखों की सम्प्रेक्षा के दौरान सम्प्रेक्षा दल को कतिपय अभिलेख न प्रस्तुत करने तथा सम्प्रेक्षा में उठाये गयें अन्य अनियमितताओं की जाँच हेतु दिनांक 24 अप्रैल, 1991 को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक जाँच के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को आरोप पत्र जारी किये गये हैं:-

1- श्री एस0 एन0 मिश्र, फार्मासिस्ट।

2- श्री मोहम्मद इलियास, फार्मासिस्ट।

3- श्री आर0 एस0 मिश्र, फार्मासिस्ट।

जांच की अन्तिम आख्या प्रतीक्षित है।

23-श्री हाजी मोहम्मद वसीम-

(3रे शुक्रवार के लिए स्थगित)

उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम के आरोपित श्री ए0 एम0 खान क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध पारित दण्डादेश

24-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल व श्री सुधीर-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, खीरी ने अपने पत्र दिनांक 1-4-1991 एवं वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ एवं निदेशक, उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम ने अपने अर्धशासकीय पत्र दिनांक 10-4-1991 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम के दो अधिकारियों, जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम के फर्जी अधिकारी बनकर एवं फर्जी नाम से दिनांक 19-3-1991 को सरकारी गाड़ी सं0 यू0 आर0 ए0 3765 से नेपाल की यात्रा की थी, को निलम्बित कर जाँच कराने का आदेश दिया था? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध निगम ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस मामलें पर उचित कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुधीर कुमार वालियान-

जी हाँ।

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के संचालक मण्डल के सदस्य भी हैं, का पत्र दिनांक 10-4-91 नहीं बल्कि पत्र दिनांक दिनांक 18-4-91/10-5-91 प्राप्त हुआ था, जिसके साथ उन्हें सम्बोधित जिला मजिस्ट्रेट, खीरी का पत्र दिनांक 1-4-91 संलग्न था। पूरे प्रकरण का परीक्षण निगम के उप प्रबन्ध निदेशक से कराया गया जिसके आधार पर श्री ए0 एम0 खान, क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के विरुद्ध निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निम्न दण्डादेश पारित किये गये हैं:-

(1) श्री ए0 एम0 खान, क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ के दिनांक 19-3-91 को अनधिकृत रूप से नेपाल जाने तथा चेकपोस्ट पर फर्जी प्रविष्टि सम्बन्धी कृत्य की कठोर भर्त्सना की जाती है।

(2) दिनांक 19-3-91 की अनधिकृत नेपाल यात्रा को श्री खान की व्यक्तिगत यात्रा मानते हुये 70 किलोमीटर के व्यक्तिगत उपयोग के लिये रु0 2.50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से रु0 175/- की धनराशि उनके वेतन से वसूल की जाये।

उक्त धन की वसूली श्री खान से दि0 16-12-91 को की जा चुकी है।

निगम के दूसरे अधिकारी श्री पी0 एन0 महेन्द्रा, प्राविधिक सहायक अपने उच्चाधिकारी श्री ए0 एम0 खान, क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ के साथ थे। चूंकि श्री खान को उक्त प्रकरण में दण्डित किया जा चुका है। अतः उनके अधीनस्थ अधिकारी को दण्डित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला सरदारी खेड़ा (कुरियाना) आलमबाग के निवासियों द्वारा पानी के निकासी हेतु सीवर लाइन डालने की मांग

25-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहल्ला-सरदारी खेड़ा (कुरियाना), आलमबाग के निवासियों का माह अगस्त, 91 का कोई प्रार्थना-पत्र जो कमाऊ शौचालय को समाप्त करने एवं गन्दे पानी के निकासी हेतु गलियों में सीवर लाइन डालने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

धनाभाव के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका, सण्डीला में छोटा चौराहा से मूसापुर पुलिया तक सड़क का निर्माण

26-श्री मथुरा प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका सण्डीला, जनपद हरदोई में छोटा चौराहा से मूसापुर होते हुए दर्जी खेड़ा मोहल्ले तक जाने वाली सड़क पर लगा हुआ खड़ंजा बहुत ही खराब हालत में हैं जिससे उक्त सड़क पर पैदल चलना एवं किसी भी वाहन का आना जाना खतरनाक बन गया है? क्या सरकार उक्त सड़क को (छोटा चौराहा से मूसेपुर होकर पुलिया तक) पिच रोड (डामर सड़क) बनवाने का कष्ट करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर पालिका सण्डीला को रुपये 3,00,000

सड़क अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। यह नगरपालिका के कार्यक्षेत्र का विषय है कि वह उक्त सड़क का निर्माण डामर सड़क के रूप में कराये।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के गीतापल्ली आलमबाग के निवासियों द्वारा गन्दे पानी के निकासी हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही

27-श्री शिव दर्शन-

क्या नगर विकास मंत्री को गीता पल्ली, आलमबाग, लखनऊ में निवासियों का जलभराव एवं गन्दे पानी का निकास न होने के कारण उत्पन्न कठिनाई के संबंध में शिकायती पत्र दिनांक 14-8-91 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जल भराव की समस्याओं एवं गन्दे पानी की निकासी के संबंध में शासन द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है? उक्त समस्याओं को दूर करने हेतु शासन के विचाराधीन क्या कोई योजना है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक उसका कार्यान्वयन आरम्भ किया जायेगा?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

चूँकि उक्त कालोनी को एक निजी कालोनाइजर द्वारा विकसित किया गया है और अभी तक उसे नगर महापालिका को हस्तान्तरित नहीं किया गया है, अतः प्रश्नगत कार्य कराये जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय डिस्पेंसरी के वर्तमान वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण का कारण

28-श्री बच्चा पाठक-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के वर्ष 1991 में स्थानान्तरण किये जाने के लिए क्या नीति निर्धारित की गयी थी? क्या वर्तमान वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, सचिवालय डिस्पेंसरी, विगत 12 वर्षों से लखनऊ शहर में कार्यरत हैं? यदि हां, तो उन्हें अब तक स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री कल्याण सिंह-

शासनादेश संख्या-4763 सेक-3/पाँच-91 दिनांक 10-7-91 सपठित

शासनादेश संख्या-14(1)/90-कार्मिक-2, दिनांक 9-7-91 द्वारा सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये जिनमें एलोपैथिक चिकित्साधिकारी भी सम्मिलित हैं, स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी थी, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। +

जी नहीं।

जनपद गाजीपुर की टाउन एरिया में कार्यरत कतिपय दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

29-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र जो नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा पत्र संख्या-760 एम/9-1-91-180-च-91, दिनांक 31-9-91 तथा श्री विश्वनाथ शास्त्री संसद सदस्य का शिकायती पत्र जो नगर विकास अनुभाग-1 के पत्र संख्या-15एम0 पी0/9-1-91-180-च, दिनांक 14-8-91, द्वारा जिलाधिकारी गाजीपुर को भेजा गया है में उल्लिखित शिकायतों की जाँच सरकार द्वारा करायी गयी है? यदि हां, तो जाँच रिपोर्ट क्या है? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

(ख) जांच रिपोर्ट में अध्यक्ष व सचिव टाउन एरिया कमेटी, बहादुरगंज, अवर अभियन्ता मुहम्मदाबाद व सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग गाजीपुर दोषी पाये गये।

(ग) अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, बहादुरगंज को दिनांक 8 जनवरी, 1992 को पदच्युत कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के महिला चिकित्सालय (डफरिन) में नियुक्त लैब टैक्नीशियनों की संख्या एवं अन्य विवरण

30-श्री राम चन्द्र, सुश्री नीलम सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि स्थानीय महिला चिकित्सालय (डफरिन) लखनऊ में ऐसे कितने लैब टैक्नीशियन पिछले एक दशक से कार्यरत हैं, जिनकी मूल नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर है? क्या इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2823/सेक-6/5-1031/90, दिनांक 11 सितम्बर,

नोट:- छापी नहीं गई।

1990 के द्वारा इनकी सम्बद्धता को अवैध घोषित करके माह सितम्बर, 90 के वेतन को भी आहरित न करने का आदेश हुआ था? यदि हां, तो इनको अभी तक यहां से न हटाने तथा उक्त माह का वेतन भुगतान करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या सरकार इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए तत्काल इन लोगों की सम्बद्धता समाप्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

कोई नहीं।

जी हाँ।

तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 9-6-88 द्वारा उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलिहाबाद, लखनऊ की पैथोलोजी यूनिट को महिला चिकित्सालय (डफरिन) लखनऊ में स्थानान्तरण के फलस्वरूप एक अतिरिक्त लैब टैक्नीशियन महिला चिकित्सालय (डफरिन) लखनऊ में कार्यरत है। तात्कालिक प्रभाव से उक्त पैथोलोजी यूनिट को पुनः उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मलिहाबाद, लखनऊ स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिये गये हैं। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 द्वारा निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षिका महिला चिकित्सालय को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

31-श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री मामचन्द्र -

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 का पत्र सं0 4 फ/ए/156/75, दिनांक 19-10-90 निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षिका,महिला चिकित्सालय लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 में एन0सी0डी0सी0/ विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत अभ्यार्थियों की नियुक्ति तिथि सम्बन्धी विवरण

32-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ के अधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां किस तिथि तक कर दी जायेगी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ के अधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के पद पर 89 दिनों के लिये नियुक्ति हेतु क्या कोई विज्ञापन किया गया था जिसके अन्तर्गत नियुक्तियां की गई? यदि हां, तो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के नाम व उनके नियुक्ति की तिथियां क्या है? क्या उक्त नियुक्ति के पदधारक अभी तक निरन्तर सेवा में है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-196/सर्व, दिनांक 8-8-91 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या निर्णय लिया गया?

श्री सुधीर कुमार वालियान-

कोई पद रिक्त नहीं है। नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है।

जी हाँ।

साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त एन0सी0डी0सी0/विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार 32 अभ्यार्थियों को उपयुक्त पाया गया था जिनके नियुक्ति आदेश विभिन्न तिथियों में जारी किये गये।

क्र0सं0 सर्वश्री	प्रथम नियुक्ति की तिथि
1- मोहम्मद मेहंदी	27-2-87
2- बृजनन्दन कुमार जिन्दल	27-2-87
3- सुभाष चन्द्र पाठक	25-2-87
4- धीरेन्द्र कुमार शुक्ला	27-2-87
5- लल्लन प्रसाद	25-2-87
6- राकेश कुमार त्रिपाठी	27-2-87
7- भगवत प्रसाद कुशवाहा	27-2-87
8- फखरूद्दीन	27-2-87
9- कमल कुमार मिश्रा	27-2-87

क्र0सं0 सर्वश्री	प्रथम नियुक्ति की तिथि
10- दया शंकर	27-2-87
11- हिमांशु श्रीवास्तव	25-2-87
12- चन्द्र भूषण सिन्हा	27-2-87
13- नरेन्द्र सिंह यादव	25-2-87
14- दिनेश प्रताप सिंह	27-2-87
15- राजकुमार	27-2-87
16- परमानन्द किशोर	1-4-87
17- नरेन्द्र प्रकाश यादव	1-4-87
18- आशुतोष अवस्थी	1-4-87
19- अशोक	31-3-87
20- राम किशोर	1-4-87
21- दुर्गेश कुमार	1-4-87
22- अमरेन्द्र प्रताप राव	1-4-87
23- रामेश कुमार सिंह	1-4-87
24- जितेन्द्र सिंह सिकरवार	31-3-87
25- महेन्द्र कुमार	1-4-87
26- नीलेश कुमार श्रीवास्तव	11-8-87
27- कामता प्रसाद	11-8-87
28- जय नाथ	11-8-87
29- शिवशंकर	26-10-87
30- रमेश चन्द्र शर्मा	8-4-87
31- गजेन्द्र बहादुर सिंह	8-4-88
32- दिनेश कुमार	8-4-88

उपरोक्त में से क्रम-संख्या 1, 15, 16, 22, 28, 29 एवं 30 पर अंकित 7 अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं किया।

क्रम-संख्या 2, 5, 7, 8, 9, 10 एवं 19 पर अंकित 7 अवर अभियन्ताओं ने योगदान करने के उपरान्त विभिन्न तिथियों में त्यागपत्र दे दिया।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

क्रमांक 23 पर अंकित अवर अभियन्ता की सेवा समाप्त कर दी गयी। शेष क्रमांक 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31 एवं 32 पर अंकित 17 (सत्रह) अवर अभियन्ता निर्माण कार्य की आवश्यकतानुसार 89 दिनो हेतु तदर्थ एवं अस्थाई आधार पर अभी भी कार्यरत हैं। इनकी सेवा में 89 दिन के बाद एक दिन का सेवा व्यवधान देते हुए इनसे कार्य लिया जा रहा है। यह निरन्तर सेवा में नहीं है।

एन0सी0डी0सी0 योजना-।। एवं ।।। के अधीन संघ में गोदाम निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर है। अतः उपर्युक्त 17 (सत्रह) अवर अभियन्ताओं से 89 दिनों की तदर्थ एवं अस्थाई सेवा के आधार पर अभी भी कार्य लिया जा रहा है।

पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु निर्णय का प्रश्न हीं नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की नगर पालिका गाजीपुर के सीमांकन का परीक्षण

33-श्री उदय प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, गाजीपुर जनपद-गाजीपुर का सीमांकन विवाद लम्बित है? यदि हां, तो इसे लम्बित होने का कारण क्या है और कितने दिवस में सीमांकन विवाद का निस्तारण हो जायेगा?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

नगरपालिका, गाजीपुर के सीमांकन का प्रकरण अन्तिम रूप से विधिक परीक्षण में है। वर्ष 1932 की सीमा को ही आधार मानकर अन्तिम परीक्षण किया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सालयों में प्रशिक्षित लैब टैक्नीशियनों के नियुक्ति की माँग

34-श्री ओमप्रकाश तथा श्री महराज सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय महिला (डफरिन) चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत लैब टैक्नीशियन प्रशिक्षित लैब टैक्नीशियन है? यदि हां, तो उनकी उक्त पद पर लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्ति का क्या औचित्य है? क्या सरकार उनके स्थान पर प्रशिक्षित लैब टैक्नीशियनों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि

नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

राजकीय चिकित्सालयों में केवल प्रशिक्षित लैब टैक्नीशियन की ही नियुक्ति का प्राविधान है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा को नगर पालिका कासगंज के कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

35-श्री नेत राम सिंह तथा डा0 राम सिंह (अलीगढ़)-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष नगरपालिका कासगंज, एटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमिततायें, पद के दुरुपयोग, अनुशासनहीनता के गम्भीर आरोपों सहित कोई शिकायती पत्र मण्डल आयुक्त, आगरा मण्डल को माह अगस्त, 1991 के अन्तिम सप्ताह में मिला था? यदि हां, तो जांचकर्ता कौन अधिकारी थे? जांच के परिणाम क्या है? बाद जांच क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

परगनाधिकारी, कासगंज (एटा)

जांच के आधार पर आरोप पत्र तैयार कर कार्यवाहक अध्यक्ष, नगरपालिका कासगंज को "कारण बताओ नोटिस" दिया गया कि क्यों न उन्हें उनके पद से हटा दिया जाये।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला नन्दपुर के निवासियों का अवैध कब्जे के सम्बन्ध में प्रेषित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही

36-श्री बलराम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला नन्दपुर जिला-लखनऊ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-10-91 जो सीतापुर रोड, सेक्टर सी में बने पार्क में अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में था,

श्री जयन्त सिंह सदस्य विधान परिषद् के उपरिपत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पुराना किला कैन्ट रोड श्री राम मन्दिर के पास इण्डिया मार्क-।। हैण्ड पम्प लगाने की मांग

37-श्री छेदी लाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के पुराना किला, कैन्ट रोड पर श्रीराम मन्दिर के पास इण्डिया मार्क-।। का हैण्ड पम्प लगाए जाने हेतु पुराना किला, कैन्ट रोड, लखनऊ के निवासियों श्री विनोद कुमार कन्नौजिया आदि द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-8-91 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस क्षेत्र के निवासियों की पेयजल समस्या हल किए जाने हेतु, शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार वांछित स्थान पर इण्डिया मार्क-।। हैण्ड पम्प लगाने की तुरन्त कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत हैण्डपम्प लगाया जाना संभव नहीं हो सका।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा व तिन्दवारी में लगे हैण्ड पम्पों की मरम्मत संख्या मरम्मत एवं आदि का विवरण

38-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में अधिशासी अभियन्ता द्वितीय निर्माण खण्ड शाखा उ0प्र0 जल निगम बांदा द्वारा ब्लाक जसपुरा व तिन्दवारी में कितने हैण्ड पम्प लगायें गये हैं? इस समय कितने चालू हालत में हैं और कितने खराब हैं? यदि खराब हैं तो क्यों और बनेंगे, तो कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

अधिशासी अभियन्ता द्वितीय निर्माण शाखा उ0प्र0 जल निगम बांदा-

द्वारा विकास खण्ड जसपुरा तथा तिन्दवारी में दिनांक 30-12-91 तक क्रमशः 262 तथा 118 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

वर्तमान में दोनों विकास खण्डों में 380 में से 378 हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं तथा शेष 2 हैण्ड पम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

हैण्ड पम्पों के खराब होने का कारण उनके बोर में बालू भर जाता है। उक्त खराब 2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापनाधीन हैं।

39-श्री राम आसरे वर्मा-

(3रे शुक्रवार के लिए स्थगित)

जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में जलापूर्ति की योजना

40-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा पश्चिमी क्षेत्र में पानी सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए लोहा मण्डी और शाहगंज वाटर वर्क्स पर 100-100 हार्स पावर के मोटर लगाने की सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्या तब तक आगरा पश्चिमी क्षेत्र के 25 कुओं की सफाई कराने का आदेश प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय पंपिंग स्टेशन मथुरा रोड से 150 हार्स पावर की एक मोटर लोहा मण्डी क्षेत्रीय पंपिंग स्टेशन पर लगाकर जलापूर्ति की जा रही है।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के ग्राम जहानाबाद में पेयजल की सुविधा

41-श्री गिरधारी लाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन राज्य मंत्री नगर विकास श्रीमती पद्मा सेठ के पत्रांक-7227/वी0 आई0 पी0/88 दिनांक 15 मार्च, 1988 जो लखनऊ जनपद के सरोजनीनगर क्षेत्र के ग्राम जहानाबाद पोस्ट-बन्थरा की अनुसूचित जाति की बस्ती में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में था और जो प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को भेजा गया था?

यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही शेष है तथा इसको कब तक पूरा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री जी नगर विकास का प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

प्रश्नगत ग्राम जहानाबाद की जनसंख्या (1981) 238 है जिसमें 232 अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हैं। निर्धारित मानक के अनुसार ग्राम में 2 हैण्डपम्प लगाने थे जिसमें से एक वर्ष 1987-88 में तथा दूसरा वर्ष 1990-91 में लगाया जा चुका है। इस प्रकार उक्त ग्राम को सेचुरेट कर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।

जनपद गाजीपुर की नगर पालिका गाजीपुर में अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी के पदों को दूसरे वर्ग से भरे जाने की शिकायत

42-श्री गामाराम शास्त्री-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की नगरपालिका गाजीपुर में दो अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी के पद को दूसरे वर्ग के लोगों से पूरा करने के सम्बन्ध में नगरपालिका गाजीपुर के कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र पर प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुति करके, जिलाधिकारी गाजीपुर को दि0 26-10-91 को दिया गया था? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच करायी गयी? यदि हां, तो इसमें कौन से कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित पंत्र प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रहमपुर के अन्तर्गत एलोपैथिक हास्पिटल के भवन का निर्माण

43-श्री रामललित चौधरी-

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रहमपुर, अन्तर्गत एलोपैथिक हास्पिटल विशुनपुर-गोरखपुर के अस्पताल भवन व डाक्टर आदि के निवास से सम्बन्धित दो एकड़ जमीन सन्निकट ग्राम पकड़डिहा में विभाग के नाम छोड़ी जा चुकी है जिस पर पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद जनपद गोरखपुर आदि ने लगभग

8 वर्षों से बराबर अस्पताल भवन व निवास बनाने की मांग करते चले आ रहे हैं? यदि हां, तो वर्ष 1991 ई0 में शासन व स्थानीय विभागीय अधिकारियों को किन-किन लोगों के पत्र प्राप्त हुए हैं? यह अस्पताल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

जी हाँ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1991 ई0 में क्षेत्रीय विधायिका श्रीमती शारदा देवी का पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर को दिनांक 10-10-91 को प्राप्त हुआ है।

चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत है। अतः जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन हो जाने तथा जिला योजना में चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु वांछित धन की व्यवस्था उपलब्ध हो जाने पर अस्पताल के भवन का निर्माण कराना सम्भव हो सकेगा।

जनपद इलाहाबाद में नगरीय सहकारी बैंक लि0 का पंजीकरण

44-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर में कोई नगरीय सहकारी बैंक, लिमिटेड का पंजीकरण किया गया है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त बैंक के लेखा आदि का अंकेक्षण प्रतिवर्ष कराया गया है? यदि हां, तो क्या अंकेक्षण आख्या संतोषजनक है? यदि नहीं, तो उक्त संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुधीर कुमार वालियान-

जी हाँ।

पंजीकरण सं0 3484 दिनांक 22-12-1986 द्वारा।

जी हाँ।

21-4-1989 को भी

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की टाउन एरिया रामपुर कारखाना में लम्बित पेयजल योजना

45-श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि रामपुर कारखाना टाउन एरिया देवरिया में पेयजल योजना पिछले कितने वर्षों से लम्बित पड़ी है? इस अर्द्धनिर्मित योजना में कौन-कौन सा कार्य पूर्ण कर दिया गया है? शेष कार्य पूर्ण कर कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वर्ष 1977 से लम्बित है।

प्रथम चरण में एक नलकूप, वितरण प्रणाली तथा वाउन्ड्रीवाल के निर्माण के कार्य किये गये।

शेष कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार किये जा सकेंगे।

होम्योपैथिक मेडीसिन बोर्ड द्वारा, कम्पाउन्डरों के इण्टरव्यू का परिणाम घोषित करने की मांग

46-कुंवर सुरेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक मेडीसिन बोर्ड ने सितम्बर/अक्टूबर, 1990 में कम्पाउन्डरों का जो इण्टरव्यू लिया था, उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 12-11-90 के स्थगन आदेश के अनुपालन में परिणाम घोषित नहीं किया जा सका था। अब मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-1-92 जिसके द्वारा उक्त स्थगन आदेश समाप्त कर दिया है, के पश्चात् परिणाम घोषित किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के सी0 बे0 विद्यालय मलूकपुर गदिया के प्रधानाध्यापक श्री मोहम्मद मतीन के वेतन का भुगतान

47-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मोहम्मद मतीन

प्रधानाध्यापक, सी0 बे0 विद्यालय, मलूकपुर, गदिया, जनपद बाराबंकी का वर्ष 1969 से 1971 तक का वेतन भुगतान उन्हें अब तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो भुगतान न किये जाने का कारण क्या है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण तथा स्थानान्तरित होने पर विद्यालय की छात्र निधियों का हिसाब न देने के कारण।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड सठियांव एवं जहानागंज में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु इण्डिया मार्क-।। हैण्ड पम्प लगाने की मांग

48-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड सठियांव एवं जहानागंज के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु इण्डिया मार्का-।। हैण्ड पम्प लगाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो किन-किन गांवों में इण्डिया मार्क-।। हैण्ड पम्प, कितनी मात्रा में, कब तक लगाये जायेंगे?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लॉक सठियांव एवं जहानागंज में सामान्य कार्यक्रम (ए0 आर0 पी0 एवं एम0 एन0 पी0) के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में क्रमशः 18 ग्रामों में 53 हैण्डपम्प एवं 18 ग्रामों में 38 हैण्ड पम्प लगाये जाने का प्रस्ताव है। कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार 3/92 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। (ग्रामों की सूची संलग्न है)

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 205 पर)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड सठियांव के अबाड़ी में पानी की टंकी बनाने की मांग

49-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामवासियों को

स्वास्थ्य वर्धक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम अबाड़ी विकास खण्ड सठियावं, जनपद आजमगढ़ में पानी की टंकी का निर्माण शासन द्वारा प्रस्तावित है? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय कमेला के प्रधानाध्यापक श्री नन्दन सिंह के विरुद्ध आरोपों की जांच

50-श्री झाऊ लाल यादव-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय कमेला में छात्र कोषों में भारी अनियमितताएं की गयी है? क्या यह भी बताएंगे कि प्रधानाध्यापक श्री नंदन सिंह इस विद्यालय में कब से आये एवं उन्हें चार्ज में कितना धन मिला था एवं उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना धन का व्यय किया? क्या व्यय हेतु उन्होंने निर्धारित औपचारिकता पूरी की? यदि नहीं, तो क्यों? फर्जी टी0 सी0 के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं? उप विद्यालय निरीक्षक श्री देवी बख्श सिंह, की इस प्रकरण में दिनांक 16 सितम्बर, 91 को, जांच अधिकारी की हैसियत से आख्या में क्या निष्कर्ष रहा? स्पष्ट साक्ष्य व तथ्य प्रकाश में आने के बाद भी प्रकरण को लम्बित रखने वाले उक्त उप विद्यालय निरीक्षक तथा सम्बद्ध प्रधान अध्यापक के विरुद्ध शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

श्री नंदन सिंह के द्वारा विद्यालय में दिनांक 16.8.90 को कार्यभार ग्रहण किया गया कार्यभार ग्रहण के समय उन्हें कुल रु0 11551-16 विभिन्न छात्र निधियों के खाते में मिला। अपने कार्यकाल में उनके द्वारा विभिन्न छात्र निधियों से कुल रु0 19091-79 व्यय किया गया।

प्रारम्भिक जांच में प्रधानाध्यापक दोषी पाये गये हैं।

कुल तीन प्रकरण।

जांच में प्रथम दृष्टया श्री नन्दन सिंह दोषी पाये गये।

श्री सिंह को आरोप पत्र दिया जा चुका है प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

जनपद बस्ती के कस्बा बभनान को टाउन एरिया बनाने की मांग

51-श्री राम नरायन बिन्द, श्री राम पारस रजक तथा श्री राम सरन-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनता पार्टी की सरकार के समय (1977-1979 तक) कस्बा बभनान, जनपद बस्ती व गोण्डा को टाउन एरिया बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार उसका कार्यान्वयन शीघ्र कराने हेतु बभनान के खोड़ारे रोड तथा हरैया रोड पर रोड साइड के भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही करने पर भी विचार करेगी तथा कब्जा करने वाले को दण्डित करने पर भी विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आरक्षित जिला मलेरिया अधिकारी के रिक्त पदों को भरने की मांग

52-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कई वर्षों से 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित जिला मलेरिया अधिकारी के पद विभाग में रिक्त पड़े है? यदि हां, तो क्यों? यदि सहायक मलेरिया अधिकारी के पदों पर उपरोक्त कोटे के अधिकारी कम हैं तो क्या एक्सकैडर से जिला मलेरिया अधिकारियों के पदों पर प्रयोगशाला प्राविधिक सीनियर ग्रेड के जो सहायक मलेरिया अधिकारी के वेतनमान में कार्य कर रहे हैं और जिनकी सेवा अवधि 20 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनको जिला मलेरिया अधिकारियों के पद पर प्रोन्नति किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या श्री श्यामलाल चौधरी प्रयोगशाला प्राविधिक की विभागीय सेवा 28 वर्ष होते हुए तथा सहायक जिला मलेरिया अधिकारी का वेतन प्राप्त करते हुए, होने पर भी इन्हें जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर नियमानुसार प्रोन्नत किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ, जिला मलेरिया अधिकारी का पद सहायक मलेरिया अधिकारी से शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरा जाता है। सहायक मलेरिया अधिकारी के पदों पर उपरोक्त कोटे के अधिकारी उपलब्ध हैं किन्तु उनमें से एक ही

प्रोन्नति के लिए निर्धारित सेवा शर्तें पूरी करता है । निर्धारित प्राविधानों के अनुसार केवल सहायक मलेरिया अधिकारी संवर्ग के पात्र कर्मियों को ही जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया जाता है । नियमानुसार किसी पद पर अन्य संवर्ग से प्रोन्नति नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना के खराब पड़े इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों के मरम्मत की मांग

53-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में एक जनवरी, 1989 से आज तक कितनी संख्या में इण्डिया मार्क दो हैण्ड पम्प किस-किस ग्राम सभा में खराब पड़े हैं? क्या सरकार बन्द पड़े जल निगम के हैण्ड पम्पों को ठीक कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद गोण्डा के मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक जनवरी, 1989 को 25 नग इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे। इनमें से 15 नग ठीक कराये जा चुके हैं तथा शेष 10 नग मरम्मताधीन हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

अस्थाई रूप से खराब होने वाले हैण्डपम्प शिकायत की सूचना मिलते ही ठीक करा दिये जाते हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 206 पर)

विधान सभा क्षेत्र इटवा के स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर उपलब्ध कराने की मांग

54-श्री मोहम्मद मुकीम-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वर्ष 1990-91 में, 171-विधान सभा क्षेत्र इटवा में कितने स्वास्थ्य केन्द्रों का उद्घाटन किया गया और क्या सब पर डाक्टर उपलब्ध कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक सभी केन्द्रों पर डाक्टर कार्य करने लगेंगे?

श्री कल्याण सिंह-

वर्ष 1990-91 में किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन नहीं हुआ । वर्ष 1991-92 में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उद्घाटन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी

द्वारा किया गया था जिनमें से 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी उपलब्ध कराये गये।

चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारी तथा अन्य पद व आवर्तक व्यय की स्वीकृति विचाराधीन है।

जनपद गोण्डा के जिला चिकित्सालय/प्राथमिक/महिला चिकित्सालय के पात्र चिकित्सकों को स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण करने पर विचार

55-श्री घनश्याम शुक्ल

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने चिकित्सक जिला चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा महिला चिकित्सालय गोण्डा/उतरौला/बलरामपुर में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है? उनका वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार भविष्य में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत चिकित्सकों का स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद गोण्डा में विभिन्न चिकित्सालयों में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत चिकित्सकों का विवरण निम्न प्रकार है -

(अ) जिला चिकित्सालय, गोण्डा-5

(ब) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर-6

(स) महिला चिकित्सालय गोण्डा-3

(द) महिला चिकित्सालय बलरामपुर-1

समयाभाव के कारण 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाले चिकित्सकों की पूर्ण सूचना संकलित न हो सकने के कारण उक्त चिकित्सकों के स्थानान्तरण नहीं किये जा सके।

जी हां।

वर्ष 1992-93 की स्थानान्तरण नीति तय होने पर यथा समय स्थानान्तरण के लिए पात्र चिकित्सकों के स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाराम वर्मा को जिला चिकित्सालय, सहारनपुर में समायोजन विषयक कार्यवाही

56-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या पद (2)/90-91/4965, दिनांक 21-7-90 जो श्री दयाराम वर्मा के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है और जो मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर को सम्बोधित है प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

पद रिक्त न होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी को जिला चिकित्सालय, सहारनपुर में समायोजित नहीं किया जा सका।

जनपद सहारनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में श्री राजकुमार को नियुक्त न करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

57-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर के आदेश संख्या-नियु0 प्र0/87/58, दिनांक 2-3-87 द्वारा श्री राजकुमार की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी में की गयी थी और इसी कार्यालय के पत्र संख्या-ए-9/87, दिनांक 21-3-87 के अनुसार इन्हें एस0 बी0 डी0 चिकित्सालय, सहारनपुर में तैनाती के आदेश किये गये थे? क्या महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 के पत्र सं0-4डी(2)/572, दिनांक 25-6-1988 द्वारा इन्हें तुरन्त नियुक्त करने तथा विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी को दण्डित करने के आदेश दिए गये थे? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? श्री राजकुमार की तैनाती न किये जाने का क्या कारण है? कब तक इसकी तैनाती कर शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

संदर्भगत पत्र दिनांक 25-6-88 के द्वारा कार्यभार ग्रहण कराने तथा विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी का नाम सूचित करने के निर्देश दिये गये थे।

चतुर्थ श्रेणी का पद रिक्त न होने के कारण श्री राजकुमार को एस0 बी0डी0 चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका और इसकी सूचना महानिदेशालय को दे दी गयी।

श्री राजकुमार को चूंकि उपरिसन्दर्भित आदेश दिनांक 2-3-87 के अन्तर्गत जिला मलेरिया अधिकारी सहारनपुर के कार्यालय में एक कर्मचारी की अवकाश रिक्ति में अल्पावधि के लिये नियुक्त किया गया था, अतः अवधि समाप्त हो जाने के बाद इन्हें तैनात नहीं रखा जा सका। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री ओम प्रकाश-(गोरखपुर)

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त)

वैक्सीन डिपो पटुआडांगर (नैनीताल) में सहायक अभियन्ताओं की तैनाती का मामला

59-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि वैक्सीन डिपो पटुआडांगर (नैनीताल) में सहायक अभियन्ताओं की तैनाती न करने का कोई मांग पत्र संख्या-टी0-2ए/88-89/9543-44, दिनांक 12-7-88 संयुक्त निदेशक, पटुआडांगर (नैनीताल) से महानिदेशक एवं निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मांग-पत्र में संयुक्त निदेशक ने मुख्य रूप से क्या मांग एवं संस्तुति की है तथा मांग और संस्तुति का क्या औचित्य व आधार पत्र में दर्शाये गये हैं?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र के कतिपय मोहल्लों में शौचालय बनवाने की मांग

60-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री आगरा पश्चिमी क्षेत्र के अनुसूचित मोहल्लों गढ़ी, भदौरिया, जगदीशपुरा, खतैना, खन्दारी, आनन्द नगर, ग्यासपुरा, शिवदसानी नगर, नंगला बेर, चावली ताल, फिरोज खां कमाल खां खेरिया, ख्वासपुर, नंगला भगवती, बापू नगर आदि में शौचालय बनवाने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्नगत मोहल्लों में से 7 स्थानों पर पुराने सार्वजनिक शौचालय कार्यरत

है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में नये सार्वजनिक शौचालय का निर्माण उपयुक्त भूमि तथा धन के अभाव में सम्भव नहीं है।

जनपद आगरा की सफाई हेतु, सफाई कर्मचारियों को हथठेले व झाड़ू उपलब्ध कराया जाना

61-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री आगरे की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने हेतु 200 हथठेले खरीदवाने हेतु नगर महापालिका आगरा को आदेशित करेंगे और सफाई हेतु झाड़ू का पैसा सफाई कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ दिया जायेगा जिससे वह स्वयं कार्य कर सकें? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

नगर महापालिका द्वारा वर्ष 1990-91 में 200 लोहे के हथठेले क्रय किए गये थे तथा चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में लगभग 291 हथठेले क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर महापालिका द्वारा झाड़ू वाले कर्मचारियों को एक किलो झाड़ू प्रति कर्मचारी के हिसाब से दिया जाता है और झाड़ू की पर्याप्त उपलब्धता है। अतः सफाई कर्मचारियों को झाड़ू हेतु पैसा देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में जल संस्थान द्वारा जल वितरण प्रणाली को सुचारु बनाने की मांग

62-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा में जल संस्थान विभाग की ओर से जनता को पाइप लाइनों में सुचारु रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है? क्या सीवर साफ करने हेतु संस्थान ने शासन से पैसा मांगा है? यदि हां, तो क्या जल संस्थान द्वारा दिखायें गये व्यय को शासन द्वारा सत्यापित कराया गया है? क्या इस विभाग में नियुक्त किये गये शीर्षस्थ अधिकारी ने विकास प्राधिकरण की भांति इस विभाग के कार्यों की जांच की है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो

क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

आगरा नगर की जल वितरण प्रणाली 100 वर्ष पुरानी होने के कारण सभी पाइप लाइनों में समान रूप से पानी नहीं दिया जा रहा है।

वर्तमान में जल संस्थान ने शासन से कोई पैसा सीवर साफ करने हेतु नहीं मांगा है।

विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से कार्य जल निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। अतः जल संस्थान द्वारा व्यय दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाँदा के जिला चिकित्सालय के डाक्टरों व नर्सों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच आख्या

63-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के जिला चिकित्सालय में डाक्टरों व नर्सों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 3-9-91 को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक 195690-92-94 व 195700 मुख्य मंत्री को दिया गया था? क्या उस पर कोई जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कौन-कौन से बिन्दु प्रकाश में आये? क्या इस प्रकरण में दोषी डाक्टरों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ। प्रश्नगत मामले की जांच जिलाधिकारी, बाँदा से कराई जा रही है। जाँच आख्या प्रतीक्षित है।

जनपद-मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में स्थित हिनौता के समस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना

64-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में स्थित हिनौता ग्राम में पेयजल योजना के अन्तर्गत आने

वाले गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो इस वर्ष अक्टूबर 1991 तक उक्त योजना का पम्पिंग स्टेशन कितने दिन चलाया गया है? क्या यह सही है कि बिजली एवम् डीजल के अभाव में उक्त योजना ठप्प पड़ी हुई है? यदि हां, तो उसे निरंतर चलाने के संबंध में क्या उपाय किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद मिर्जापुर का ग्राम हिनौता, जनपद सोनभद्र की कर्मा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है। योजना के समस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अप्रैल, 1991 से अक्टूबर, 1991 तक कर्मा स्थित विद्युत चालित नलकूप से 150 दिन पम्पिंग की गयी।

जी नहीं। योजना ठप्प नहीं पड़ा है। विद्युत की आवश्यकतानुसार अनुपलब्धता तथा धनाभाव की स्थिति में जैनरेटर न चलाये जा सकने के कारण योजना को निरन्तर चलाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद लखनऊ के प्राचीन गूंगे नवाब पार्क अमीनाबाद में अवैध कब्जों का मामला

65-श्री हरिशंकर तिवारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के प्राचीन गूंगे नवाब पार्क, अमीनाबाद को एक ट्रान्सपोर्टर कम्पनी द्वारा अपना गोडाउन बना दिये जाने के संबंध में, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-8-90 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

अमीनाबाद स्थित गूंगे नवाब पार्क के कुछ भाग पर एक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके पक्का गोडाउन बनाने का प्रयास किया गया था, जिसे कम्पनी ने महापालिका द्वारा आपत्ति किये जाने पर हटा लिया था। वर्तमान समय में ऐसा कोई निर्माण नहीं है।

जनपद लखनऊ के मकान नं0 0109/53 के मकान मालिक द्वारा कथित अवैध कब्जा

66-श्री हरिशंकर तिवारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का

पत्र दिनांक 19-8-90, जो श्री आनन्द प्रकाश निवासी 109/31 माडल हाउस, लखनऊ के मूल प्रार्थनापत्र सहित मकान नं0 0109/53 के मकान मालिक द्वारा बिना नगर महापालिका, लखनऊ की अनुमति के अवैधानिक रूप से सड़क के ऊपर खम्भा खड़ाकर निर्माण कार्य कराये जाने तथा अपने पुराने मकान में भी इसी प्रकार से निर्माण कार्य करके श्री आनन्द प्रकाश के मकान को हवा एवं धूप मिलने में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। नगर महापालिका की निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रश्नगत् स्थल पर सड़क पर कोई अवैध खम्भा खड़ा नहीं किया गया है। जहां तक पुराने भवन के निर्माण का प्रश्न है यह बिन्दु आवास विभाग से सम्बन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य उपकेन्द्रो में उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रशिक्षित बी0 एच0 डब्लू0 (महिलाओं) का समायोजन

67-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम लखन-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988 में 1500 स्वीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला) पदों को स्वीकृति देकर प्रशिक्षित बी0 एच0 डब्लू0 महिलाओं की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं? लगभग तीन हजार प्रशिक्षित बी0 एच0 डब्लू0 महिलाओं को समायोजित करने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कल्याण सिंह-

वर्ष 1988 नहीं अपितु वित्तीय वर्ष 1988-89 में शासन द्वारा 1500 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, किन्तु बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला) के पद स्वीकृत नहीं किये गये थे।

रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही प्रशिक्षित बी0 एच0 डब्लू0 (महिलाओं) का समायोजन सम्भव है।

जनपद सिद्धार्थनगर की नगरपालिका बांसी के सचिव, उपाध्यक्ष को अनियमितताओं में दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही

68-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई जांच नगर पालिका, बांसी, जिला सिद्धार्थनगर के विरुद्ध निदेशालय, स्थानीय निकाय में चल

रही है? यदि हां, तो इसकी जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया और अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

अध्यक्ष और सचिव नगरपालिका, बांसी अनियमितताओं के लिए दोषी पाये गये। अध्यक्ष, नगरपालिका, बांसी को भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दे दी गयी है। सचिव, नगरपालिका बांसी को निलम्बित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि सचिव, नगरपालिका बांसी, सिद्धार्थनगर ने सरकारी धन बैंक में अपने निजी खाते में जमा किया है, जिसकी जांच जिला अधिकारी के माध्यम से हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार सचिव के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

सचिव को दिनांक 31 जनवरी, 1992 को निलम्बित किया गया तथा अनुशासनिक कार्यवाही का निर्णय हुआ है।

जनपद मेरठ के श्री मयंक कुमार कन्नौजिया भूतपूर्व गृहदर्शक (मलेरिया) के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान

70-श्री बृजमोहन त्रिपाठी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मयंक कुमार कन्नौजिया भूतपूर्व गृहदर्शक (मलेरिया), प्रा0 स्वा0 उपकेन्द्र-महलवाला, प्रा0 स्वा0 केन्द्र-माछरा, जिला-मेरठ का पुनरीक्षित वेतनमान रु0 354-550 में वेतन निर्धारित करके माह नवम्बर, 1979 से माह अप्रैल, 1980 तक की अवधि का वेतन एरियर उन्हें अब तक भुगतान न करने का क्या कारण है? उन्हें उक्त एरियर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर अब तक वर्ष 1979 के वेतन आयोग के पुन0 वेतनमानों में, कितने गृह दर्शकों के वेतन एरियर का भुगतान नहीं हुआ और क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

श्री मयंक कुमार कन्नौजिया ने अपना विकल्प प्रपत्र कथित वेतनमान में प्रभारी चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया था जिसके कारण पूर्व

में उन्हें भुगतान नहीं किया जा सका। श्री कन्नौजिया के कथित अवधि के अवशेष देयों का भुगतान किया जा चुका है।

सभी गृह दर्शकों को पुनरीक्षित वेतनमान रु0 354-550 के एरियर का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

जनपद बरेली के विकास खण्ड शेरगढ़ में स्थापित कम्पाउण्डर यूनिट बंगाली कालोनी, सहोड़ा में आवंटित बजट से ही दवाओं का क्रय किया जाना

71-कुंवर सुरेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्पाउण्डर यूनिट, बंगाली-कालोनी, सहोड़ा, वि0 खण्ड शेरगढ़ बरेली में अस्पताल खुलने के बाद से आज तक दवाओं का कोई वार्षिक बजट आवंटित है? यदि नहीं, तो बिना दवाओं के ही क्या अस्पताल कार्यरत है? यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से यूनिट का वार्षिक बजट नहीं है तथा कब तक बजट हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं, दवाओं का प्रबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली द्वारा जिला स्तर पर आवंटित बजट से किया जा रहा है।

औपचारिक रूप से उक्त यूनिट का अभी अधिग्रहण न होने के कारण वार्षिक बजट नहीं है। अधिग्रहण के पश्चात् ही बजट की व्यवस्था की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कै-दस्त से पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु का विवरण

72-श्री लीला राम शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माह जून, 1991 से आज तक कितने व्यक्ति कै-दस्त की बीमारी से पीड़ित रहे तथा इनमें से कितने लोगों की मृत्यु हो गई? इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था?

श्री कल्याण सिंह-

माह जून, 1991 से नवम्बर, 1991 के मध्य तक जिला पिथौरागढ़ में कै-दस्त की बीमारी से कुल 932 व्यक्ति पीड़ित रहे तथा इनमें से 44 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीमारी के फैलने का कारण पेयजल स्रोतों का प्रदूषण बताया गया है।

जनपद देवरिया के भवनहीन प्रा0 पाठशालाओं का विवरण और उनके भवन का निर्माण

73-श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में कितने प्रा0 पाठशाला चालू हैं? कितने के पास भवन हैं? किन-किन पाठशालाओं के पास भवन नहीं हैं उनके नाम क्या हैं? कब तक भवन बन जायेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

देवरिया जनपद में 2002 प्रा0 पाठशालायें संचालित हैं।

1771 प्रा0 पाठशालाओं के पास भवन हैं।

संलग्न सूची में उल्लिखित 231 प्राइमरी पाठशाला भवन विहीन हैं।

231 भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं में से 153 पाठशालाओं के निर्माणाधीन भवन शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे शेष 78 के भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पूरा कराया जा सकेगा।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 207-210 पर)

पहाड़ी क्षेत्रों में वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों/चिकित्साधिकारियों की तैनाती की अवधि

74-श्री रविन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वरिष्ठ-चिकित्साधिकारियों/चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण की कोई नीति शासन ने निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो वह क्या है? इस वर्ष शासन द्वारा निर्गत इन अधिकारियों की स्थानान्तरण सूची क्या उसी नीति के अनुरूप जारी की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी अवधि का कार्यकाल पूर्ण होने पर किसी वरिष्ठ-चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण किया जाता है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ। उ0प्र0 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की वर्ष 1991-92 के लिये स्थानान्तरण नीति शासनादेश संख्या 476सेक-3/पांच-91, दिनांक 10-7-1991 सपठित कार्मिक अनुभाग-2 के पत्र संख्या 14-1/90-कार्मिक-2, दिनांक 9-7-91 द्वारा निर्धारित की गयी है (प्रतिलिपि-संलग्न)+

+ छापी नहीं गई।

वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों की स्थानान्तरण-सूची स्थानान्तरण नीति के अनुरूप केवल विशेषज्ञों को छोड़कर इस संशोधन के साथ निर्गत की गई कि दिनांक 31-12-90 तक 5 वर्ष से अधिक समय से एक जनपद में तैनात अधिकारियों का तथा सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी की एक जगह तैनाती को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किया गया। साधारण ग्रेड के जिन अधिकारियों को 5 वर्ष से कम समय की अवधि में स्थानान्तरित किया गया उन्हें या तो प्रशासनिक आधार पर या पहले से ही गृह जनपद में तैनात होने के कारण स्थानान्तरित किया गया।

पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात वरिष्ठ-चिकित्साधिकारियों/चिकित्साधिकारियों को एक स्थान में बने रहने की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष है तथा अधिकतम अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है।

जनपद चमोली के गोपेश्वर में कार्यरत वरिष्ठ-चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण का मामला

75-श्री रुद्रेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि गोपेश्वर जिला चमोली में ऐसे कितने वरिष्ठ-चिकित्साधिकारी है जिनका स्थानान्तरण मनमानी तरीके से किया गया है? उनके नाम क्या हैं तथा पूरे सेवाकाल में कब-कब स्थानान्तरण किया गया? ऐसे कितने वरिष्ठ-चिकित्साधिकारी/चिकित्साधिकारी गोपेश्वर जिला चमोली में कार्यरत हैं, जिनको यहां कार्य करते 5 वर्ष या उससे अधिकतम व्यतीत हो चुका है? उनकी सेवा निवृत्ति के केवल 6 या 7 वर्ष बाकी है उनका स्थानान्तरण शासन उनके घर के पास या उसके आस-पास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

स्थानान्तरण सत्र 1991-92 में चमोली जनपद से किसी भी वरिष्ठ-चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। गोपेश्वर जिला चमोली में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत 2 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी तथा साधारण ग्रेड के 9 चिकित्साधिकारी हैं। सामान्यतः यदि कोई प्रतिकूल तथ्य न हो तो दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों को उनके गृह जनपदों से यथासम्भव समीपस्थ जनपदों में तैनात किया जा सकता है। उक्त जनपद में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) के आरक्षण सम्बन्धी नीतियों का पालन न करने के सम्बन्ध में, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

76-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चिकित्सा अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या 439/16-13-89-ए-3/1989, दिनांक 27-2-1989 में दिये

गये आदेशों एवं शासन द्वारा नि त आरक्षण संबंधी नीतियों का पालन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है एवं क्या उसके ुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

जी हाँ, कनिष्ठ लिपि के पदों पर वर्ष 1990 में जो नियुक्तियां की गई हैं उसमें आरक्षण नीतियों पालन नहीं किया गया। इसके लिये डा0 एस0 सी0 भल्ला, तत्कालीन महानि क, श्री वी0 एन0 पाण्डेय, तत्कालीन निदेशक (प्रशासन) तथा डा0 ए0 एन0 ुर, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) दोषी पाये गये हैं जिनके विरुद्ध अनु निक कार्यवाही विचाराधीन है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ालय) में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा ा करने की मांग

77-श्री यदुनाथ सिंह -

क्या सरकार को ारी है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) में अनुसूचित जाति प्रतिनिधित्व की कमी है? यदि हां, तो शासनादेश संख्या 22/43/1982-कार्मिक-2, दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 के अनुसार प्रतिनिधित्व में अपेक्षित सुधार हेतु आरक्षित वर्ग के लिये विशेष चयन क्यों नहीं किया गया? इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

जी हाँ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) में प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक तथा कनिष्ठ लिपिक के संवर्गों में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की कमी है। प्रशासनिक अधिकारी का आरक्षित पद न्यायालय में विवादास्पद होने, वरिष्ठ सहायक के पद अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लिपिक अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तथा वरिष्ठ लिपिक के पद रिक्तियों के अभाव में नहीं भरे जा सके हैं। कनिष्ठ लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के फलस्वरूप हुई रिक्तियों के लिये नियमानुसार चयन कराकर आरक्षण कोटा पूर्ण किया जायेगा।

वर्णित स्थिति में कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) में आशुलिपिक संवर्ग तथा कनिष्ठ लिपिक वर्ग में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

78-श्री यदुनाथ सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(मुख्यालय) में आशुलिपिक संवर्ग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनके समक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने आशुलिपिक कार्यरत हैं? क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नियमानुसार आरक्षण कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) में आशुलिपिक संवर्ग में कुल 45 पद स्वीकृत हैं और उनके समक्ष अनुसूचित जाति के 3 आशुलिपिक कार्यरत हैं। अनुसूचित जनजाति का कोई आशुलिपिक कार्यरत नहीं है।

जी नहीं।

आशुलिपिक के पदोन्नति के पदों पर पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका। सीधी भर्ती के पदों पर अभी चयन कराया जाना शेष है।

79-श्री यदुनाथ सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ लिपिक के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? क्या उनमें नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा शासनादेश सं0-22-43-1982-का0-2, दिनांक 22 अगस्त, 1991 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में 117 कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 22 अगस्त, 1991 के अनुसार विशेष अभियान चलाकर आरक्षित पदों को यथाशीघ्र भर लिया जायेगा।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (मुख्यालय) में श्रेणीवार आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी के उत्तरदायित्व का निर्धारण

80-श्री यदुनाथ सिंह -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (मुख्यालय) में लिपिक वर्गीय श्रेणी में, श्रेणीवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

का आरक्षण कोटा नियमानुसार पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों? आरक्षण कोटे की अपूर्णता के क्या कारण हैं एवं इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) में वैयक्तिक सहायक, कार्यालय अधीक्षक एवं स्वागती के पदों पर नियमानुसार अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है। प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक एवं आशुलिपिक के पदों पर आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है।

प्रशासनिक अधिकारी के 6 पदों, जिनमें से एक पद आरक्षित कोटे का है, पर पदोन्नतियों का मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। वरिष्ठ सहायकों के पदों पर चयन के समय उक्त वर्ग के वरिष्ठ लिपिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण तथा वरिष्ठ लिपिकों एवं कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर चयन के समय पर्याप्त रिक्तियाँ उपलब्ध न होने के कारण, उक्त वर्गों का कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका। फिर भी कोटा पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कराया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) में तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का विवरण

81- श्री यदुनाथ सिंह -

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (मुख्यालय) में वर्ष 1990 में लगभग 20 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ रूप से नियुक्ति प्रदान की गयी? यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार शासनादेश संख्या-20-1-91 का0-2, 1991 दिनांक 17 जुलाई, 1991 के पैरा-2(3) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह -

जी हाँ।

इसमें से एक कर्मचारी श्री सुदामा राम अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं।

जी हाँ, विशेष चयन आयोजित कराकर यथाशीघ्र कोटा पूर्ण किया जायेगा।

82- श्री ओम प्रकाश दिवाकर-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद लखनऊ के मार्टिन पुरवा के कच्चे मार्ग में खड़ंजा लगाने की मांग

83-श्री जगदीश सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्टिन पुरवा, लखनऊ में बिजली के पोल नं0 9/3 के ठीक सामने से मार्टिन पुरवा के निवासियों के आने जाने का जो कच्चा रास्ता है उसी रास्ते के बीचोबीच में इण्डिया मार्क सेकेण्ड हैण्ड पम्प लगा हुआ है जिससे मोहल्ले के तथा आस-पास के लोग पानी लेने आते जाते रहते हैं तथा उसी रास्ते से वहां के रहने वाले लोग भी निकलते रहते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त क्षेत्र की जनता को बरसात में होने वाली परेशानी से बचाने हेतु कच्चे मार्ग पर खड़ंजा लगवाने के आदेश सम्बन्धित अधिकारी को देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं। प्रश्नगत हैण्ड पम्प जिस रास्ते के किनारे लगा है, उस पर खड़ंजा बिछा हुआ है। कच्चे रास्ते के बीचो बीच हैण्ड पम्प नहीं लगा है।

प्रश्न नहीं उठता।

84-श्री रमाकान्त यादव-

(पहले मंगलवार में अता0प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फैजाबाद के थाना खण्डासा के ग्राम-घटौली (कबीरपुर) के निवासी श्री श्री रामऔतार पुत्र स्व0 राम भरोसे के परिवार पर हुए प्राण घातक हमला

85- श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम औतार पुत्र स्वर्गीय श्री राम भरोसे निवासी ग्राम-घटौली (कबीरपुर), थाना-खण्डासा, प्राथमिक-स्वास्थ्य केन्द्र-खण्डासा, जनपद-फैजाबाद का दि0 21-5-91 को अपने तथा अपनी पत्नी, लड़की व भाभी के ऊपर हुये प्राण घातक गम्भीर हमले के संबंध में दिनांक 3-6-91 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को संबंधित रजिस्ट्री प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि मुख्य चिकित्साधिकारी फैजाबाद को प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डासा के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या-3 के आधार पर जांच कराई गई? जांच के दौरान किन-किन लोगों के साक्ष्य लिये गये तथा डा0 श्री सिंह के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी हाँ।

जांच के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों के बयान लिये गये:-

1- श्री राम प्रसाद पुत्र श्री बलि, ग्राम महमदपुर, जनपद फैजाबाद।

2- श्री राम औतार पुत्र श्री राम भरोसे ग्राम घटौली (कबीरपुर), फैजाबाद।

3- श्री राम आश्रय, सब इन्सपेक्टर, थाना खण्डासा, फैजाबाद।

4- डा0 राधेश्याम, चिकित्साधिकारी (द्वितीय), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डासा, जनपद फैजाबाद।

जांच में पाया गया कि डा0 के0 बी0 सिंह प्राभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डासा, जनपद फैजाबाद ने दिनांक 21 मई, 1991 को किसी चोटहिल का मुआइना ही नहीं किया। अतः डा0 सिंह दोषी नहीं पाये गये, जिसके लिए उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता हो।

जनपद बांदा के सी0 एम0 ओ0 डा0 एस0 पी0 गुलाटी के विरुद्ध लगाये गये कथित आरोपो की जांच

86-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के सी0 एम0 ओ0 डा0 एस0 पी0 गुलाटी के भ्रष्टाचारों से सम्बन्धित प्रकरण सी0 आई0 डी0 को जांच हेतु सौंपने के संबंध में अनुशंसा पत्र जिलाधिकारी द्वारा शासन को जून/जुलाई 1991 में भेजा गया था? यदि हां, तो शासन स्तर से उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जिलाधिकारी, बांदा ने अपने पत्र दिनांक-1 जुलाई, 1991 में डा0 गुलाटी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सतर्कता विभाग से कराये जाने का अनुरोध गृह विभाग से किया था, जिसे गृह विभाग ने मामले की जांच कराकर यथोचित कार्यवाही हेतु दिनांक-11 नवम्बर, 1991 को स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया। डा0 गुलाटी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, झांसी मण्डल झांसी से कराई जा रही है।

पिछड़ा वर्ग जूनियर डाक्टर एवं स्टूडेन्ट एसोसियेशन की मांगों के सम्बन्ध में विधायकों के पत्र पर कार्यवाही

87-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें 32 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पिछड़ा वर्ग जूनियर डाक्टर एवं स्टूडेन्ट एसोसियेशन का मांग-पत्र दिनांक

24-2-1990 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मांग-पत्र में वर्णित मांग मानने का निर्णय किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र, राजपुर जनपद कानपुर के अन्तर्गत उपकेन्द्र मदियापुर में रिक्त महिला बेसिक हेल्थ वर्कर के पद पर नियुक्ति

88-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण उ0प्र0 को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 2-8-1991 को जानकारी कराई गई थी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-राजपुर, जिला- कानपुर देहात के अन्तर्गत उपकेन्द्र मदियापुर में रिक्त महिला बेसिक हेल्थ वर्कर के पद को शीघ्र भरा जाय? यदि हां, तो उक्त पद को अब तक न भरे जाने का कारण क्या है?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

पद भरा जा चुका है।

उ0प्र0 जल संस्थान पालिका सेवा में महाप्रबन्धक के रिक्त पदों की संख्या एवं उसे भरने की मांग

89-श्री भारत सिंह रावत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल संस्थान पालिका सेवा में महाप्रबन्धक के कितने पद रिक्त हैं? उनमें से कितने पदों पर नियमित महाप्रबन्धक कार्यरत हैं? रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के क्या कारण हैं?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

महाप्रबन्धक, जल संस्थान के कुल 8 पद सृजित हैं, जिनमें से वर्तमान में 6 रिक्त चल रहे हैं। एक पद पर नियमित तथा एक पद पर तदर्थ रूप से

प्रोन्नत महाप्रबन्धक कार्यरत हैं।

उक्त पद लोक सेवा आयोग की परिधि में है और उन पर नियमित चयन हेतु प्रस्ताव आयोग को सन्दर्भित किया जा चुका है।

जनपद मेरठ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में निदेशक द्वारा नियुक्त फार्मेसिस्टों के वेतन भुगतान का मामला

90-श्री रमाकान्त यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि निदेशक आयुर्वेद द्वारा नियुक्त फार्मेसिस्ट के पद पर कितने कर्मचारी जनपद मेरठ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कार्यरत हैं? क्या सरकार उन सभी कर्मचारियों को वेतन दे रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन फार्मेसिस्टों के वेतन भुगतान कराने का प्रबन्ध करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

वर्तमान में निदेशक आयुर्वेद द्वारा नियुक्त 28 फार्मेसिस्ट जनपद मेरठ के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में तैनात हैं।

जी हाँ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, आयुर्वेद यूनानी उ0 प्र0 द्वारा नियुक्त फार्मेसिस्टों के वेतन का मामला

91-श्री रमाकान्त यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक आयुर्वेद यूनानी उ0प्र0 द्वारा मार्च/अप्रैल, 1991 में फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का वेतन अब तक न दिए जाने का कारण क्या है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति है कि नियुक्ति करके कार्यभार ग्रहण करा लिया जाय और निरन्तर काम लिया जाए, परन्तु वेतन का भुगतान न किया जाए? क्या सरकार सम्पूर्ण फार्मेसिस्टों का वेतन भुगतान करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी नहीं।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव में स्थित कन्या जूनियर हाईस्कूल सुरापाली (दौलतपुर) के भवन हेतु प्राप्त अनुदान का विवरण

92-श्री सुधीर-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव में कन्या जूनियर हाईस्कूल सुरापाली (दौलतपुर) नाम से निजी प्रबन्धकीय व्यवस्था में चलता है? यदि हां, तो उसका भवन किस नम्बर प्लाट में स्थित है? यदि उसका भवन नहीं बना है तो उस विद्यालय के नाम से प्राप्त 51000 (एक्यावन हजार) सरकारी अनुदान क्या हुआ और उसके लिये कौन दोषी है तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव के प्रा0 स्वा0 केन्द्र नरही में स्टाफ नियुक्त करने की मांग

93-श्री सुधीर-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहांव के प्रा0 स्वा0 केन्द्र नरही का अपग्रेडेशन हुआ है? क्या वह बन कर तैयार है? यदि हां, तो वहां पूरे स्टाफ की नियुक्तिं क्यों नहीं हो रही है? कब तक वहां समस्त स्टाफ की नियुक्ति हो जायेगी?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

उपलब्धता के अनुसार स्टाफ की नियुक्ति की गयी है। शेष स्टाफ की नियुक्ति उनके उपलब्ध होने पर सम्भव हो सकेगी।

जनपद जालौन के परगना कालपी के ग्राम मुसमरिया में पेयजल की व्यवस्था

94-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन के परगना कालपी में लगभग दस हजार की आबादी वाले ग्राम मुसमरिया में पेयजल की व्यवस्था हेतु नलकूप की व्यवस्था जल निगम द्वारा की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए उक्त ग्राम में कोई ट्यूबवेल स्थापित

कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्नगत ग्राम मुसमरिया की वर्ष, 1981 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या 3671 है। इस ग्राम में पेयजल हेतु नलकूप की व्यवस्था नहीं की गयी है। क्योंकि उक्त ग्राम में पर्याप्त 22 नग चालू इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है चूँकि ग्राम में पर्याप्त एवं मानक से अधिक संख्या में हैण्डपम्प लग चुके हैं।

जनपद जालौन की सदर तहसील के ग्राम अजीतापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को किसी अन्य ग्राम में स्थानान्तरित न करने की मांग

95-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की तहसील जालौन के ग्राम अजीतापुर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उक्त ग्राम में कब तक स्थापना कर दी जायेगी? क्या सरकार उक्त ग्राम से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अन्य ग्राम में स्थानान्तरित करना चाहती है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त ग्राम के लिए स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उक्त ग्राम में ही स्थापित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

मार्च, 1991 में उक्त ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर दी गयी थी।

जी हां। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित हो करके प्राप्त हो जाने पर ग्राम अजीतापुर के समीपस्थ ग्राम ईटों में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिनांक-17.12.91 को निर्गत किये जा चुके हैं।

ग्राम अजीतापुर के स्थान पर ग्राम ईटों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति शासनादेश दिनांक-17.12.91 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

जनपद आगरा में मास्टर प्लान रोड खन्दारी में नवीन शौचालय की योजना

96-श्री किशन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मास्टर प्लान रोड खन्दारी, आगरा में अनु0 जाति के लोगों हेतु बने शौचालय को नगर महापालिका आगरा द्वारा तोड़ा गया है? क्या उक्त शौचालय को तोड़ने का उद्देश्य जमीन पर अवैध कब्जा करने का है? यदि नहीं, तो क्या उसी स्थान पर पुनः नवीन शौचालय बनाने की शासन की कोई योजना है? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मास्टर प्लान रोड खन्दारी आगरा में निवासियों हेतु बने हुये शौचालय को नगर महापालिका, आगरा द्वारा नहीं तोड़ा गया है वरन् इसे आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा हटाया गया है और इसके निकट ही नवीन शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

97-श्री भारत सिंह रावत-

(दूसरे मंगल के अता0प्र0सं0-196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फिरोजाबाद नगर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु नलकूपों/इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों की व्यवस्था

98-श्री राम किशन ददाजू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर की पानी की समस्या के हल हेतु रेडियल वेल ट्यूबेल यमुना की तराई में खोदने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर में पेयजल की व्यवस्था नलकूपों/इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प से कराये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

जनपद फिरोजाबाद में पानी की समस्या हल करने हेतु चम्बल लिफ्टिंग योजना

99-श्री राम किशन ददाजू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद की पानी की समस्या को हल करने की व्यवस्था चम्बल लिफ्टिंग योजना के माध्यम से की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

फिरोजाबाद जनपद में पेयजल की व्यवस्था नलकूपों/इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों द्वारा कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड चन्द्रवार मुहाल हेतु पेयजल की व्यवस्था

100-श्री राम किशन ददाजू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के फिरोजाबाद विकास खण्ड के चन्द्रवार मुहाल में यमुना नदी पर बैराज बनाकर फिरोजाबाद की पानी की समपूर्ति के लिये स्थायी व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जायेगी? यदि व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है तो शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद नगर में पेयजल की व्यवस्था नलकूपों/इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों से कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद लखनऊ मे स्थित उ0प्र0 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय के डेड स्टाक का सत्यापन

101-सैय्यद कासिम हसन-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय लखनऊ के डेड स्टाक का सत्यापन कब से नहीं कराया गया है? क्या यह सही है कि बैंक कार्यालय के डेड स्टाक से बी0सी0आर0, फ्रिज, कूलर एवं अल्मारी, कुर्सी, मेज आदि बहुत सा सामान गायब है? यदि हां, तो क्या डेड स्टाक की चेकिंग कराकर दोषी

अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ के डेड स्टाक का सत्यापन आडिट सहकारी लेखा परीक्षा संगठन द्वारा वर्ष 1984-85 में किया गया था। इसके बाद नहीं किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय में सामान्य प्रबन्धक के पद पर श्री आर. के. दीक्षित की प्रोन्नति

102-सैय्यद कासिम हसन-

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, लि0 प्रधान कार्यालय में सामान्य प्रबन्धक का कोई पद सृजित नहीं है और न ही सेवा मण्डल से अनुमोदन ही प्राप्त किया गया है फिर भी श्री आर0 के0 दीक्षित के सामान्य प्रबंधक के पद पर अनियमित नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

प्रश्नगत बैंक के मुख्यालय में सामान्य प्रबन्धक के 5 पद सृजित हैं। पद सृजन के लिये सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने का विषयगत नियमों में कोई प्राविधान नहीं है। बैंक में पूर्व में की गई अन्य प्रोन्नतियों की भांति ही श्री आर0 के0 दीक्षित की प्रोन्नति सामान्य प्रबन्धक के पद पर की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

मदरसे-ए-अरबिया जनपद बाराबंकी के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन का बैंक के माध्यम से भुगतान

103-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसे-ए-अरबिया के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन को बैंक के माध्यम से नियमित भुगतान के लिये कोई शासनादेश निर्गत किया गया है? यदि हां, तो क्या मदरसे-ए-अरबिया, जनपद बाराबंकी के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को उक्त

शासनादेश के अनुसार बैंक के माध्यम से मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है और उसका बैंक से भुगतान कब तक किया जायेगा?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर में टी0 बी0 अस्पताल के भवन निर्माण का प्रस्ताव

104-श्री राम किशन ददाजू-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद नगर के टी0 बी0 अस्पताल में एम0 एम0 आर0 प्लांट की व्यवस्था की गयी है? क्या टी0 बी0 क्लीनिक को शासकीय प्रारूप भेजा जा चुका है? यदि हां, तो क्या उसके लिये निर्मित भवन उपलब्ध है?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। फिरोजाबाद जनपद में टी0 बी0 क्लीनिक की स्थापना का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है। तदोपरान्त ही एम0एम0आर0 एक्सरे प्लांट की स्थापना पर विचार किया जा सकेगा।

जी हां।

जनपद बांदा में जू0 हा0 स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का परिषद् के नियमानुसार स्थानान्तरण

105-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कितने जू0 हा0 स्कूलों एवं प्राथमिक विद्यालयों में हेड मास्टर व सहायक अध्यापक एक ही स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं एवं कितने अपने ग्राम में ही कई वर्षों से कार्यरत हैं? क्या स्थानान्तरण नियमावली के नियम इन पर लागू होते हैं? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि नई स्थानान्तरण नीति लागू होगी तो कब तक?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद बांदा के जूनियर हाई स्कूलों में 116 प्रधानाध्यापक एवं 535 सहायक अध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालयों में 832 प्रधानाध्यापक व 2052

सहायक अध्यापक 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 83 प्रधानाध्यापक एवं 370 सहायक अध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालयों में 594 प्रधानाध्यापक एवं 1445 सहायक अध्यापक अपने स्थानीय ग्राम में कई वर्षों से कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

परिषदीय अध्यापकों के लिए कोई स्थानान्तरण नियमावली नहीं बनी है । प्रतिवर्ष परिषद् के निर्णयानुसार वार्षिक प्रबंध/स्थानान्तरण/समायोजन हेतु निर्देश दिये जाते हैं उनके अनुसार कार्यवाही करायी जाती है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम गजपुरवा, मजरा, गाजीपुर में प्राथमिक पाठशाला खोलने का प्रस्ताव

106-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या शिक्षा मंत्री जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम गजपुरवा, मजरा गाजीपुर, विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम बहुन्डरी, विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम चकला, मजरा चिल्ला, विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम-तारा, मजरा चिल्ला, विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम आलमखौढ़ मजरा बसहरी, विकास खण्ड बडोखर खुर्द, ग्राम बंशीपुरवा, मजरा टुरेडी, विकास खण्ड बडोखर खुर्द के ग्रामों में बच्चों की प्राथमिक पाठशालायें खुलवायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम कुन्डाडीर मजरा बहुन्डरी तथा विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम तारा मजरा चिल्ला एवं विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम आलमखोर मजरा बसहरी में विद्यालय खुला है ।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम गजपुरवा मजरा, गाजीपुर में सर्वे के आधार पर विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है तथा शेष ग्रामों के निर्धारित मानक के अंतर्गत न आने के कारण वहां विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है ।

107-श्री राम आसरे वर्मा-

(ले मंगल के अता०प्र०सं० 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फतेहपुर ग्राम दपसौरा के ब्लाक अमौली में संचालित श्रीमती हंस कुंवारी, अचल नाथ बाबा जू0 हा0 स्कूल को भवन सम्बन्धी शर्त पूर्ण न होने की दशा में मान्यता न दिया जाना

108-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती हंसकुंवारी, अचल नाथ बाबा, जू0हा0 स्कूल, ग्राम दपसौरा, ब्लाक अमौली, जि0 फतेहगढ़ में कब से चल रहा है? इसको अब तक स्थायी मान्यता न देने का क्या कारण है जबकि तीन बार एस0 डी0 एम0 द्वारा जांच की जा चुकी है? सरकार इस स्कूल को कब तक स्थायी मान्यता दे देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

प्रश्नगत विद्यालय जनपद फतेहगढ़ में न होकर जनपद फतेहपुर में संचालित है।

भवन संबंधी शर्तें पूर्ण न होने के कारण उक्त विद्यालय को "अ" श्रेणी की मान्यता प्रदान नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पद सृजन एवं नियुक्तियां

109-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण विभाग में बहुउद्देशीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) ए0 एन0 एम0 के पदों पर कब से नियुक्तियां नहीं की गई? प्रशिक्षण प्राप्त बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) की नियुक्ति के सम्बन्ध में पदों के सृजन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नगत पदों पर अप्रैल, 1991 से नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

पदों का सृजन शासन के विचाराधीन है।

जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में डी0 डी0 टी0 का छिड़काव तथा वार्ड ब्वाय व स्वास्थ्य रक्षकों के रिक्त पदों का विवरण

110-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में स्वास्थ्य

रक्षा हेतु वर्ष 1991 से 18 जुलाई, 1991 तक कितने ग्रामों में डी0 डी0 टी0 छिड़काव व कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों बांदा जनपद में कितने वार्ड ब्वायों व स्वास्थ्य रक्षकों की जगह खाली हैं?

श्री कल्याण सिंह-

दिनांक 15-7-91 तक जनपद के 118 ग्रामों में डी0डी0टी0 का छिड़काव किया गया तथा दिनांक 18-7-91 तक जनपद के कुल 12654 कुँओं को विसंक्रमित किया गया।

वार्ड ब्वाय के 24 पद रिक्त हैं तथा स्वास्थ्य रक्षकों के कोई भी पद रिक्त नहीं है।

जनपद वाराणसी की नगर महापालिका द्वारा सन् 1990-91 में बल्क विटुमिन (मैक्स फाल) के खरीदने का मामला

111-श्री ऊदल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 90-91 में नगर महापालिका वाराणसी ने कितना बल्क विटुमिन (मैक्स फाल) कहां से खरीदा था? उसकी रसीद व वाउचर कितने रुपये का है? क्या सरकार इस खरीद की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वित्तीय वर्ष 1990-91 में नगर महापालिका, वाराणसी में बल्क विटुमिन (मैक्स फाल) क्रय नहीं किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

112-श्री राम किशन ददाजू-

(1ले मंगल में अता0 प्र0 सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद फिरोजाबाद के टी0 बी0 अस्पताल में क्षय रोग अधिकारी का पद सृजित करने की मांग

113-श्री राम किशन ददाजू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के फिरोजाबाद नगर में टी0 बी0 अस्पताल में क्षयरोग अधिकारी के पद का सृजन किया गया है? यदि नहीं किया गया, तो कब तक किया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं। टी0 बी0 अस्पतालों में क्षय रोग अधिकारी/जिला क्षय रोग

अधिकारी के पदों का सृजन नहीं किया जाता है। केवल टी0बी0 क्लीनिक्स के लिये ही ऐसे पद सृजित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के ग्राम आलमपुर में पेयजल आपूर्ति

114-श्री अभिमन्यु सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आलमपुर जनपद-फतेहपुर में मानव पेयजल आपूर्ति हेतु टंकी का निर्माण होना प्रस्तावित है? यदि हां, तो गत कई वर्षो से स्वीकृत होने पर भी उक्त निर्माण कार्य किन कारणों से अब तक शुरू नहीं हो पा रहा है? उक्त ग्राम के पेयजल संकट का समाधान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद फतेहपुर में भारत सरकार द्वारा पोषित त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत आलमपुर ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण प्रस्तावित है जिनमें प्रश्नगत ग्राम आलमपुर व अन्य 2 ग्राम दुबेपुर तथा मोहिद्दीनपुर सम्मिलित है।

वर्ष 1989 में स्वीकृत उक्त योजना का निर्माण धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं हो पाया है।

उक्त स्थिति में प्रश्नगत ग्राम आलमपुर (जनसंख्या-929, वर्ष 1981) में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 4 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं, जो ग्राम की जनसंख्या पर मानक के अनुसार यथेष्ट है।

जनपद बाराबंकी/फैजाबाद की जिला सरकारी बैंक लि0 में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश

115-श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक, सहकारी समितियां उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-4937/अधि0/निरी0/दिनांक 3-6-89, पत्रांक-841/अधि0/दिनांक 20-7-89, अर्धशा0 पत्रांक-4792/ दिनांक 11-12-89, पत्रांक 6929/दिनांक 19-2-90, अर्धशा0 पत्रांक-7554/दिनांक 9-3-90 पत्रांक-8174/दिनांक 30-3-90, अर्धशा0 पत्रांक-2845/दिनांक 30-7-90 अर्धशा0 पत्रांक-108/अधि0/निरी0/दिनांक 11-4-91 द्वारा उप निबन्धक सहकारी समितियां उ0प्र0 फैजाबाद को जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी के निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के संदर्भ में कार्यवाही के निर्देश दिए गये थे? यदि हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की

गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हाँ।

जिला सहकारी बैंक लि0 बाराबंकी के निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 (1) के अन्तर्गत आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। इसी क्रम में बैंक के संचालक मण्डल को उप निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, फैजाबाद द्वारा धारा 35 (2) के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला सहकारी बैंक लि0 बाराबंकी की निरीक्षण रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

116-श्री ओम प्रकाश-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, बाराबंकी का निरीक्षण जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, बाराबंकी द्वारा किया गया था? यदि हां, क्या निरीक्षण रिपोर्ट जिला सहायक निबन्धक द्वारा अपने अर्धशासकीय पत्रांक-1314-16/सहकारिता-6/निरीक्षण /दिनांक 22-4-89 द्वारा निबन्धक सहकारी समितियां उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित की गई थी? यदि हां, तो उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हाँ।

जी हाँ।

निरीक्षण आख्या मुख्यालय पर प्राप्त होने पर इस प्रकरण की मुख्यालय द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के आधार पर श्री के0 के0 गंगवार, तत्कालीन सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक बाराबंकी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और उनका स्थानान्तरण भी अन्यत्र कर दिया गया है। मण्डलीय उप निबन्धक, फैजाबाद द्वारा दोषी अधिकारी एवम् कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 (1) के अन्तर्गत भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और इसी क्रम में जिला सहकारी बैंक के संचालक मण्डल को

धारा 35 (2) के अन्तर्गत दिनांक 29.11.91 को निलम्बित भी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की टाउन एरिया कमेटी बिल्थरा रोड के चेयरमैन उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के आधार पर कार्यरत

117-श्री रमाकान्त यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि टाउन एरिया कमेटी, बिल्थरा रोड, जनपद बलिया के चैयरमैन के विरुद्ध शासन के आदेश से जिला प्रशासन/परगना मजिस्ट्रेट-रसड़ा ने भ्रष्टाचार का किन-किन बिन्दुओं पर जांच करके किस तिथि को आरोप-पत्र में अंकित आरोप सत्य पाये जाने की आख्या शासन को भेजी? जिला प्रशासन ने किस तिथि को शासन से उक्त चेयरमैन को पदत्युत करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश दिया? अब तक शासन ने आरोपित चेयरमैन को आरोप सिद्ध होने के बाद भी पदच्युत करने की अनमति जिला प्रशासन को क्यों नहीं दी?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

चेयरमैन के विरुद्ध अनेक प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच परगना मजिस्ट्रेट रसड़ा से कराई गई। दिनांक 5 फरवरी, 91 को उनकी जांच आख्या शासन को भेजी गयी।

दिनांक 24 सितम्बर, 1991

चेयरमैन को पदच्युत करने के आदेश पारित हो चुके हैं।

118-श्री रमाकान्त यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के टाउन एरिया बिल्थरा रोड के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मुख्य दण्डाधिकारी की देखरेख में किस तारीख में पास हुआ? उक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् भी किन-किन अधिकारियों की गलती व लापरवाही से उक्त चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी का संचालन कर रहे हैं? उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 3 जनवरी, 1991 को पारित हुआ।

मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 10 जनवरी, 1991 के आधार पर चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी के पद पर दिनांक 20-12-91 तक कार्यरत रहें।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारीगण दोषी नहीं थे।

जनपद बलिया के (क्रमोत्तर) विद्यालयों को मान्यता दिये जाने का पूर्ण विवरण एवं जानकारी

119-श्री सुधीर-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संलग्न (क्रमोत्तर) विद्यालय चलाने के लिए किस श्रेणी के विद्यालयों को मान्यता प्राप्त है? बलिया जनपद में किन-किन प्रबन्धकीय जूनियर बेसिक विद्यालयों द्वारा संलग्न (क्रमोत्तर) विद्यालय चलाने की नियमानुसार मान्यता दी गई है? ये विद्यालय कहां-कहां स्थित हैं?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा संलग्न (क्रमोत्तर) विद्यालय चलाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में स्थित किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही के लिपिक श्री जयकरन यादव के वेतन रोके जाने का मामला

120-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बरगदही, जनपद गोरखपुर के विधिमान्य लिपिक, श्री जयकरन यादव का वेतन रोकने के लिए वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में कार्यरत लेखा अधिकारी को निर्देश दिया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विभागाध्यक्ष पैथोलाजी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सतर्कता विभाग से जांच

121-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागाध्यक्ष पैथोलाजी (बी0 आर0 डी0) मेडिकल कालेज, गोरखपुर जिनका स्थानान्तरण हो चुका है के विरुद्ध पूर्वांचल के विधायकों एवं सांसदों आदि से सितम्बर, 1990 से 31 जुलाई, 1991 तक कुल कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं? शासन द्वारा उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

दिसम्बर, 1990 से 31 जुलाई, 1991 तक पूर्वांचल के विधायकों एवं सांसदों से 3 शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं। इन शिकायतों के आधार पर विभागीय जांच करायी गयी। जांच में शिकायतें निराधार पायी गयी। अब इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सतर्कता विभाग से करवाने के निमित्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद देवरिया की साधन सहकारी समिति रघवापुर के सचिव श्री सुदामा दुबे की जन्म तिथि का मामला एवं सेवा में बनाये रखने का औचित्य

122-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अंतर्गत विकास खण्ड देवरिया के साधन सहकारी समिति रघवापुर के सचिव श्री सुदामा दुबे किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किये हैं और विद्यालय प्रमाणपत्र में इनकी जन्मतिथि क्या है? क्या कुटुम्ब रजिस्टर के आधार पर इनकी आयु 65 वर्ष हो रही है? क्या इन तथ्यों की जांच सहायक निबन्धक, देवरिया द्वारा करायी गयी है? यदि हां, तो इन तथ्यों को छिपाकर आज तक इन्हें सेवा में बनाये रखने के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

श्री सुदामा दुबे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर संस्कृत विद्यालय,

भठही, बिहार से शिक्षा प्राप्त किये हैं।

प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

जी हाँ।

जी नहीं। सेवा पुस्तिका में श्री सुदामा दुबे की जन्मतिथि 1.7.1935 अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

123-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत साधन सहकारी समिति रघवापुर, विकास खण्ड देवरिया के सचिव श्री सुदामा दुबे द्वारा 73 हजार रुपये गबन के आरोप में इन्हें निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो पुनः बहाल करने का औचित्य क्या है? क्या वह धनराशि वापस करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या तथ्यों को छिपाकर बहाल कराने वाले अधिकारी को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

गबन के आरोप में नहीं, बल्कि श्री सुदामा दुबे को अनियमित ढंग से ऋण वितरण करने के आरोप में निलम्बित किया गया था।

जांच कराई गई तथा आपत्तियों का निराकरण करा दिये जाने के फलस्वरूप जिला प्रशासनिक कमेटी देवरिया द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सम्बन्धित सचिव को चेतावनी देते हुए बहाल कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भाटपाररानी के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति कोड़स में जनवरी 1990 से अक्टूबर 1991 तक किये गये नियुक्त कर्मचारियों को वेतन के रूप में देय धनराशि का विवरण

124-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति कोड़स, विकास खण्ड भाटपाररानी में जनवरी, 1990 से 31 अक्टूबर, 1991 तक बिना ए0 आर0 की स्वीकृति के कितने कर्मचारी रखे गये तथा उन्हें कितना वेतन भुगतान किया गया? इससे समिति को कुल कितनी धनराशि का नुकसान उठाना पड़ा? क्या इसकी जांच करायी गयी? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों पर कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि

नही, तो क्यों?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

तीन कर्मचारी रखे गये, तथा माह जनवरी 1990 से माह अक्टूबर 1991 तक इन तीन कर्मचारियों को रु0 16,200/- की धनराशि का वेतन के रूप में भुगतान किया गया।

रु0 16,200-00 की धनराशि।

जी हां।

सम्बोधित सचिव को निलम्बित कर दिया गया है तथा इस धनराशि की क्षतिपूर्ति हेतु उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा में स्थित साधन सहकारी समिति, असावर द्वारा ऋण माफी योजना के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

125-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऋण राहत योजना के अधीन जारी शासनादेशों का उत्तर प्रदेश में कई बैंको ने पालन नहीं किया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, उन्नाव की साधन सहकारी समिति, असावर, ब्लॉक असोहा में ऋण माफी योजना के अधीन कार्यवाही न किए जाने के कारण बतायेगी? क्या सरकार अवगत है कि उक्त समिति ने कोई ऋण माफी नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं।

श्री सतीश चन्द्र शुक्ला सचिव समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची को मूल अभिलेख से मिलान न कराने के कारण समिति के पात्र सदस्यों को ऋण राहत की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी।

जी हाँ।

समिति के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद बलिया की टाउन एरिया बिल्थरा रोड के टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन को दिनांक 21-12-91 को पदच्युत किया जाना

126-श्री रमाकान्त यादव-

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे शुक्रवार के लिए

निर्धारित अतां0 प्रश्न संख्या-35 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नगत चेयरमैन के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की जांच के दौरान परगनाधिकारी रसड़ा (जांच अधिकारी) ने आरोप सही पाया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त चैयरमैन के विरुद्ध दफा-7 की कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है? यदि हां, तो का उक्त चेयरमैन को अब तक पद मुक्त किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जी हाँ।

दिनांक 21-12-91 को पदच्युत कर दिया गया है।

जनपद बलिया के अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र सीयर के ग्राम तरछापार में प्रा0 स्वा0 केन्द्र का न होना

127-श्री रमाकान्त यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र दिनांक 25-9-91 पत्र संख्या जनता पार्टी 1439 मा0 मुख्य मंत्री, 1440 स्वास्थ्य मंत्री, 1441 स्वास्थ्य सचिव, 1442 विशेष सचिव, स्वास्थ्य को, जनपद बलिया के अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र सीयर के अधीन ग्राम तरछापार के स्वा0 केन्द्र पर किसी डाक्टर की नियुक्ति करने के संबंध में भेजा गया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पत्रों के माध्यम से आज तक कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या? क्या सरकार उक्त स्वा0 केन्द्र पर डाक्टर की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

प्राथमिक स्वा0 केन्द्र सीयर के अंतर्गत ग्राम तरछापार में चिकित्सालय स्थापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के यू0 एच0 एम0 चि0 के भूतपूर्व स्टोर कीपर श्री हीरा लाल बाजपेयी द्वारा सरकारी धन के गोलमाल की जांच एवं उनकी वरिष्ठता का निर्धारण

128-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हीरा लाल बाजपेयी,

भू0पू0 स्टोर कीपर, यू0 एच0 एम0 चि0 कानपुर के विरुद्ध स्टाक बुकों के गायब करने एवं सरकारी धन के गोलमाल करने के आरोपों की जांच संयुक्त निदेशक, इलाहाबाद मण्डल से कराकर जांच रिपोर्ट अ0 शा0 प0 संख्या-एच0एल0ब0/85/2400, दिनांक 21-9-85 द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु शासन से संस्तुति सहित प्रेषित की गई थी? यदि हां, तो शासन द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही किये जाने के बजाय सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही किये जाने का औचित्य पाया गया और तद्नुसार उन्हें निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, क्योंकि मामले में अन्तिम रूप से कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है।

129-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हीरा लाल बाजपेयी, जिनकी प्रथम नियुक्ति स्टोर कीपर के पद पर शिशु चिकित्सालय, कानपुर में हुई थी, के नियुक्ति अधिकारी क्या प्रधानाचार्य, गणेश शंकर, विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानुपर थे? यदि हां, तो लोकल कैडर (कालेज संवर्ग) की वरिष्ठता सूची में श्री बाजपेयी का क्या क्रमांक है? यदि नहीं, तो श्री बाजपेयी के नियुक्ति अधिकारी कौन थे और उनी वरिष्ठता का निर्धारण किस अधिकारी (स्तर) द्वारा होता है और उसमें उनका क्रमांक क्या है?

श्री कल्याण सिंह-

श्री हीरा लाल बाजपेयी की प्रथम नियुक्ति स्टोर कीपर के पद पर शिशु चिकित्सालय कानपुर में हुई थी किन्तु नियुक्ति प्राधिकारी प्रधानाचार्य, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर नहीं थे।

लोकल कैडर (कालेज संवर्ग) की वरिष्ठता सूची अभी तैयार किये जाने की प्रक्रिया में है, उक्त सूची तैयार होने की दशा में क्रमांक निर्धारित हो सकेगा।

श्री बाजपेयी के तत्कालीन नियुक्ति प्राधिकारी अधीक्षक, लाला लाजपत राय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कानपुर थे।

जनपद मेरठ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माछरा में श्री मयंक कुमार कनौजिया भूतपूर्व गृह दर्शक (मलेरिया) के एरियर का मामला

130-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माछरा, जिला मेरठ में कुल कितने कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण वर्ष 1979 के वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर किया जाना शेष है? उक्त वर्ष 1979 के वेतन आयोग द्वारा संस्तुत नये वेतनमानों में तथा वर्ष 1 जनवरी, 1986 से स्वीकृत वेतन आयोग के नये वेतनमानों में कितने गृह दर्शक (मलेरिया) अपना वेतन एरियर उक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर पा चुके हैं? क्या श्री मयंक कुमार कनौजिया भूतपूर्व गृह दर्शक (मलेरिया) महलवाला का भी उक्त भुगतान शेष है? यदि हां, तो वेतन एरियर के विलम्ब से भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? अवशेष भुगतान किस तिथि तक कर दिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

किसी भी कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया जाना शेष नहीं है।

वेतन आयोग 1979 द्वारा संस्तुत वेतनमानों के एरियर का भुगतान समस्त कर्मचारियों को किया जा चुका है। वर्ष 1986 के वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान के एरियर का भुगतान केवल दो गृह दर्शकों को, जिन्होंने इसका विकल्प दिया था, किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न॰ नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड-बसरवारी की साधन सहकारी समिति अजमेरी बादशाहपुर में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों का पालन न किया जाना

131-श्री लालजी वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति अजमेरी बादशाहपुर, विकास खण्ड-बसरवारी, जनपद फैजाबाद के अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा फर्जी ऋण निकालने सम्बन्धी प्रकरण की जांच हेतु जिलाधिकारी, फैजाबाद ने दिनांक 20-9-1989 को, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद को लिखित निर्देश दिया था? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की जांच करायी गई? यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी हां।

जी हाँ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर आई0 आर0 डी0 योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों का पालन होना नहीं पाया गया किन्तु फर्जी ऋण निकालने की पुष्टि नहीं हुई।

जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र में इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों के चबूतरों का फर्जी निर्माण दिखाकर धनराशि का भुगतान

132-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि 86 हरदोई विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्ष में जितने भी इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाईप लगे, उनमें से अधिकांश नलों पर पक्के चबूतरों का निर्माण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जल निगम द्वारा चबूतरों का निर्माण दिखाकार फर्जी रूप से लाखों रुपयों का भुगतान किया गया? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में 200 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये गये थे। उनमें से 195 हैण्ड पम्पों के चबूतरे बनवा दिये गये हैं और शेष 5 चबूतरे निर्माणाधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव

133-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर हरदोई की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए नगरपालिका हरदोई ने वर्ष 1988-89 में शासन को 50 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों के पद सृजन का प्रस्ताव भेजा था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यह प्रस्ताव शासन की सफाई नीति के अन्तर्गत सही है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

वर्ष 1988-89 में नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के माध्यम से 50 सफाई कर्मचारियों के पद सृजन का प्रस्ताव दिनांक 14-3-1990 को शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव में कतिपय कमियाँ पायी गयी थीं। नगर पालिका से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने एवं मानक निर्धारित

होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बस्ती के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 भरत सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

134-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक 7-1-1991 का रजिस्टर्ड पत्र डा0 भरत सिंह प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर, जिला बस्ती के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करवाने हेतु श्री एस0 डी0 प्रजापति, मंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् तहसील-उपशाखा-भानपुर जिला बस्ती का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र में अधिकारी से जांच कराई गई और जांच से परिणाम क्या निकला? वर्णित आरोप क्या है? उन आरोपों की जांच में कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र पर आवश्यक कार्यवाही हेतु महानिदेशक स्वास्थ्य को भेज दिया गया था। निदेशालय में वह पत्र गुम हो गया है। महानिदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं कि शिकायती पत्र गुम होने के प्रकरण की जांच करके उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी व्यक्ति को दंडित करें और साथ ही शिकायतकर्ता से प्रश्न गत पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करके आरोपों की जांच कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

जनपद बांदा के पुरुष व महिला अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

135-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला महिला व पुरुष अस्पताल-बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जो मैजिस्टेरियल जांच करवाई गई है, उसकी जांच आख्या क्या है? क्या डाक्टर उसमें दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

कथित आरोपों की जांच जिलाधिकारी बांदा द्वारा करायी जा रही है। आख्या प्रतीक्षित है।

जनपद गोरखपुर के चिकित्साधिकारी कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक श्री इन्द्रजीत लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्रों पर कार्यवाही

136-श्री दीनानाथ सिंह यादव, श्री राम आसरे वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रजीत लाल श्रीवास्तव, वरिष्ठ लिपिक मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय गोरखपुर के विरुद्ध श्री राम आधार सिंह, सोशलिस्ट पार्टी, पनियरा, गोरखपुर का शिकायती पत्र दिनांक 28-4-91 स्वास्थ्य सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

शासन के निर्देशानुसार शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर से कराने के आदेश निदेशक (प्रशासन) द्वारा दिए गए हैं। साक्ष्य हेतु जाँच अधिकारी के समक्ष शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण जाँच का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की पेयजल समस्या के निदान हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

137-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा पेयजल समस्या के निदान हेतु तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो करोड़ रुपये देने के आदेश किये थे? यदि हां, तो उन दो करोड़ रुपयों में से क्या मात्र 3800000.00 रुपया ही भेजा गया है? यदि हां, तो शेष रुपया न भेजने का कारण क्या है? और कब तक भेजा जायेगा? यदि नहीं भेजा जायेगा, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जी नहीं। जल संस्थान झाँसी को रुपया 51 लाख जनपद की पेयजल योजनाओं के शुद्धीकरण हेतु तथा उत्तर प्रदेश जल निगम को 149.00 लाख रुपया बांदा शहर की पेयजल आवर्धन हेतु अवमुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में आदर्श टा0ए0 के रूप में मौरावां पुरवा को आवंटित धनराशि एवं निर्माण कार्यों का विवरण

138-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि उन्नाव जिले में आदर्श टा0

ए0 के रूप में मौरावां या पुरवा का चयन हुआ है? यदि हां, तो सरकार क्या सुविधाएं चयनित टाउन को देगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार बताएगी कि वित्तीय वर्ष 89-90 व 90-91 तथा चालू वर्ष 91-92 में जुलाई, 1991 तक, प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) की टा0ए0 मौरावां व पुरवा में कौन-कौन से नये निर्माण कार्य नगर क्षेत्र समितियों ने करवाये हैं? क्या सरकार वर्षवार दोनों कस्बों के निर्माण कार्यों की सूची तथा व्यय हुई धनराशि का मद व ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी? क्या सरकार अवगत है कि सड़क निर्माण खड़ंजा कार्य में दोनों ही कस्बों में मानक से कम तथा घटिया ईंटों व अन्य सामग्री का प्रयोग करके आवंटित धनराशि का दुरुपयोग हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवधि के दौरान हुए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की क्वालिटी व मात्रा की जांच प्राविधिक जांच प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) से करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक किये गये निर्माण कार्यों का परिशिष्ट "क" "ख" पर अंकित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 211-212 पर)

139-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(1ले मंगल में अता0प्र0सं0 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र सीयर के ग्राम कड़वरा में प्राइमरी स्कूल को स्थापित करने की कार्यवाही की जानकारी

140-श्री रमाकान्त यादव-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ में विधान सभा क्षेत्र सीयर के ग्राम कड़वरा में बेसिक प्राइमरी स्कूल स्थापना की स्वीकृति कब की गई थी और स्थापना जनहित में कब तक कर दी जाएगी ताकि वहां अति पिछड़े गांव व उसके आस-पास के छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जनपद मऊ के ग्राम सभा कड़वरा विधान सभा क्षेत्र सीयर में प्राइमरी

विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति नहीं की गयी है।

वित्तीय स्वीकृति होने तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद बलिया की टाउन एरिया बिल्थरा रोड के आरोपित चेयरमैन श्री अनिल कुमार को पदच्युत किया जाना

141-श्री रमाकान्त यादव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि भ्रष्टाचार, गबन और पद का दुरुपयोग सिद्ध होने के पश्चात् जिला प्रशासन, बलिया ने शासन में टाउन एरिया बिल्थरा रोड, जिला-बलिया के चेयरमैन श्री अनिल कुमार को पदच्युत करने हेतु अनुमोदन के लिए निवेदन किया है जिसे अब तक लम्बित रखा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल आरोप सिद्ध चेयरमैन को पदच्युत करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

जी नहीं।

चेयरमैन पदच्युत हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

142-श्री राम आसरे वर्मा-

(1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद उन्नाव की बैंक पुरवा शाखा के माध्यम से निर्धारित सीमा के अनुरूप किसानों को इंजन क्रय हेतु, ऋण का भुगतान

143-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि डीजल पम्पसेट को बाजार मूल्य पर खरीदने और उ0प्र0 सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास से ऋण लेकर खरीदने पर क्या मूल्यों में अन्तर है? यदि नहीं, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकारी इंजिन 8 बी0एच0पी0 का बाजार मूल्य 8000 रु0 है जबकि उक्त बैंक की पुरवा शाखा (जनपद-उन्नाव) के माध्यम से यही सेट 9,500 रु0 का काश्तकारों को मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विभेदों की जांच करायेगी?

श्री सुधीर कुमार बालियान-

जी नहीं।

शाखा पुरवा के स्थानीय इंजन विक्रेता के बिलों से ज्ञात हुआ कि 8 हा0पा0 सरकारी इंजन का मूल्य रु0 7,950/- चार्ज किया गया है। किन्तु इंजन के साथ आवश्यक अन्य सहयंत्रों (पंखा आदि) को मिलाकर पम्पसेट का मूल्य रु0 9500/- से अधिक होता है जिसमें से पम्पसेट क्रय हेतु नाबार्ड द्वारा निर्धारित ऋण की सीमा रुपये 9,500/- तक का ही भुगतान बैंक द्वारा ऋण के रूप में किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के पुरवा केन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अवशेष भवन का निर्माण कार्य

144-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा केन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के कार्य को कब तक पूरा हो जाना चाहिए था? अब तक वहां निर्माण कार्य कितना हुआ है एवं अवशेष कार्य कब तक पूरा होगा? कार्य में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियो/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कल्याण सिंह-

अगस्त, 1992 तक।

अब तक 30% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य अगस्त 1992 तक पूर्ण होने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के कन्या प्राइमरी पाठशाला चरसण्डा माफी की सहायक अध्यापिका सुश्री कुसुम राय के वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धियां न लगाये जाने का कारण

145-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के कन्या प्राइमरी पाठशाला, चरसण्डा माफी की सहायक अध्यापिका सुश्री कुसुम राय को 1986 से अब तक वार्षिक वेतन वृद्धियां न लगाये जाने के क्या कारण हैं? ये वेतन वृद्धियां कब तक उनके वेतन में लगा दी जायेंगी? वर्ष 1986 से कार्यरत उक्त अध्यापिका की सेवापुस्तिका को भी पूरा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? इन दोनों प्रकरणों पर कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

वेतन वृद्धियां लगा दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवा पुस्तिका अद्यावधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के महिला चिकित्सालय में कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, डा0 रंजना पाण्डे के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच करने की मांग

146-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला चिकित्सालय हरदोई की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका (डा0 रंजना पाण्डे) गृह जनपद में तैनात हैं? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या यह सही है कि नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स लेने के बाद भी वे अपने आवास पर निजी प्रैक्टिस करती हैं? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराने का आदेश करेंगे? क्या मुख्य मंत्री को इस बात की भी जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में, उक्त श्रीमती पाण्डेय ने हरदोई से विभिन्न तिथियों में फर्जी यात्रायें दिखाकर 2900 रुपयों का आहरण करके सरकारी धन के गबन का अपराध किया है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर, इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

डा0 (श्रीमती) पाण्डेय द्वारा वर्ष 1990-91 में विभिन्न तिथियों में जो यात्रायें की गई हैं वह शासकीय कार्यों के निर्वहन तथा जनहित में की गई बताई गई है। इन यात्राओं के लिये डा0 (श्रीमती) पाण्डेय ने यात्रा भत्ता के रूप में रु0 2953.75 की धनराशि का आहरण नियमानुसार किया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के ब्लौक हरहुआं पुआरीकला में स्थापित उच्च प्राथमिक विद्यालय के श्री राम नारायण राम प्र0अ0 का नाम राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार के लिए चयन के सम्बन्ध में संलग्न मा0 सांसद के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

147-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय, राज्य पुरस्कार हेतु सेवा संबंधी पत्रावली सन् 1991, जिसको श्री राम नारायण राम, प्र0 अ0, उच्च प्राथमिक विद्यालय पुआरीकला ब्लौक-हरहुआं, जिला-वाराणसी ने तैयार करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को भेजने हेतु दिया था और जिसे

बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ने दि0 4-6-91 को बेसिक शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को पुरुष वर्ग वरीयता क्रम में प्रथम नम्बर पर अग्रसारित किया है? यदि हां, तो क्या निदेशालय बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 इलाहाबाद के श्री चन्द्रपूर्ण पाण्डेय सम्बन्धित लिपिक ने इसे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इनको प्रथम वरीयता क्रम में चयन समिति के सामने रखेगी और इनकी सेवा सम्बन्धी पत्रावली की भी समीक्षा करायेगी? क्या यह सही है कि मा0 राजनाथ सोनकर शास्त्री, सांसद ने अपने पत्र यू0 जी0 147/91-92/582, ता0 13-9-91 के द्वारा श्री राम नारायण राम, प्र0 अ0 के प्रार्थना-पत्र को शिक्षा मंत्री को भेजा है? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रकरण आने के पूर्व ही राज्य चयन समिति की बैठक हो चुकी थी। अतः राज्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सम्भव नहीं था।

जी नहीं।

राज्य चयन समिति की बैठक एक ही बार होती है।

जी हाँ।

राज्य चयन समिति की बैठक हो चुकी है और उस पर अन्तिम कार्यवाही भी की जा चुकी है। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद वाराणसी के ब्लौक सेवापुरी के अंतर्गत कतिपय प्रा0 पाठशालाओं में कार्यरत श्री राम प्यारे राम, श्री प्रभू नारायण दुबे, श्री सिद्धेश्वरी सिंह, श्री हरी नाम सिंह, श्री बौड़म उपाध्याय आदि के भविष्यनिधि में हुई भिन्नता के कारणों की जांच की मांग

148-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लौक सेवापुरी जिला-वाराणसी के कन्या प्रा0 पा0 कालिका धाम, प्रा0 पा0 भीषमपुर, प्रा0 पा0 अदमा, प्रा0 पा0 रैसीरामपुर, प्रा0 पा0 हाथी, प्रा0 पा0 तेंदुई से श्री राम प्यारे राम दिनांक 30-6-89 को,

श्री रामधनी मिश्र, दिनांक 30-6-89 व श्री प्रभु नारायण दुबे, श्री सिद्धेश्वरी सिंह, श्री हरीनामं सिंह व श्री बौड़म उपाध्याय, दिनांक 30-6-89 को सेवा से अवकाश प्राप्त किये हैं? यदि हां, तो क्या उपरोक्त 6 अध्यापकों की नियुक्तियां दि0-1-7-51 को की गयी थी? यदि हां, तो क्यों उपरोक्त लोग, प्रधान अध्यापक सन् 1963 से हो गये थे? क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त लोगों को क्रमशः 18875 रु0 83 पै0, 19512 रु0 67 पै0, 19887 रु0 20600 18300 रु0, 22300 रु0 प्राविडेन्ट फण्ड का प्राप्त हुआ है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि सबसे उच्चतम प्राविडेंट फण्ड 22300 रु0 और श्री हरीनाम सिंह को सबसे कम 18300 रु0 और श्री राम प्यारे राम को 18875 रु0 दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने उपरोक्त 6 अध्यापकों की सूची अपने पत्र के साथ दिनांक 12-11-91 को शिक्षा मंत्री को भेजी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पूरा प्राविडेंट फण्ड उन्हें दिलायेगी तथा जिन लोगों ने इन वृद्ध तथा रिटायर अध्यापकों के साथ ऐसा भेदभाव किया है, प्राविडेंट आफिस के उन कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

जी नहीं।

श्री राम प्यारे राम की नियुक्ति दिनांक 1.7.51 को की गयी थी। अन्य 5 अध्यापकों में तीन की नियुक्ति दिनांक 1.7.51 के पूर्व की हैं तथा एक की इस तिथि के बाद की गयी थी। शेष एक अध्यापक की नियुक्ति की तिथि ज्ञात नहीं हो सकी है।

जी नहीं।

श्री बौड़म उपाध्याय वर्ष 1963 में प्रधान अध्यापक हो गये थे। शेष अध्यापक श्री रामप्यारे राम, हरीनाम सिंह, श्री प्रभूनारायण दूबे वर्ष 1963 के बाद प्रधानाध्यापक हुए थे। श्री रामधनी मिश्र, तथा श्री सिद्धेश्वरी सिंह के प्रधान अध्यापक होने की तिथि की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

जी हाँ।

जी हाँ।

भविष्य निधि के भुगतान में भिन्नता होने के कारणों की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र दिनांक 12.11.91 उपलब्ध नहीं हो रहा है।

भविष्य निधि के भुगतान में हुए भिन्नता के कारणों की जांच करायी जा रही है। भिन्नता अथवा भेदभाव के लिए दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बलिया के ग्राम तरछापार में प्रा0 स्वा0 केन्द्र स्थापित न होना

149-श्री बनवारी सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र सीयर के अधीन ग्राम तरछापार जिसकी आबादी काफी है, में एक अस्पताल काफी दिनों से बनकर तैयार है? यदि हां, तो क्या उक्त अस्पताल (तरछापार) में डाक्टर की नियुक्ति करने व दवा सुचारु रूप से बांटने के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री, स्वास्थ्यमंत्री व स्वास्थ्य सचिव को विधायक, श्री रमाकान्त यादव का पत्र दिनांक 25-9-91 पत्र संख्या-1437,1440, 1441 प्राप्त हुये हैं? क्या सरकार उक्त पत्रों पर कार्यवाही सुनिश्चित करके उक्त अस्पताल पर किसी डाक्टर की नियुक्ति करने जा रही है? क्या सरकार उक्त अस्पताल का निरीक्षण बलिया के किसी अधिकारी को भेजकर कराने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं।

जी हाँ।

चूंकि प्रश्नगत स्थान पर चिकित्सालय स्थापित नहीं है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

150-कुंवर रेवती रमण सिंह-

(1ले मंगलवार में अता0प्र0सं0-177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद वाराणसी के मदरसा अरबिया मदीनतुल इलामीरखानपुर (भदोही) के कतिपय अध्यापकों के वेतन का भुगतान

151-श्री किशोरीलाल यादव (जौनपुर)-

क्या बेसिक शिक्षामंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा अरबिया मदीनतुल इलामीरखानपुर (भदोही), वाराणसी के अध्यापकगण सर्वश्री कमरूलहसन, दीवान अहमद अली, कमलआसफी, अब्दुल कयूम व मु0 यामी तथा परिचारकगण निजामुउद्दीन व समसाद को विद्यालय से वेतन मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों जबकि उनकी विद्यालय में नियमानुसार नियुक्ति नहीं की गयी? इस सम्बन्ध में

बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मदरसा अरबिया मदीनतुल इला मीरखानपुर, भदोही, वाराणसी में सहायक अध्यापक सर्वश्री कमरूल हसन, दीवान अहमदअली, अब्दुल कयूम व परिचारकगण निजामुद्दीन एवं शमशाद को वेतन भुगतान किया जा रहा है।

कमल आसकी एवं मुहम्मद यामीन नाम के अध्यापक मदरसे में कार्यरत नहीं हैं।

वर्तमान समय में मदरसे की प्रबन्ध समिति विवादित है। विवाद के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.90 के अनुपालन में विवाद से पूर्व के अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के स्तर से किया जा रहा है। उक्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति विवाद से पूर्व तत्कालीन मान्य प्रबन्धक द्वारा नियमानुसार की गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद देवरिया के मालवीय आयुर्वेद कालेज भाटपाररानी को बन्द करने के आदेश एवं धोखाधड़ी से लिए गये लाखों रुपये की वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

152-श्री हरिवंश सहाय-

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि मालवीय आयुर्वेद कालेज भाटपाररानी जिला-देवरिया को बी0 ए0, एम0 एस0 डिग्री की मान्यता किस विश्वविद्यालय से कब मिली है? यदि नहीं, तो उक्त महाविद्यालय किस आधार पर बी0ए0,एम0एस0 डिग्री देने के नाम पर छात्रों का नामांकन कर रहा है? इस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री कल्याण सिंह-

मालवीय आयुर्वेद कालेज भाटपाररानी जिला देवरिया को बी0ए0एम0ए0 (वास्तव में बी0ए0एम0एस0 है) डिग्री की मान्यता किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं है। उक्त महाविद्यालय द्वारा उक्त डिग्री देने के नाम पर छात्रों का नामांकन अवैध रूप से किया जा रहा है।

उक्त संस्था को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी देवरिया, पुलिस अधीक्षक देवरिया को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके हैं।

153-श्री हरिवंश सहाय-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद महाविद्यालय भाटपाररानी

जिला-देवरिया में धोखाधड़ी से लाखों रुपया वसूली सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-11-91 स्वास्थ्य सचिव एवं निदेशक आयुर्वेद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री कल्याण सिंह-

सन्दर्भित पत्र दिनांक 11.11.91 प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक के औषधि नियंत्रक की योग्यता की जानकारी

154-श्री ऊदल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक का औषधि नियंत्रक उत्तर प्रदेश की योग्यता क्या है? क्या जो व्यक्ति इस वक्त औषधि नियंत्रक के पद पर कार्यरत है, जिसके पास औषधि नियंत्रक का फर्जी डिप्लोमा है, और शैक्षिक योग्यता भी नहीं है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री कल्याण सिंह-

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा में औषधि नियंत्रक का पद स्वीकृत नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

एलोपैथिक में औषधि नियंत्रक की योग्यतायें निम्नवतः हैं:-

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडीसिन/साइंस/फार्मेसी फार्मेसिटिकल केमेस्ट्री में डिग्री : 1

(2) औषधि मानकीकरण और औषधि की गुणवत्ता पर नियंत्रण अथवा निर्माण अथवा किसी ख्याति प्राप्त संस्था में औषधि के परीक्षण में कम से कम 5 वर्ष का अनुभवः 1

अधिमानी

---

(1) फार्माकोलोजी/पब्लिक हेल्थ में एम0डी0 तथा

(2) खाद्य औषधि अधिनियम/फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रशासन का अनुभव। जो अधिकारी वर्तमान में एलोपैथिक औषधि नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं, वह एम0 फार्मा, पी0एच0डी0 (फार्मेसी) धारक है और उनके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता होने के कारण जांच का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में हुए सुराकाण्ड के प्रसंग में आयुर्वेदिक निदेशालय के जिम्मेदार होने की जांच

155-श्री ऊदल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हुए सुराकाण्ड के लिए आयुर्वेद निदेशालय जिम्मेदार है? क्या सरकार सन् 1985 से लेकर सितम्बर, 1991 तक की इस मामले की जांच करायेगी, कि कितनी आयुर्वेदिक फार्मों को आयुर्वेदिक दवाईयाँ तथा आसव बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं और प्रत्येक को उपरोक्त वर्षों में कितना-कितना अल्कोहल दिया गया है?

श्री कल्याण सिंह-

सम्पूर्ण प्रकरण उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचाराधीन है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

औषधि विशेषज्ञ से फार्मेसियों की जांच करने की मांग

156-श्री ऊदल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री इस मामले की भी जांच करायेंगे कि कितनी फार्मेसियों ने नियमों का पालन किया है? क्या इसकी जांच ऐसे चिकित्सक को नियुक्त कर करायेंगे जिसको औषधियों का पूर्ण ज्ञान हो?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव के कस्बे मौरावां में आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्साधिकारी द्वारा फर्जी मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने पर अपर निदेशक द्वारा जांच के आदेश

157-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया उन्नाव जिले के मौरावां कस्बे के आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्साधिकारी द्वारा फर्जी मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ओ0पी0डी0 रजिस्टर में की गई कटिंग्स की जांच करवाएंगे? क्या सरकार अवगत है कि रोगियों के नामों में कटिंग्स/संशोधन/ओवर राइटिंग पिछली तारीखों में मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ही की गई है? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच करवाएगी?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उन्नाव से जांच कराई गई थी,

किन्तु जांच रिपोर्ट भ्रामक होने के कारण पुनः अपर निदेशक (प्रशासन) द्वारा जाँच के आदेश दे दिये गये हैं। अपर निदेशक की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जी हाँ। आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के समस्त सी0एम0ओ0 के अन्तर्गत कार्यरत आशुलिपिकों से स्थापना कार्य लिया जाना

158-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि प्रदेश के कितने जिलों में सी0एम0ओ0 के आशुलिपिकों से स्थापना कार्य लिया जा रहा है? क्या शासन की नीति के विपरीत आचरण करने वाले ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध, मंत्रीजी कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

आयुर्वेद निदेशक द्वारा वर्ष 1991 में नियुक्त किये गये फार्मेसिस्टों के बकाये वेतन का भुगतान

159-श्री रमाकान्त यादव-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह फरवरी/मार्च, 1991 में कुछ फार्मेसिस्टों की नियुक्ति निदेशक आयुर्वेद द्वारा की गई थी? यदि हां, तो उक्त नियुक्त फार्मेसिस्टों में से कितने ऐसे हैं जिनको वेतन दिया जाता है तथा कितने ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वेतन न मिलने का कारण क्या हैं? क्या सरकार के पास कोई ऐसी नीति है जिसमें कि नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण कराकर, कार्य नियमित रूप से लिया जा रहा हो और वेतन का भुगतान न किया जाय? क्या सरकार बकायेदार फार्मेसिस्टों के वेतन का भुगतान कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

सूचना एकत्र की जा रही है

जी नहीं।

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका समिति हरिद्वार में अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही

160-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका समिति हरिद्वार यूनियन द्वारा विष्णुघाट हरिद्वार के कर निर्धारण संख्या-43/1 पर अनधिकृत कब्जा चक्की, ड्राइक्लीन, राज हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज आदि का है? यदि हां, तो यह अनधिकृत कब्जा कब से चल रहा है तथा इस अवधि में क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

माह नवम्बर, 1978 से।

अनधिकृत कब्जेदार के विरुद्ध लोक सम्पत्ति बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

जनपद देवरिया के ग्राम बाकी पो0 धौरडीह में स्थित प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही

161-श्री रविन्द्र प्रताप-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आधार गुप्त ग्राम-प्रधान बाकी जिला-देवरिया का दिनांक 16-8-89, 8-9-89 एवं 1-2-90 का पत्र जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया को सम्बोधित था और जो प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला ग्राम-बाकी पो0 धौरडीह जि0 देवरिया के द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में था, उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी हाँ।

प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर आरोप-पत्र दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में स्थित उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन को पूर्ण कराया जाना

162-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैदरगढ़ बाराबंकी जिसका भवन 1990 से पूर्ण है, ने कार्य प्रारम्भ

नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां। उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी का भवन पूर्ण है, किन्तु विद्युतीकरण, जलसंपूर्ति, चहरदीवारी तथा सम्पर्क मार्ग का निर्माण अवशेष है, इसलिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रियाशील नहीं कराया जा सका है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के ग्रामीण विद्यालयों को अच्छादित किया जाना

163-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदत्त की गई है परन्तु विद्यालयों का नहीं हुआ है? क्या अनेकों ग्राम सभायें अभी इस परियोजना में शामिल नहीं की गई हैं? यदि हां, तो इस विभिन्नता का कारण क्या है? यह कब तक दूर की जायेगी?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

जी नहीं। उक्त योजनान्तर्गत भवन निर्माण का प्राविधान नहीं है। अतः इस योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिषदीय प्राइमरी स्कूलों को आच्छादित कर, समान रूप से पठन-पाठन, खेल-कूद, गायन-वादन संबंधी सामग्री की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में स्थित उ0प्र0 जल निगम के विद्युत/यांत्रिक शाखा में कार्यरत अवर अभियन्ता को दिये गये आरोप पत्र के मुख्य बिन्दुओं की जानकारी

164-श्री शिवपाल सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश जल निगम के विद्युत/यांत्रिक शाखा सीतापुर के किसी अवर अभियन्ता के विरुद्ध माह अक्टूबर/नवम्बर, 1989 में तत्कालीन मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अड़तालिस पृष्ठों का कोई आरोप पत्र जारी किया गया था? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे? क्या उक्त अवर अभियन्ता ने संबंधित आरोप पत्र का जवाब दे दिया है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अवर अभियन्ता-

जब रामपुर में तैनात था तो अधिशासी अभियन्ता (श्री पंत) की सहमति से एक-एक कार्य का कई-कई बार भुगतान लेकर करोड़ो रुपया (सरकारी धन) का घपला किया गया था? यदि हां, तो इसी मामले की जांच अधिशासी अभि0 बरेली श्री वी0 के0 अग्रवाल कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या शासन को रिपोर्ट मिल गयी है तथा उक्त संबंध में क्या दंड दिए जाने का प्रस्ताव है?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के जल-निगम द्वारा यू0एल0टी0 15 रिग मशीन की मरम्मत का मामला एवं उस मशीन द्वारा हुए कार्य का पूर्ण विवरण

165-श्री शिवपाल सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम के वि0/या0 शाखा सीतापुर को जनवरी, 1990 को यू0 एल0 टी0 15 रिग मशीन की मरम्मत हेतु दो लाख इकतालिस हजार रुपया दिया गया था? यदि हां, तो यह धन किसने प्राप्त किया था? क्या यह सही है कि जो बैरिंग (डुप्लीकेट) रिग मशीन में डाली गयी है उसको प्राइज लिस्ट में नीची दिखाकर 18000 रुपया वसूल किया गया है और यह कार्य रानू इंजीनियरिंग वर्क्स स्टेशन रोड, सीतापुर तथा शानू रिपेरिंग वर्क्स वूटगंज सीतापुर द्वारा कराया गया है? क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले पांच वर्ष से आज तक इन दोनों फर्मों के जितने भी बिल इस शाखा में भुगतान हुए हैं उनमें साठ प्रतिशत फर्जी है? यदि हां, तो जिम्मेदार अभियंताओं को दण्डित करने पर विचार करेगीं? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं। इस निमित्त कोई धनराशि नहीं दी गयी।

जी नहीं। शानू रिपेरिंग से कोई कार्य नहीं कराया गया। रानू रिपेयर्स से केवल बियरिंग फिटिंग का कार्य ही कराया गया है।

जी नहीं। कोई भुगतान फर्जी नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

166-श्री शिवपाल सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0एल0टी0 15 (रिग मशीन) वि0/यां0 शाखा जल निगम सीतापुर पिछले तीन सालों में कितने-कितने समय कहां-कहां रही तथा क्या-क्या कार्य हुआ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जल निगम द्वारा एक नलकूप की बोरिंग में अधिकतम 1000

लीटर ईंधन खर्च होता है जबकि पिछले तीन साल से इस मशीन से जितने भी नलकूप लगाये गये सभी में पच्चीस सौ या इससे भी अधिक मात्रा में तेल का व्यय दिखाकर संबंधित अवर अभियंता द्वारा लाखो रुपये का घपला किया गया है? क्या सरकार इसकी तकनीकी जांच कराकर तत्संबंधी भुगतानों हेतु भी आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

यू0एल0टी0-15 नाम की कोई रिग मशीन नहीं है। एल0टी0 1500 रिग मशीन है जिससे निम्न कार्य कराये गये:-

1- 4/89 से 3/90 तक सीतापुर 8 नलकूप

2- 4/90 से 5/90 तक सीतापुर 2 नलकूप

3- 6/90 से 7/90 तक बांदा में 12 हैण्डपम्प

4- 8/90 से 12/90 तक सीतापुर 4 नलकूप

5- 1/91 से 3/91 तक इटावा में 2 नलकूप

6- 4/91 से 12/91 तक सीतापुर 4 नलकूप

यह सही नहीं है। नलकूप की गहराई, व्यास एवं स्ट्रेटा पर डीजल की खपत निर्भर करती है। लगभग 150 मीटर गहरे नलकूप लगाने में तेल की खपत 2000 ली0 से 2500 ली0 के बीच में होती है। अतः कोई घपला नहीं किया गया है।

किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद गाजीपुर में भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण की मांग

167-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में बेसिक प्राइमरी पाठशाला एवं जू0 हाईस्कूल (सरकारी जिला परिषद्) के कितने भवनहीन विद्यालय हैं? क्या इस भवनों का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

बेसिक शिक्षा परिषद् के अंतर्गत जनपद गाजीपुर में 15 प्राइमरी पाठशाला तथा 39 जूनियर हाई स्कूल भवनहीन हैं।

वर्ष 1991-92 में केवल 10 प्राइमरी स्कूल तथा 8 जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। शेष भवनों के लिए सीमित वित्तीय संसाधन के कारण वर्ष 1991-92 में निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

जनपद बांदा के शहर में कुम्हारों की बस्ती में मा0 उ0 न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त होने पर ही सड़क के निर्माण पर विचार

168-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि मोहल्ला खाईपार शहर बांदा जो शराब के ठेकों के पूरब की ओर जो कुम्हारों की बस्ती में सड़क स्वीकृत हुई थी, और जिसकी निविदा भी स्वीकृत हो चुकी थी क्या उसका कार्य अब तक नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्या अदालत के आदेश से यह कार्य नहीं करवाया गया? यदि हां, तो अदालत के क्या आदेश हैं और यह आदेश कब और किस स्थान के लिए हुये थे? क्या शासन द्वारा यह सड़क बनवाई जावेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ठेकेदार द्वारा न तो अनुबन्ध पत्र भरा गया और न ही कार्य कराया गया।

जी हाँ।

स्वीकृत सड़क में भूमि संख्या-2295 मौजा लड़ाका पुरवा का दक्षिणी भाग भी सम्मिलित है (जो कोर्ट आफ वार्ड की भूमि है) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने सिविल रिवीजन संख्या-277/75 श्री वाहिद अली उर्फ मुन्नन बनाम राज्य द्वारा राजस्व सचिव, उ0प्र0 आदि अन्य के मामले में दिनांक 10-3-1975 को यह आदेश पारित किये हैं कि यदि इस भूमि संख्या-2295 से इन्हें बेदखल न किया हो तो अब बेदखल न किया जाय।

श्री वाहिद अली उर्फ मुन्नन अलीगंज, बांदा ने दिनांक 24-3-90 को जिलाधिकारी बांदा को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार प्रार्थी के प्लाट संख्या-2295 मौजा लड़ाका-पुरवा के दक्षिणी भाग पर सड़क निर्माण का कार्य रोका जाये।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस भूमि पर स्थगन आदेश समाप्त कर दिये जाने पर ही सड़क निर्माण कराने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

स्लाटर हाउस व मीट मार्केट के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी, बांदा व मुख्य चिकित्साधिकारियों, बांदा को लिखे पत्र पर कार्यवाही

169-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्लाटर हाउस व मीट मार्केट के संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, बांदा व मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा

को पत्रांक 3-9(1) दिनांक 11-7-91 द्वारा लिखा था जिसकी एक प्रति प्रश्नकर्ता को भी दी थी, उसमें क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्या यदि की जायेगी, तो क्या और कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

संदर्भगत पत्रांक 3-9-(1) दिनांक 11-7-91 प्राप्त नहीं हुआ अपितु पत्रांक 519 दिनांक 11-7-91 प्राप्त हुआ। पत्र प्राप्ति के बाद उपयुक्त स्थान के चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड धौरहरा/रमियाबेहड़/ईसानगर के हरिजन बाहुल्य ग्रामों में पेयजल समस्या का निराकरण

170-श्री बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में विकास खण्ड धौरहरा/रमियाबेहड़/ईसानगर में कितने हरिजन बाहुल्य ग्राम सभाएं हैं जो पेयजल समस्याग्रस्त हैं? क्या सरकार भविष्य में इन समस्याग्रस्त ग्राम सभाओं में इण्डिया मार्क-दो हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद लखीमपुर-खीरी के विकास खण्ड धौरहरा/रमियाबेहड़/ईसानगर में वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 5, 3 एवं 8 ग्राम सभायें (राजस्व ग्राम) हरिजन बाहुल्य हैं तथा यह समस्त ग्राम-सभाएं पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त घोषित हैं।

प्रश्नगत विकास खण्ड धौरहरा के 5 में से 4 ग्रामों में, रमियाबेहड़ के 3 में से 2 ग्रामों में तथा ईसानगर के 8 में से 7 ग्रामों में प्रत्येक में 2 या अधिक कुल क्रमशः 27, 7 तथा 20 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं।

रमियाबेहड़ के शेष 1 ग्राम बाछेपारा में एक हैण्डपम्प लग चुका है व दूसरा वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित है।

धौरहरा के शेष एक ग्राम अरनोखाना ढकिया तथा ईसानगर के शेष एक ग्राम लालपुर में कम जनसंख्या के कारण एक-एक हैण्डपम्प ही लगाया गया है।

जनपद फैजाबाद की नगरपालिका की सिविल लाइन्स और लक्ष्मणपुरी में स्थित आवासों के आंवटियों पर बकाये किराये के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

171-श्री विक्रमादित्य पाण्डेय-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में नगर

पालिका फैजाबाद के सिविल लाइन्स और लक्ष्मणपुरी स्थित आवासों के किराये की पूर्व और वर्तमान आवंटियों पर लम्बी धनराशि के बकाये के बारे में पूर्व खाद्य-मंत्री श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी को जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक-27-8-91 का पत्र मिल गया है? यदि हां, तो सही तथ्यों और उक्त पत्र पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई हैं?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, पूर्व खाद्य मंत्री का जिलाधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित पत्र दिनांक 27-8-91 जिलाधिकारी एवं नगरपालिका को प्राप्त हुआ है । इस पत्र के प्रस्तर-6 में नगरपालिका, फैजाबाद के सिविल लाइन्स एवं लक्ष्मणपुरी आवासीय कालोनियों के बकाये किराये के संबंध में ध्यान आकर्षित किया गया है । प्रस्तर और पत्र के शेष अंश में अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का उल्लेख है । इस संबंध में, पत्र में वर्णित बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । प्रश्नगत कालोनियों के आवासों के आवंटियों, मासिक किराया तथा बकाया किराये का विवरण संलग्न है । +

जनपद हरदोई के परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

172-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कर्मचारियों के स्थायीकरण सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन मुख्य चिकित्सा-धिकारी, हरदोई द्वारा किया गया है? यदि हां, तो कितनी बी0एच0डब्लू0, कितने स्वास्थ्य सहायक तथा कितने प्रसार शिक्षक वहां पर स्थायी किये जा चुके हैं? क्या इस शासनादेश के अनुपालन में उदासीनता बरती गई है? यदि नहीं, तो क्या जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ ।

2। बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला), 19 परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक, तथा 6 प्रसार शिक्षकों (स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) को स्थायी किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट:- + छापी नहीं गयी ।

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्पूर्णानगर में डा0 ए0 के0 मलिक का कार्यरत न होना

173-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-1125/91 डा0 ए0 के0 मलिक प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी सम्पूर्णानगर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी लखीमपुर खीरी को दिनांक-9-9-92 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह-

जी हाँ।

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्पूर्णानगर में डा0 ए0 के0 मलिक नाम का चिकित्साधिकारी तैनात नहीं है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के चिकित्सालय में पेयजल संकट को दूर करने हेतु मेन पाइप लाइन से कनेक्शन का दिया जाना

174-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार जनपद बांदा जिला चिकित्सालय बांदा में पेयजल संकट दूर करने हेतु, मेन पाइप लाइन से कनेक्शन करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रश्नगत चिकित्सालय में पेयजल संकट दूर करने हेतु मेन पाइप लाइन से संयोजन पूर्व में ही किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला के सेवानिवृत्त चुंगी मोहर्रिर श्री सरदार हुसैन के देयों के भुगतान न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

175-श्री कमल नयन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगर पालिका, सण्डीला से दिनांक 31-10-88 को सेवानिवृत्त चुंगी मोहर्रिर श्री सरदार हुसैन की पेंशन निर्धारण, ग्रेच्युटी तथा वेतन एरियर की धनराशि एवं अन्य देयों का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं? क्या पेंशन तथा अन्य देयों का भुगतान कराते हुए विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध

कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद हरदोई की नगरपालिका सण्डीला से दिनांक 31-10-88 को सेवानिवृत्त हुए चुंगी मोहर्रिर श्री सरदार हुसैन के वेतन एरियर और अन्य देयों की धनराशि का भुगतान में विलम्ब के लिये अधिशासी अधिकारी एवं प्रधान लिपिक, नगरपालिका, सण्डीला उत्तरदायी हैं । अगस्त 1972 से दिसम्बर 1985 तक की अवधि का एरियर वेतन रुपये 5,171.10 दिनांक 31-1-92 को भुगतान किया गया है तथा दिनांक 1-1-86 से बढ़े हुये वेतन के एरियर का भुगतान शीघ्र कराया जायेगा । पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्बन्धी, प्रपत्र नगरपालिका सण्डीला द्वारा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, इलाहाबाद को पुनः ठीक करके परीक्षण हेतु भेजे गये हैं । संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके भेजने हेतु जिलाधिकारी, हरदोई को लिखा गया है । उत्तर प्राप्त होने पर दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्र यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

176-श्री सुधीर-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद फिरोजाबाद में श्रमिकों के ठहरने हेतु रैन बसेरा की व्यवस्था

177-श्री राम किशन ददाजू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में श्रमिकों के ठहरने हेतु रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो ठहरने की व्यवस्था कहां-कहां पर नहीं है?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

प्रदेश के समस्त नगरों जिसमें फिरोजाबाद नगर भी सम्मिलित है, में आवश्यकतानुसार उपर्युक्त स्थलों पर रैन बसेरा के निर्माण की योजना है । फिरोजाबाद में रैन बसेरे के लिए एक योजना का मानचित्र प्राप्त हुआ था किन्तु स्थल उपयुक्त न होने के कारण योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

जनपद हरदोई की हथौड़ा ड्रेन को साफ करने की मांग

178-श्री मथुरा प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि हथौड़ा ड्रेन की सफाई विगत कई वर्षों से न किए जाने के कारण नगरपालिका सण्डीला, जनपद हरदोई से पानी का समुचित निकास न हो पाने के कारण नगर में जल भराव की स्थिति प्रत्येक बरसात के मौसम में उत्पन्न हो जाती है जिससे जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को खतरा बना रहता है तथा नागरिकों को कीचड़ भरी सड़कों पर चलने में अत्यन्त

असुविधा होती है? क्या सरकार उक्त ड्रेन को तुरन्त साफ करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

हथौड़ा ड्रेन नगरपालिका सण्डीला की सीमा से लगभग 10 कि0मी0 दूर है। इस ड्रेन की सफाई का नगरपालिका सण्डीला से कोई संबंध नहीं है और न ही बरसात के मौसम में इस ड्रेन का नगरपालिका सण्डीला पर कोई असर पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

179-श्री राम आसरे वर्मा-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

सदन को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

आपने विपक्ष के लोगों को शिक्षा दी है .....

श्री अध्यक्ष-

मैंने सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध किया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्री धनीराम वर्मा जी को आप जानते हैं, उनको सत्ता पक्ष की ओर से अपशब्द कहे गये हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप हम लोगों के बीच की कड़ी हैं। हमारा कर्तव्य है कि आपकी आज्ञा का पालन करें लेकिन मेरा निवेदन है कि आप सत्ता पक्ष के लोगों को भी कर्तव्य पालन के लिये कहिये। मंत्री जी बैठे हैं और प्रश्न का उत्तर पीछे से सदस्यों द्वारा आ रहा है। यह कहां तक उचित है।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, यह सदन जब से चल रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह का व्यवहार हो रहा है। मंत्रियों का दायित्व किसी भी विरोधी दल के सदस्य से ज्यादा रहता है और उन्हें तैयार होकर आना चाहिये। आपकी पीठ से यह व्यवस्था हो जानी चाहिये जो भी जवाब दिये जायं ठीक से सरकार की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरफ से दिये जायं ताकि सदस्यों की जो जिज्ञासा है उसकी पूर्ति हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी उत्तर आये वह मंत्रियों की तरफ से आये आपके सदस्यों की तरफ से नहीं। मैं यह मानता हूं कि आपके बहुत से नये सदस्य हैं वह अपनी बात विधान सभा में न कह कर विरोध पक्ष के सदस्यों से वाद-विवाद करने में लग जाते हैं यह उचित नहीं है। शब्दों पर भी उनको नियंत्रण करना चाहिये। कल जब आप बोल रहे थे तो हम लोगों की तरफ से पूर्ण शांति बरती गयी लेकिन यह परम्परा बनती जा रही है कि जब कोई भी विपक्ष का सदस्य या नेता बोलता है तो उधर से जवाब देना और हो-हल्ला होने लगता है।

सवाल उधर के सदस्यों से नहीं मंत्रियों से किया जाता है, उधर से सदस्य जवाब देने लगते हैं। यह कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। विपक्ष से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप केवल सत्ता पक्ष केवल सत्ता पक्ष के नेता नहीं हैं, पूरे सदन के नेता हैं, जो गरिमा आपको मिली हुई है उसका दायित्व आपके सदस्यों पर भी है। उस दायित्व का निर्वहन इस सदन में करायें, अपने सदस्यों को नियंत्रित करें। वे इतने उत्तेजित होकर सवालों का जवाब देने लगते हैं जैसे कोई मंत्री देता है। आज भी मंत्री होंगे तो जवाब देंगे। मैं तो चाहता हूँ मा0 कल्याण सिंह जी से कि वह इतने ज्यादा मंत्री बना दें ताकि आपको जवाब देने का मौका मिले लेकिन जवाब मंत्री देंगे माननीय सदस्य नहीं।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, इस सदन के कार्य संचालन के संदर्भ में माननीय वर्मा जी ने और माननीय रेवती रमण सिंह जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं हैं मैं उनकी बातों से सहमत हूं और सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आप प्रश्न कीजियेगा तर्कसंगत ढंग से कीजियेगा सत्ता पक्ष से जवाब भी सुसंगत और तर्क से देंगे। परस्पर हल्ला मचाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, उससे किसी बिन्दु पर चर्चा नहीं हो पाती है। उसके लिये मैं मानकर चलता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। परन्तु जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सत्ता पक्ष की कुछ जिम्मेदारी ज्यादा है तो मैं उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर सत्ता पक्ष की ओर से ओढ़ने के लिये तैयार हूं और इधर बैठे हुये माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं और उधर बैठे हुये माननीय सदस्यों से भी विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले इस पर हम सभी संयम बरतें, अपनी भाषा में शालीनता बरतें, खुल कर मुद्दों पर चर्चा हो, विपक्ष भी अपना पक्ष रखे और सत्ता पक्ष भी अपना पक्ष रखे। आपके जो सुझाव होंगे और जो आलोचना होगी उसको हम केवल

आलोचना मानकर बुरा नहीं मानते हैं, आलोचनाओं में भी आपके सुझाव हम ढूंढते हैं। सत्ता पक्ष के नाते हम उनको नोट करते हैं। हम सब का दायित्व है मिल कर इस सदन में प्रदेश के निर्माण की बात आये। यह तो लोकतंत्र का नियम है कोई उधर बैठता है तो कोई इधर बैठता है और वह बदलते रहते हैं। यह सदन समूचे प्रदेश की सेवा के लिये है और सभी अपने-अपने क्षेत्रों से जनता की सेवा के लिये, विकास के लिये सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु यहां आये हुये हैं। तो मैं कोई बाल बराबर ही सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष में फर्क करता हूं, इससे ज्यादा नहीं, तो सत्ता पक्ष में होने के नाते अधिक जिम्मेदारी होते हुए, उतनी ही जिम्मेदारी सामने बैठे हुए विरोध पक्ष की भी है, इसलिये अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, उन जिम्मेदारियों को दोनों ही पक्ष पालन करते रहेंगे जिससे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित होगी। मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, समस्यायें हैं जिनका समाधान खोजना है, आपके सहयोग से खोजने का हम प्रयास कर रहे हैं।

आपकी आलोचना से, स्वस्थ आलोचनाओं से समाधान खोजने का हम प्रयास करते हैं और कहीं कोई कमी रह जाती है तो स्वस्थ सुझाव आने चाहिए। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही संचालन में अपना-अपना योगदान देंगे। और यदा-कदा इंटरप्शन होते हैं लेकिन वह संसदीय स्तर के हों तो अच्छा रहेगा। हम चुप होकर तो नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन मात्र इधर या उधर से हल्ला मचता रहे तो यह लोकतंत्र और संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है। संसदीय परम्परा में इंटरप्शंस तो होते रहते हैं लेकिन जिस स्तर के मान्य हों उन्हीं तक हम सीमित रहें तो अच्छा होगा।

श्रीमन् मेरा पुनः अनुरोध है कि हम सभी कार्यवाही संचालन में अपना-अपना योगदान दें और मेरा विश्वास है कि हम सभी मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और इस संबंध में आपका निर्णय शिरोधार्य है। इस भावना से आप सदन को चलायें और मा0 नेता विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं सहमत हूं।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, नियमावली के नियम 29 में देखें तो प्रतिदिन 2 अल्पसूचित प्रश्न लेंगे। नियम 30 और नियम 31 में दिया है कि अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों के लिये कुल एक घंटा 20 मिनट नियत है जिसमें 20 प्रश्न लिये जाने का प्राविधान किया गया है जबकि रोज देखने में आ रहा है कि व्यवस्था ठीक न होने के कारण 3-4 प्रश्नों के बाद प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। श्रीमन् आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। यह सत्य है कि नियमों में आपको पूरा

अधिकार है और समय की कोई बन्दी नहीं है कि कितना समय दें, हो सकता है मंत्रियों पर आप नाराज हों इसलिये ज्यादा समय हम लोगों को आप दे देते हैं लेकिन कम से कम हम लोगों के अधिकारों की आप रक्षा करें और एक व्यवस्था आप यहां बनायें कि जो नियम 29 और 30 में व्यवस्था दी गयी है उसके अनुसार दो और बीस प्रश्न लिये जायेंगे, इसका मतलब इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिये कम से कम हम लोगों को अपने-अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए और सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछ सकें, तो ऐसी व्यवस्था आप दें कि प्रश्नकाल व्यवस्थित ढंग से चले और हम लोगों को प्रश्न पूछने का मौका मिले।

श्री अध्यक्ष-

इस संबंध में नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से हम अपने कक्ष में बात करेंगे। मेरा तो यह प्रयास रहा है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हों उनके विषय में चर्चा होनी चाहिए। आज जैसे भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं के संबंध में है।

(व्यवधान के मध्य)

एक सदस्य-

मान्यवर, प्रायः यह देखा गया है कि सदन में अल्पावधि में सभी को बोलने का मौका नहीं मिल पाता है।

श्री अध्यक्ष-

जब नियमों की बात हो रही है तो आप पहले अध्यक्ष की अनुमति ले लेते तब बोलते तो अच्छा होता।

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, आपके बाद, नेता सदन के बाद मिर्जापुर के श्री राजेन्द्र सिंह का प्रश्न था उनको सुनने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

अब इस बात पर चर्चा नहीं होगी। मैंने अनुपूरक प्रश्न के लिये श्री राजेन्द्र प्रसाद जी को कहा था, वह खड़े हुए फिर बैठ गये। अब नियम 30। की सूचनायें हैं मेरे पास नियम-30। की बीस सूचनाएं प्राप्त हुई थीं।

(व्यवधान)

* श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं दो-चार मिनट पीछे जाना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले जो हंगामा हुआ उससे आपको कष्ट हुआ। नेता विरोधी दल, नेता स0 ज0 पा0 और नेता सदन ने आपको आश्वासन दिया कि सदन को नियमों, परम्पराओं और अनुशासनिक तरीके से चलाने में वह आपको सहयोग करेंगे। श्रीमन् बार-बार यह कठिनाई आपके सामने आती है। हम सदस्यगण यह देखते हैं कि हमारे दल के नेता हमेशा आश्वासन दे देते हैं परन्तु फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि सदन नियमों, परम्पराओं और अनुशासनिक तरीके से चले तो निश्चित रूप से आपको नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। अगर नियमों का पालन आज ही से शुरू करते हैं तो मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि अभी भी श्री धनी राम वर्मा जी का जो सदन में अपमान किया गया है तो वह माननीय सदस्य श्री धनी राम वर्मा जी से माफी माँग लें। मान्यवर, इस पर मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

श्री राम गोविन्द चौधरी जी, सदन की कार्यवाही ठीक से चले जिसके लिये हम नियमों का पालन करते हैं। श्री धनी राम वर्मा जी का विषय अब समाप्त हो गया है और उसे फिर से बार-बार उठा कर चर्चा करना उचित नहीं होगा।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, यह परम्परा है कि अतारांकित प्रश्नों की सूचना माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। परन्तु मान्यवर अभी तक हमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। मान्यवर, इस बारे में पूरी जाँच की जाय।

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश जी की इस शिकायत के बारे में मैं पता कर लेता हूं। अपने सचिवालय से भी इस बारे में जांच कराता हूं कि आपको अभी तक क्यों नहीं मिले।

श्री ऊदल-

मान्यवर, अभी माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा कि नेताओं के आश्वासन पर या इनके साथ बैठक करने में जो फैसला होता है उसमें आपको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वास नहीं करना चाहिए। मान्यवर, यह माननीय नेता विधान सभा, नेता विरोधी दल, नेता सदन या और अन्य नेता जो हैं, इनको इन्हीं माननीय सदस्यों ने चुना है, इन पर विश्वास न करें। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है आपसे कि आप सभी माननीय सदस्यों को, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको सदन को कैसे चलाया जाय मान्यवर इसकी शिक्षा ट्रेनिंग आप दें और दूसरी जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है उस नियमावली का भी ज्ञान आप करा दें तो मैं समझता हूं कि सदन सुचारु रूप से चलेगा और आपके यहां चाय पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी। मैं समझता हूं कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का ज्ञान माननीय सदस्यों को हो जाएगा तो सदन में भी शान्ति व्यवस्था कायम रहेगी और ज्यादा हल्ला भी नहीं होगा। जो चौधरी साहब ने बात कही तो मैं उनकी आपत्ति से सहमत नहीं हूं। नेताओं की सहमति से जो फैसला होता है उस पर नहीं चलते हैं तो कैसे पार्टी चलेगी, कैसे यह सदन चलेगा। संसदीय प्रक्रिया में यह प्रथा है और उस प्रथा को चलाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। नेताओं के साथ सदस्य रहते हैं। चौधरी साहब की बात को मान लिया जाए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और उस पर आपत्ति करता हूं। मान्यवर, मैंने सुझाव दिया है आप बैठक करके माननीय सदस्यों को जानकारी करा दें जिससे भविष्य में इस सदन को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिले।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट मेरी भी बात सुन लें, मैंने नेताओं की प्रतिष्ठा के बारे में ही कहा था। नेता तो आश्वासन दे देते हैं लेकिन सदस्य पालन नहीं करते हैं तो इसमें हमारे नेताओं का सम्मान घटता है मैंने इस तरफ इंगित किया है। अगर नेता लोग आश्वासन देते हैं तो सदस्यों को उसका पालन करना चाहिए। माननीय नेता सदन आश्वासन दे देते हैं हमारे सदस्य ठीक से सदन चलायेंगे, लेकिन उनके सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं और गाली-गलौज करते हैं, तो माननीय नेता सदन की मर्यादा बढ़े, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं की मर्यादा बढ़े मैंने इसलिए कहा था। यह दूसरी तरफ ले गये। मैंने नेताओं की मर्यादा, नेताओं के सम्मान को बढ़ाने की बात कही थी। वैसे अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी भावना और माननीय ऊदल जी की भावना को समझा है। सारे सदस्यों की भावना है कि सदन सुचारु रूप से चले इसमें आप सब के

सहयोग की आवश्यकता होगी।

(शोरगुल)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री स्वामी नाथ यादव-

इनको समय कैसे दे दिया।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

आज बहुत दुखद घटना हुई।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा न करें। वह प्रकरण अब खत्म हो गया है।

* श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। आप मुझे समय दे दें।

मान्यवर, कल भी इसी प्रकार की घटना सदन में हुई थी। आज माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं वह बहुत अच्छी रहीं लेकिन इस संदर्भ में मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहता हूं एक शब्द उभर कर आया है कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन जो पुराने सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं उन पर अधिक है। कल जो प्रकरण हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक बहुत वरिष्ठ, बहुत जिम्मेदार, जिम्मेदारी के पद पर जो रह चुके हैं वह जब मंत्रिगण जवाब दे रहे थे तो उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया

श्री अध्यक्ष-

मैंने सुन लिया, इस प्रकरण को समाप्त करिये।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

(* * *)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- (* * *) यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिये, यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, मुझे आगे का काम करने दीजिये।

एक सदस्य-

मान्यवर, आपने इनको बोलने का समय दिया और यह कल की बातों की व्याख्या कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था में उनको विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मना कर दिया है उनकी कोई चीज नहीं लिखी जाएगी।

श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मुझे एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी जो प्रकरण हुआ है या कल जो प्रकरण हुआ था उसकी किसी बात पर व्यवस्था उठाने की अनुमति मैं नही दूंगा। यह प्रकरण मैंने समाप्त कर दिया है।

श्री किशन गोपाल-

माननीय चौधरी जी ने जो सवाल उठाया है वह महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

नोटः- (× × ×) यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 फरवरी, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अंतर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राहय् को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं।

पहली सूचना श्री लाखीराम जोशी की उत्तरांचल में सी0 टी0 संवर्ग के अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री संत श्रीराम द्विवेदी की प्रदेश में किरासिन आयल के अभाव तथा बड़े पैमाने पर की जा रही चोर बाजारी से उत्पन्न गंभीर संकट के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की गाजीपुर में भैंसही नदी पर नखतपुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण के संबंध में है। चौथी सूचना श्री गिरधारी लाल की गाजीपुर के थाना मरदह की पुलिस चौकी मटेहू में दिनांक 9-1-92 को छात्र प्रमोद कुमार सिंह की पुलिस द्वारा नृशंस हत्या के फलस्वरूप दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित करने एवं मुआवजा देने के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्रीमती विमला राकेश की लखनऊ नगर के विभिन्न मार्गों पर बढ़ते अनाधिकृत कब्जों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। छठी सूचना श्री यदुनाथ सिंह की मिर्जापुर जनपद के चुनार में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर समाप्त करने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विकास खंड तहथापुर के अंतर्गत सोफीपुर 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र की पुरानी मशीनों के बदलने के संबंध में है।

ये सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं। मैं इनको शासन को भेज रहा हूं।

(निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

उत्तराचंल में सी0टी0 संवर्ग के अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लाखीराम जोशी-

(मान्यवर, उत्तराचंल में लगभग 156 सी0 टी0 संवर्ग में अध्यापकों के पद रिक्त हैं, तथा विभाग के पास सी0 टी0 संवर्ग में चयनित पर्याप्त अभ्यर्थी (प्रतीक्षा सूची में) मौजूद भी हैं। इन प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को उक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की कृपा करें।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में किरासिन आयल के अभाव तथा बड़े पैमाने पर की जा रही चोर-बाजारी से उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री संत श्रीराम द्विवेदी-

(मान्यवर, प्रदेश में किरासिन आयल की अभूतपूर्व कमी तथा बड़े पैमाने पर की जा रही चोर बाजारी के कारण उपभोक्ताओं के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । किरासन आयल की आपूर्ति नगण्य है । चोर बाजारी के जरिए ऊँचे रेट पर कि0 आयल के बेचें जाने की शिकायत है ।

वर्तमान में जबकि छात्रों की परीक्षाएं सन्निकट हैं छात्र टीन के डिब्बे लिए दर-दर भटक रहे हैं । किरासिन की दुकानों पर लाइन लगाए-लगाए हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं ।

आने वाले बजट में किरासन आयल के दामों में संभावित वृद्धि की संभावना को देखते हुए मिट्टी तेल के थोक विक्रेताओं ने किरासन आयल की होर्डिंग करने के कारण स्थिति और गम्भीर हो गयी है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से कि0 आयल की पर्याप्त उपलब्धता तथा समुचित वितरण कराए जाने की मांग करता हूं ।)

जनपद गाजीपुर में भैंसही नदी के नखतपुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

* श्री सुरेन्द्र सिंह-

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर में सा0 नि0 वि0की मोजापुर पनसेरवा-नखतपुर, पिपरीडीह, मार्ग पर भैंसही नदी के नखतपुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस पुल की स्वीकृति सन् 1984-85 के सामान्य बजट में सेतु निधि के द्वारा स्वीकृत की गयी थी । इसका कार्य सा0नि0वि0 के सेतु निगम द्वारा कराया जा रहा है । इस पुल के निर्माण हेतु लाखों रुपये कर्मचारियों को वेतन दे दिया गया है । लेकिन पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया इससे स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है, जिसके वजह से हजारों की संख्या में जनता ने धरना एवं प्रदर्शन किया ।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त पुल का निर्माण कार्य सा0नि0वि0 सेतु निगम द्वारा कराकर शीघ्र से शीघ्र उस पुल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।
नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को जनता के आने-जाने के लिए खोला जाये। जिससे स्थानीय जनता को न्याय मिल सके।)

जनपद गाजीपुर के थाना मरदह की पुलिस चौकी मटेहू में छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह की पुलिस द्वारा नृशंस हत्या के दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करने एवं परिजनों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गिरधारी लाल-

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व जनपद गाजीपुर के थाना मरदह के चौकी मटेहू में दिनांक 9-1-92 को छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह की पुलिस द्वारा गोली मारकर नृशंस हत्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं साथ में छात्र श्री प्रमोद कुमार सिंह, श्री त्रिभुवन सिंह, अजीत कुमार सिंह तथा श्री अशोक यादव को मारकर घायल किया गया। उक्त घटना के विरोध में स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया। पूरे जनपद के लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन मटेहू तथा जिला मुख्यालय में किया तथा जिलाधिकारी को 27-1-92 को सुरेन्द्र सिंह विधायक द्वारा मांग पत्र दिया गया। जिसमें छात्रों पर फर्जी मुकदमा भी कायम किया गया है।

अस्तु आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करें तथा साथ में अपराधी पुलिस कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। मृतक परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियुक्त किया जाय। मृतक परिवार को 2 लाख रुपया सहायता प्रदान की जाय तथा घायल छात्रों को भी 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जाय। निर्दोष छात्रों से फर्जी मुकदमें वापस लिये जायं जिससे छात्रों को न्याय प्राप्त हो सके।)

लखनऊ नगर के विभिन्न मार्गों पर बढ़ते अनाधिकृत कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती विमला राकेश-

(मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से शासन का विशेषकर नगर विकास मंत्री का ध्यान लखनऊ नगर के विभिन्न मार्गों पर बढ़ते अनाधिकृत कब्जों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि इन अनाधिकृत कब्जों के कारण यातायात में भारी व्यवधान पड़ रहा है तथा तेल, डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से भारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदूषण फैल रहा है जिससे सरकार के प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण सुधार में भारी बाधा पड़ रही है इसमें लखनऊ नगर में ऐशबाग रामलीला मैदान में हैदरगंज तिराहा तक, ऐशबाग ओवरब्रिज से आटा मिल रोड, अमीनाबाद तथा मवैया आदि मुख्य हैं इन अनाधिकृत कब्जों को हटाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1990 में शासन को आश्वासन भी दिया था परन्तु इन अनाधिकृत कब्जा धारकों से लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनियमित आमदनी होती है इसलिए इसको रोकने की दिशा में कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मैं शासन से अपेक्षा करती हूं कि इन अनाधिकृत कब्जों को तत्काल हटाने हेतु कार्यवाही करेगी।)

जनपद मिर्जापुर, चुनार में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री यदुनाथ सिंह -

(मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि मिर्जापुर जनपद के अन्तर्गत चुनार में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर समाप्त करने के लिए वहां के नागरिकों के द्वारा लगातार आन्दोलन-ज्ञापन दिया जा रहा है। वाराणसी मण्डल में ही रामनगर में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल का पथकर सन् 1971 से समाप्त हो गया है, तो उत्तर भारतीय गंगा घाट अधिनियम के अन्तर्गत चुनार में पीपे के पुल का पथकर की समाप्ति इस सरकार से अपेक्षा की जाती है।)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड तहवरपुर के अन्तर्गत सौफीपुर 33 के0बी0 विद्युत उपकेन्द्र की पुरानी मशीनों को बदलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

(मान्यवर, सौफीपुर जनपद आजमगढ़ में स्थित विद्युत उपकेन्द्र की मशीनें पुरानी होने के कारण प्रायः विकास खण्ड तहवरपुर में विद्युत बाधित रहता है जिसके कारण क्षेत्र के समस्त नलकूप विद्युत न रहने के कारण बंद रहते हैं, जिससे फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है, उक्त क्षेत्र में कृषि ही रोजी-रोटी का सहारा है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विद्युत की नियमित आपूर्ति हेतु सौफीपुर विद्युत उपकेन्द्र के पुरानी मशीनों को बदलने की मांग करता हूं।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।
नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरदोई और फर्रुखाबाद के बीच गंगा नदी एवं मेहंदीघाट पुल के बारे में प्रश्न का अलग-अलग उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मुझे आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें पहली सूचना श्री राम आसरे वर्मा जी की अलग-अलग सरकारों द्वारा जनपद हरदोई और फर्रूखाबाद के बीच गंगा नदी एवं मेंहदीघाट पुल के बारे में प्रश्नों का अलग-अलग उत्तर देने के बारे में है।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्य मंत्री जी पुराने मुख्यमंत्रियों की घोषणाओं के बारे में कह रहे थे कि घोषणाएं बदल जाती हैं और अब नयी घोषणाएं हैं। मान्यवर, नवीं विधान सभा में कांग्रेस की सरकार थी तब यह प्रकरण उठा था और उस समय इसका जवाब दिया गया था और फिर वही प्रकरण ।। वीं विधान सभा में उठा जिस समय भाजपा की सरकार है। हरदोई और फर्रूखाबाद के बीच में गंगा नदी है और बीच में मेंहदीघाट पुल है। यही प्रश्न कांग्रेस शासन में उठा था और इस तरह से उठा था कि ये नदी और पुल किस जिले की सीमा में आता है उस समय कहा गया था कि हरदोई जिले की सीमा में गंगा नदी और पुल आता है। लेकिन जब इस सत्र में यह प्रश्न उठा तो कहा गया कि पुल का कुछ हिस्सा फर्रूखाबाद जिले में आता है, इसलिये कि माननीय राजस्व मंत्री फर्रूखाबाद जिले के हैं, नवीं विधान सभा में प्रश्न उठाया गया तो उस समय भी इस समय के जो राजस्व मंत्री हैं, द्विवेदी जी, उन्होंने टोका-टाकी की थी।

आज वह मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं, उसका लाभ उठाते हुए वे जिलों की सीमाओं को भी तोड़ करके सदन को गुमराह करना चाहते हैं, यह अत्यंत महत्व का प्रश्न है। क्या सरकार बदलने के साथ-साथ जिलों की सीमाएं भी बदल जाएंगी। मान्यवर, नक्शा हमारे पास है। नवीं विधान सभा के समय की सरकार का जवाब हमारे पास है। नक्शे में स्पष्ट रूप से गंगा हरदोई जिले में दिखाई गयी है। पुल को भी हरदोई में दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में मंत्रित्व का लाभ उठाते हुए सीमाएं तोड़ दीं और जो पुल हरदोई में बना था, उसमें बंटवारा करके माननीय मंत्री जी चलते हैं तो यह उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न स्वीकार करें।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय वमा जी इस आदरणीय सदन के बड़े पुराने सदस्य हैं, बाकी बातों का तो उत्तर दूँगा, लेकिन संसदीय परिपाटी है कि किसी भी नीयत पर आशंका नहीं करनी चाहिये। माननीय मंत्री जी पर जो आरोप लगाया गया है वह एक निराधार बात है और मैं उसका खण्डन करता हूं। मैं माननीय वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि किसी भी नीयत पर आशंका करने का क्या औचित्य है, इस पर विचार कर लें। जब मुझे यह सूचना मिली तो मैंने इसके बारे में जानकारी तलाश करने की चेष्टा की। अगर माननीय सदस्य ने जानकारी दी होती कि किस तारीख का सवाल है तो स्थिति की जानकारी मिल गयी होती। माननीय वर्मा जी कारण देख लें। आपके निर्देशों में व्यवस्था है कि अगर किसी प्रश्न का गलत उत्तर आ जाता है और माननीय सदस्य का समाधान नहीं होता तो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। गलत उत्तर तो सही में बदलने पर भी व्यवस्था है। उस नियम के तहत माननीय वर्मा जी उठावें तो हम पूरा समाधान करेंगे। इन शब्दों के साथ कहूंगा कि नियम 300 में वे मुद्दे आएंगे जो सदन के समक्ष कोई मामला लम्बित हो या कार्यवाही में लम्बित हो, इसके सम्बन्ध में हों। इसलिये इस विषय को नियम 300 में स्वीकार न करें। माननीय वर्मा जी से प्रार्थना है कि वे अलग से बात कर लें तो पूरी समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, नियत पर शंका की बात नहीं है, मान्यवर, यह प्रश्न इसी सदन में कार्यवाही का अंग बन जाता है, जब यह प्रकरण उठा नवीं विधान सभा में, जिस समय यह प्रकरण उठाया गया था, मान्यवर, मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई और फर्रूखाबाद के बीच गंगा नदी और उस पर बना मेंहदीघाट पुल किस जिले की सीमान्तर्गत आते हैं, तो इसका जवाब था, जी हां। मान्यवर, यह जवाब नवीं विधान सभा में आया था। मान्यवर, जो प्रश्न और उत्तर सदन में होते हैं, वे कार्यवाही के अंग होते हैं, चूंकि यह कार्यवाही का अंग है, इसीलिए यह प्रश्न औचित्य का प्रश्न बनता है। कल जब यही प्रश्न उठा, तो जवाब मिला कि मेंहदीघाट का कुछ हिस्सा फर्रूखाबाद में आता है। यह भी चूंकि सदन में प्रकरण उठा, इसलिए कार्यवाही का अंग बन गया।

चूंकि दोनों बार यह प्रकरण सदन के अन्दर उठा, इसलिए कार्यवाही का अंग बन जाता है और जो प्रकरण कार्यवाही का अंग बन जाता है, उस पर औचित्य का प्रश्न बन जाता है। मान्यवर, एक प्रश्न के ही जवाब अलग-अलग आये हैं, जो कार्यवाही के अंग भी हैं। इस पर मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि

माननीय मंत्री जी ने अपने पद का लाभ उठाते हुए यह उत्तर तोड़-मरोड़ कर दिया है, जो पूरी तरह से औचित्य के प्रश्न की परिधि में आ जाता है, इसलिए मान्यवर, इसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें यह संदर्भ पूरा नहीं है, इसके अतिरिक्त नियमों में भी प्राविधान है, इसलिए यह सूचना नियम 300 में न आने के कारण अस्वीकृत करता हूं। दसरी सूचना माननीय नरेश अग्रवाल और माननीय भोला शंकर मौर्य की आई हुई है।

श्री भोला शंकर मौर्य सदस्य वि0 सभा पर हुये प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन् यह देखने में आया है कि जब से भयमुक्त समाज की सरकार आयी है, तब से विपक्षी नेताओं की हत्यायें या हत्या करने का प्रयास बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, हो सकता है कि इसके पीछे यह कारण रहा हो कि विपक्षी लोगों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को ये नहीं घटा पा रहे हैं। मान्यवर, हमारे दल के सदस्य माननीय भोला शंकर मौर्य जो बदायूं के सदस्य हैं, पिछले सत्र में एस0 पी0 बदायूं के खिलाफ कुछ बातें नियम 301 के अन्तर्गत उठाई थी। दिनांक 26-10-91 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया कि उस पर कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, एक तरफ तो हमको यह अधिकार है कि हम सदन में अपनी बात उठा सकते हैं और दूसरी तरफ हम सदन में जो बात उठायेंगे, वह न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। हम जो बात उठायेंगे, उस पर बदले की भावना नहीं आनी चाहिए।

हमने अगर किसी अधिकारी के विरुद्ध सदन में कोई बात उठाई है, तो क्या सरकार उस अधिकारी को संरक्षण देगी? यदि सरकार उस अधिकारी को संरक्षण देगी, तो हमारी जान को खतरा पैदा हो जायेगा। अगर हम कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे, तो यह हमारे अधिकारों का हनन होता है। 26 जनवरी, 1992 को बदायूं में एन0 ए0 इण्टर कालेज में झंडारोहण करने के लिए माननीय भोला शंकर मौर्य जी गये, वहां पर एस0 पी0 ने अपने गुण्डों के माध्यम से इन पर कातिलाना हमला किया, जिसकी रिपोर्ट धारा 307 आई0पी0सी0 दर्ज की गयी। एस0पी0 का इतना दुःसाहस रहा कि उसने अगले दिन अमर उजाला अखबार में बयान दिया कि यह मामला गलत है। श्रीमन् आज तक गुण्डे पकड़े नहीं गये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, लखनऊ में भी गुण्डे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमन् अगर इस सरकार का कोई अधिकारी किसी विधायक की हत्या का प्रयास कराये या सदन में हम किसी अधिकारी के खिलाफ बात उठायेंगे और अधिकारी खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास करेगा, तो सदन का औचित्य क्या रहेगा और हमारी बात का भी कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। श्रीमन् आज उस अधिकारी को संरक्षण मिल रहा है, उन गुण्डों को संरक्षण मिल रहा है। श्रीमन् माननीय भोला शंकर मौर्य की हत्या का प्रयास सरकार द्वारा कराया जा रहा है। श्रीमन् नियम 63 में नियमावली में हमको विशेषाधिकार है, आप हो सकता है कि कह दें कि इसको विशेषाधिकार में क्यों नहीं डाला, लेकिन यह मामला विशेषाधिकार और नियमों के बीच का मामला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चूंकि यह सरकार की तरफ से भोला शंकर मौर्य जी के ऊपर कातिलाना हमले का प्रयास है और केन्द्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार हमें नो आब्जेक्शन दे दें तो मैं सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करा दूं। मान्यवर, या तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें कि जो मुल्जिम हैं, एक्यूज हैं उनके खिलाफ आज शाम तक कार्यवाही हो जायेगी तो मैं समझूँगा कि यह सरकार वाकई रामराज्य की कल्पना की बात कर रही है अन्यथा श्रीमन् घोषणा करा दें कि केन्द्र सी0बी0सी0आई0डी0 से इसकी जाँच करा लें जिससे सत्यता सामने आ जायेगी और कम से कम विधायक की जान भविष्य में सुरक्षित हो जायेगी और उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, सभी सम्मानित सदस्यों का सम्मान बराबर है चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, भोला शंकर जी हमारे पुराने साथी हैं और उनके साथ कई हादसे हुए, हमने कई बार उनकी तरफ से मामले उठाये हैं मान्यवर, जो मामला है वह यह है कि 26 जनवरी को एक कार्यक्रम हो रहा था जिसके माननीय भोला शंकर जी मुख्य अतिथि थे। भाषण तो हम लोग देते हैं विधान सभा में भाषण देते हैं, सार्वजनिक चौराहे पर भाषण देते हैं, कार्यक्रमों में भाषण देते हैं। वहाँ भाषण में कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी चिन्मयानन्द जी जो हमारे सांसद हैं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप हो गये जिससे कि तू तू मै मै हुआ, यह भी सही है। मान्यवर, जैसा कि हमारी सरकार ने कई बार घोषणा की है, हमारी सरकार पक्षपात नहीं चाहती यह सरकार नियमों के अधीन न्याय करने वाली सरकार है। भोला शंकर जी ने एफ0आई0आर0 लिखाई, जैसा कि अग्रवाल जी ने भी कहा अपराध संख्या 37/92 धारा 303, 323, 324, 504 और 506 की।

श्री नरेश अग्रवाल-

धारा 307 भी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

307 भी होगा, मुझे जानकारी नहीं है। यह मान्यवर, एक अपराध अंकित कराया गया। उसी समय कुछ लोग गये अब कौन-कौन लोग थे उनके नाम हमारे पास हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता हूं वे लोग जाकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, उनके घर पर हमला किया, स्वाभाविक है उनकी भी एफ0आई0आर0 लिखी जायेगी, एक डाक्टर के क्लीनिक पर हमला हुआ, उनका भी मुकदमा लिखा गया तो कई मुकदमे अंकित हैं और विवेचना हो रही है, एक डी0आई0जी0 को भी इनवाल्वमेन्ट किया गया है। किसी भी अपराधी को संरक्षण देने का इरादा हमारा नहीं है लेकिन सही स्थिति हमारे संज्ञान में आनी चाहिए। इतनी जानकारी हमारे पास है बाकी मौर्या जी हमारे पुराने साथी हैं ये अलग से भी कुछ बता देंगे तो इनका पूरा समाधान करूंगा। इनकी असुरक्षा के कारण हानि का कोई सवाल नहीं होता है जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। विवेचना हो रही है तथ्य सामने आयेंगे तो कार्यवाही की जायेगी।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सदन में विरोधाभास हो रहा है एक तरफ संसदीय कार्यमंत्री कह रहे हैं कि इस वाकये को गम्भीरता से लेंगे कितनी गम्भीरता से ले रहे हैं यह तो इसी से साबित होता है कि दफा 307 की रिपोर्ट लिखी गयी है और यह कहते हैं कि हमारे पास सूचना नहीं है इससे ज्यादा लापरवाही और क्या हो सकती है। अगर सदस्य ने 307 की एफ0आई0आर0 लिखाई है और यह कहते हैं कि हमारे पास सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर इस सरकार के पास सम्मानित विधायक ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसकी जानकारी नहीं है तो मैं चुनौती देता हूं कि किस अधिकार से सत्ता पक्ष का समर्थन करने के लिए आप खड़े हुए हैं। अगर तथ्य नहीं हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप सदन को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दो ही लोगों ने गलती की है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथ्यों को छिपा रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री नहीं छिपा रहे हैं तो वह अधिकारी छिपा रहा है जहां यह पंजीकृत हुआ था। उस दफा 307 की कापी मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास है।

श्री प्रमोद तिवारी-

उसमें आप देखें 307 है कि नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

307 लिखा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सम्पूर्ण सदन के सामने कहा है कि 307 नहीं है।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विरुद्ध आपको मौखिक सूचना विशेषाधिकार हनन की और सदन की अवमानना की दे रहा हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी कहा गया कि, माननीय भोला शंकर मौर्य जी के कई प्रकरण हम उठा चुके हैं आप लोग सुनें, मान्यवर, स्वामी चिन्मयानन्द जी के लिये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर स्वामी चिन्मयानन्द जी उस समारोह में उपस्थित थे तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा। अगर मेरी बात सही हो और इनमें साहस हो तो यह त्याग पत्र दे देंगे और राजनीति से सन्यास ले लेंगे। लेकिन मुझे मालूम है इनमें साहस नहीं है। मा0 भोला शंकर मौर्य जी का इतना ही दोष है कि हरिजन वर्ग के सदस्य हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, उनका इतना ही दोष है कि एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आपकी अनुमति से उन्होंने यहां प्रश्न उठाया था।

मैं आपसे आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से उठाये गये प्रश्नों के प्रतिफल के रूप में विधायकों का गणतंत्र दिवस पर अपमान होगा तो फिर कोई विधायक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पायेगा। मान्यवर, नैतिकता की भीख मांगते हुए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी को आप चेतावनी दें कि किन कारणों से दफा 307 जो लिखा है उसको छिपाने का प्रयास किया। मैं आग्रह करूंगा कि आप एक सर्वदलीय समिति बना दें जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य ज्यादा हों और वह यह देखें कि स्वामी चिन्मयानन्द वहां पर थे या नहीं थे? मान्यवर, जब सरकार इस सदन को गुमराह कर रही है तो उस सरकार की पुलिस या उसकी एजेन्सी पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। मैं आग्रह करूँगा कि एक सदस्य के सम्मान की रक्षा के लिये जो विशेष रूप से हरिजन है, उनकी रक्षा करते हुए, आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि इसकी सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने के लिये केन्द्र सरकार को भेज दें।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप देखें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बार-बार खड़े हो रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ही असंसदीय आचरण करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जायेगी। दफा 307 की बाबत जो इन्होंने नहीं बताया उसके लिये क्षमा मांगें। स्वामी चिन्मयानन्द के लिये जांच स्वीकार

करें कि वे वहां थे या नहीं थे। तीसरे, सी0बी0,सी0आई0डी0, आप लोग बात सुन लें सी0बी0आई0 से जांच कराने के लिये निर्देशित करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी अकारण उत्तेजित हो गये, माननीय स्वामी चिन्मयानन्द जी जो वहां के सांसद हैं, मैंने उपस्थिति की बात कही नहीं ...

(व्यवधान)

दूसरी बात मान्यवर, मैंने यह कहा था कि मेरे पास जो जानकारी है उसमें 307 का उल्लेख नहीं है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि अगर आपके पास हो तो हमें दिखा दें हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, मैं फिर से घोषणा करता हूं कि हमारा इरादा किसी मामले को छिपाने का नहीं है आप स्वयं इसकी जाँच कर लें। अगर 307 में मुकदमा दर्ज होगा और उस अधिकारी ने जिसने शासन को जानकारी दी है, उसमें 307 का उल्लेख नहीं किया है, तो मैं घोषणा करता हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे और जरूर करेंगे। मान्यवर, हमारे नियमों में यह व्यवस्था है और आपकी पीठ से दिये हुए निर्देश हैं मैं उसी व्यवस्था के तहत दोहराना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अगर उसमें उल्लेख है और उसे मैंने छिपाया है तो मैं दण्ड का भागी हूं और अगर उसमें उल्लेख नहीं है तो जिसने भी इसे छिपाया है वह दण्ड का भागी होगा। मान्यवर, मेरा नियमों के विरुद्ध जाने का कोई इरादा नहीं है।

मान्यवर, वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार सबको है लेकिन उसका दुरुपयोग करना ठीक नहीं है और मैं इनके आरोपों का खण्डन करता हूं कि जो एफ0आई0आर0 लिखवायी गयी है उसमें 307 का उल्लेख है। उसकी पूरी जाँच हो रही है और जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। तीन एफ0आई0आर0 लिखायी गयी हैं। एक तो श्री भोला शंकर मौर्य जी की तरफ से और दूसरी दो अन्य की तरफ से जहाँ तक स्वामी चिन्मयानन्द जी का सवाल है मैंने उनकी उपस्थिति की बात नहीं की थी। मैंने यह कहा था कि उनकी पार्टी के लोगों ने यह किया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो वह यह बताने की कृपा करें कि वह अधिकारी कौन होगा क्योंकि सूचना एस0पी0 के माध्यम से आती है। मान्यवर, माननीय

मंत्री जी के पास वह कागज फाइल में मौजूद है। वह उसे दिखा नहीं रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन उठने से पहले देख लें उनके सारे कागजात सील करवा लें। आप उसमें देख लें एफ0आई0आर0 में 307 का उल्लेख है। आपके पास है, मेरे पास है इनके पास नहीं है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह हेराफेरी कर रहे हैं।इनके सारे रिकार्ड्स सील करवा दें। यह जान-बूझकर नहीं दिखा रहे हैं।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, माननीय भोला शंकर मौर्य जी इस आदरणीय सदन के पुराने सदस्य हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। मान्यवर, इस सदन में एक बार नहीं अनेकों बार इस प्रकार के प्रकरण उठे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद कराना चाहता हूं एक बार माननीय हरीश जी जो बस्ती के विधायक हुआ करते थे उनका एक प्रकरण यहां पर उठा था। किसी सिपाही या दरोगा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था तो आपको याद होगा हम लोग आपके साथ गये और तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से कहकर वहाँ के एस0पी0 को ट्रांसफर करा दिया था। मैं इसलिए इस उद्धरण को दे रहा हूं कि विधायक की गरिमा की अगर वह सरकार रक्षा नहीं कर पायेगी तो वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पायेगा।

मान्यवर, तथ्य चाहे कोई भी रहा हो लेकिन 307 का मुकदमा दर्ज है और 307 का मुकदमा दर्ज होने की विवेचना चल रही है अगर यह विवेचना महीनों तक चलती रही तो उस कार्यवाही का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर इनके ऊपर कोई ऐसी बात हो जाये, इनके ऊपर कोई प्राणघातक हमला हो जाये, जैसा कि माननीय शारदा प्रसाद रावत जी के साथ हुआ उन्हें मार दिया गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई, बदायूं के विधायक, श्री सोहन लाल पिंपले जो कि भूतपूर्व एम0पी0 रह चुके हैं उनकी हत्या कर दी गयी, अगर इसी प्रकार देखते रहेंगे और कोई कार्यवाही नहीं होगी तो कैसे संतोष होगा। आपने 307 का उल्लेख किया है तो क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह घोषणा करेंगे कि अगर वह 307 के अन्दर पाया गया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी उसे निलम्बित किया जायेगा।

श्री भोला शंकर मौर्य की जीवन की रक्षा का दायित्व आज आपके ऊपर है, सरकार के ऊपर है और यथोचित कार्यवाही करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

जिस प्रकरण को प्रमोद तिवारी और नेता विरोधी दल ने उठाया है, मैं

समझता हूं कि यह अत्यन्त गम्भीर मसला है। आज भोला शंकर मौर्य का ही सवाल नहीं है और भी अनेक स्थान हैं, जहाँ कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रहार किया गया है और यह सबसे दुखद और आश्चर्यजनक है कि जिस एफ0आई0आर0 की चर्चा प्रमोद तिवारी ने की है, उसमें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री की एफ0आई0आर0 की कापी में फर्क है।

मान्यवर, एफ0आई0आर0 दर्ज होती है, उसकी कापी आती है, और पर्ची कटती है और तब एस0पी0 की रिपोर्ट आ जाती है। मान्यवर, कहीं न कहीं तथ्य में विरोधाभास है, चाहे सूचना देने वाले ने सूचना नहीं दी, चाहे कहीं सूचना का अभाव बीच में हो गया, इस बात की आप जाँच कराइये। मुझे यह जानकर और भी आश्चर्य हो रहा है कि प्रमोद जी की सूचना में 307 दर्ज है और जो कापी आपके पास है, उसमें भी 307 दर्ज है, केवल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास जो सूचना है, उसमें 307 दर्ज नहीं है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इस तथ्य को छिपाने का प्रयास किया गया है, इसमें एक विधायक के सम्मान का प्रश्न निहित है।

मान्यवर, कानपुर देहात में इसी प्रकार का एक मामला आया था, वहाँ के भूतपूर्व विधायक श्री भगवानदीन कुशवाहा का। मुझे यह कहने में कतई हिचक नहीं है, लेकिन बात सत्य है, जैसे यहाँ स्वामी जी का नाम आया, वैसे ही वहाँ भाजपा विधायक का नाम आया, वहाँ गोलियाँ नहीं चली और भूतपूर्व विधायक को बन्दी बना लिया गया, एफ0आई0आर0 हुई। बाद में कहा गया कि उनको छोड़ दिया गया, लेकिन रात 12 बजे फिर भूतपूर्व विधायक को पकड़ लिया गया।

मान्यवर, यह एक हरिजन विधायक हैं और पुराने मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे प्रकरण को आपको बहुत गंभीरता से लेना चाहिये। जिस अधिकारी ने ऐसी रिपोर्ट सदन में पेश की है, जिसमें 307 दर्ज नहीं है, उसके ख़िलाफ कार्यवाही की जाय। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि माननीय मंत्री जी आज ही सदन में इसकी घोषणा करेंगे, साथ ही सी0बी0आई0 से जांच करवाने की भी घोषणा करेंगे, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाय। इस तरह की घटनायें आज केवल हमारे विपक्ष के विधायकों के साथ ही नहीं, कल सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ भी होंगी।

जब मैं नेता विरोधी दल था, उस समय आपके दल के कुछ लोग मुझसे मिले थे, उन्होंने बताया कि विपक्ष के साथ जो कुछ हो रहा है, वह तो है ही, लेकिन सत्ता पक्ष के पास इतनी काबलियत नहीं है, इसलिये उनके साथ भी

अन्याय हो रहा है। मान्यवर, आप इस बात को बड़ी गंभीरता से लें और जो मैंने भगवानदीन कुशवाहा का मामला बताया है, उसको भी सम्मिलित करते हुये, आज ही घोषणा करवाएं कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, बल्कि मैं तो उसके निलम्बन की माँग कर रहा हूं। इसके साथ ही सी0बी0आई0 की जांच करवाने की भी घोषणा करवाएं।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जो यहाँ के माननीय सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा तथा सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है। श्रीमन् सही भी है कि अगर हम यहाँ बैठे हुये लोगों की माननीय सदस्यों की सरकार सुरक्षा तथा सम्मान की रंक्षा नहीं कर सकती है, तो पूरे प्रदेश की क्या जिम्मेदारी उठायेगी? आज 20 दिन से ऊपर हो गये, माननीय भोला शंकर मौर्य जी वरिष्ठ सदस्य हैं, इस सदन में मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ यह भी परम्परा रही है कि जो सदन में माननीय सदस्य कहता है, उसकी बात को सत्य माना जाता है और उस पर कार्यवाही की जाती है।

यदि कोई अन्तिम फैसला हुआ होता, तो कोई चिन्ता न होती, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गयी है, किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी के खिलाफ। साथ ही जो सूचना आई है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास, वह भी अपूर्ण है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दायित्व बनता है कि जो परम्परायें टूटती जा रही है, उन्हें बचायें। एक तरह से आज अधिकारी बेलगाम हो गये हैं, जो जन प्रतिनिधि हैं, उनको वह बिल्कुल अपने से छोटा व्यक्ति समझते हैं।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

यह हमारे विरोध पक्ष के लिए ही चिन्ता की बात नहीं है वरन् पूरे संसदीय लोकतंत्र के लिए चिन्ता की बात है। आज हमारे जन प्रतिनिधियों का अपमान व असुरक्षा की बात पैदा हो रही है, इसलिए अधिकारियों पर अंकुश लगे, यहाँ पर माननीय मुख्य मंत्री उपस्थित भी हैं, वह इस सदन में घोषणा करें कि इस गम्भीर मसले पर शासन क्या कार्यवाही करने जा रहा है। श्री भोला शंकर मौर्या जी भी अपनी बात अभी कहेंगे। उनकी जान को आज भी खतरा है। राजनीति से ऊपर उठकर इस पर आपको कार्यवाही करनी चाहिये। मैं भी जब संसदीय कार्यमंत्री था तो यहाँ पर एक विधायक का मामला उठाया गया था तो एडीसनल एस0पी0 को वहाँ से हमने हटा दिया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल-

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है। आज माननीय सदस्यों के साथ पूरे प्रदेश में जो बर्ताव हो रहा है, वह भी चिन्ता का विषय है। सबसे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि श्री भोला शंकर मौर्या जी के बारे में जो रिपोर्ट है, उसमें जो तथ्य धारा 307 का है, वह आपके पास भी है, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी के पास भी है, किन्तु माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के पास नहीं है। श्रीमन् 26 जनवरी का यह प्रकरण है। 20 दिन से ऊपर इस मामले को हो गया है। श्री मौर्या जी एक पुराने सदस्य के साथ ही साथ इस प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं। परन्तु इस मसले को सरकार ने अभी तक गम्भीरता से नहीं लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हम लोगों के संरक्षक हैं।

जब तक आप शासन को यहाँ पर निर्देशित नहीं करेंगे तब तक हम बाहर भी संरक्षित नहीं रह पायेंगे। आये दिन राजनैतिक हत्यायें हो रही हैं। श्री भोला शंकर मौर्या जी के साथ कब क्या होगा, यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि जिस भी अधिकारी ने तथ्यों को छिपाकर रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है, उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरा, श्री भोला शंकर मौर्य जी की सुरक्षा की पूरी की पूरी जिम्मेदारी, उनकी सम्पत्ति व उनके जान की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री राम लखन-

मान्यवर, श्री भोला शंकर मौर्या जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जो बहुत ही दुखद और निन्दनीय है। इसी तरह से केवल श्री भोला शंकर मौर्या जी के ऊपर ही नहीं अपितु हमारी पार्टी के श्री दिनकर जी के ऊपर भी मऊ के बगेरू के थानाध्यक्ष ने प्राणघातक हमला किया। इसकी सूचना आपके पास पहुँच गयी होगी। यह एक पवित्र सदन है। मेरे विद्वान साथी श्री प्रमोद तिवारी जी व विद्वान नेता श्री कैलाशनाथ सिंह यादव जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, यह पवित्र सदन है। यहां पर किसी जाति-पांति या किसी दल विशेष का कोई प्रश्न नहीं है, मामला एक विधायक का है। श्रीमन् मैं सदन के सामने आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ने जो हरिजन शब्द को हटा दिया है, यह उचित काम किया है। मैं चाहता हूं कि किसी जाति के सदस्य को उसकी जाति से सम्बोधित न करें और अगर सम्बोधित करें तो जो उसकी जाति है, उससे ही करें। मान्यवर, श्री भोला शंकर मौर्य जी के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके सम्बन्ध में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो घोषणा की

है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

* श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, मेरे साथ जो घटना घटी है, उसकी सूचना मैंने आपको दी है, माननीय मुख्य मंत्री जी को दी है और जो इस प्रदेश की हाइएस्ट एथारिटी हैं, राज्यपाल महोदय को भी इसकी सूचना दी है। उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है, इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाये। यह घटना राजनीतिक रूप से मेरी हत्या कराने का प्रयास है। (शेम शेम की आवाजें) मान्यवर, बिलसी, नगरपालिका, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में है। वहां पर बी0जे0पी0 के चेयरमैन हैं। उनके खिलाफ 19 दिसम्बर को अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और उस पर 21 जनवरी को विचार होना था, लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार होने के पूर्व ही वहां के स्थानीय सांसद और उनके समर्थक के दबाव में जिनका उस नगर पालिका को समर्थन प्राप्त है, 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया गया।

मैं नगर विकास सचिव से 3 बार मिला और उनसे कहा कि उस कारण बताओ नोटिस की प्रतिलिपि दिला दी जाये, लेकिन उसकी प्रतिलिपि नहीं दी गयी। नगर पालिका के जो सदस्य हैं, उनकी संख्या 18 है, उनमें मेरा 12 का बहुमत है, किसी को कोई मौका नहीं दिया गया। वहां पर जो एस0डी0एम0 है वह नगर पालिका के अध्यक्ष का रिश्तेदार है और जो वह रिपोर्ट है, उसकी प्रतिलिपि आज तक नहीं दी गयी है। मैंने उनसे भी प्रतिलिपि की मांग की, लेकिन एस0डी0एम0 ने कहा कि सारे कागजात चेयरमैन के घर पर हैं, वह घर ले गये हैं। मान्यवर, 21 जनवरी को उस अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार होना था, लेकिन 19 जनवरी को ही उस नगरपालिका को सुपरसीड कर दिया गया, 3 दिन पहले ही सुपरसीड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि उसको सुपरसीड करने का क्या औचित्य था। हमारे साथ बहुमत था और मेरा पूरा विश्वास था कि वह अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता और जो वहाँ के स्थानीय सांसद थे, उनकी जो प्रतिष्ठा थी वह सामने आ जाती और इसी कारण उसको सुपरसीड कर दिया गया। मान्यवर, उस कालेज में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, लेकिन वहां पर एक भी पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। वहां पर कम से कम 3-4 हजार लोगों की गैदरिंग थी। यह जो हुआ है, वह सुनियोजित ढंग से हुआ है। मैंने जो विगत विधान सभा में 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी, वह सही पायी गयी। आज भी दो लाख रुपये का चन्दा किया गया है, वहां का एस0पी0 कटिबद्ध है कि मेरा कत्ल कर दिया जाये।

(शेम शेम की आवाजें)

मेरे जनपद के 3 विधायकों और एक भूतपूर्व विधायक का कत्ल हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुका है एक पूरी तरह से साजिश है एक जो स्वामी चिन्मयानन्द हैं उनके पुत्र बनते हैं उनकी साजिश है। जब स्वामी चिन्मयानन्द की शादी ही नहीं हुई तो पुत्र कैसे हो गये, जो एफ0आई0आर0 लिखी हुई है उसमें आदित्य चेतन सन आफ स्वामी चिन्मयानन्द लिखा हुआ है। तो यह सारा षडयंत्र स्वामी का रचा हुआ है, उनके दबाव में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं जिस स्तर पर प्रयास कर सकता था कर लिया है मैं तो सिर्फ मांग करूंगा जैसा कि गृहमंत्रालय से सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी के लिये नो आब्जैक्शन की मांग की है उसको यह दे दें और सी0बी0आई0 की जांच करा लें। उससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जायेगा।

वहां के एस0पी0 और थानाध्यक्ष को जब तक निलम्बित नहीं किया जायेगा जांच ठीक से नहीं हो सकती है। मैं इस घटना से दुखी हूं मेरे अधिकारों को आप संरक्षण दें। मेरे जनपद में 26/27 ता0 को जो घटना हुई उसमें इस मंत्रिमंडल के एक सदस्य वहां पर साढ़े तीन घंटे तक उसे दबाने के लिये वहां रहे। वहां सरकारी अधिकारियों, एस0पी0 और दरोगा को बुलाया और पूरा प्रयास किया गया कि इस घटना को दबाया जाय। जब तक इसकी सी0बी0आई0 से जांच नहीं होगी तब तक तथ्य सामने नहीं आयेंगे। जो मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किये गये हैं वह सब झूठे हैं। साढ़े आठ घंटे तक पूरे थाने को लोगों ने घेरे रखा कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाय तब एडीशनल एस0पी0 और एस0डी0एम0 ने माइक पर एलान किया कि दो दिन के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जायेगा लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई।

मैं जानता हूं कि पूरी सरकार मेरी हत्या कराने के लिये प्रयास कर रही है। इससे ज्यादा दुख की बात मेरे लिये हो नहीं सकती है। मैं चाहता हूं कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच कराई जाय, मुझे न्याय दिलाया जाय। मैं आज तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा सका हूं। यह पूरी तरह से मेरी हत्या कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

(श्री कृष्णस्वरूप वैश्य के खड़े होने पर) माननीय सदस्य ने अपनी बात कह दी है क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भोलाशंकर मौर्य जो पिछली बार भी सदस्य रहे हैं और मेरे जनपद के सहयोगियों में से हैं। मैं इस घटना के बारे में इस सदन में कुछ कहना नहीं चाहता था मैं नहीं चाहता था कि जो कुछ उस दिन वहां हुआ उसका उल्लेख यहां करूं। मगर मेरे मित्र भाई भोला शंकर

जी ने घटना को इस तरह से रखा जिससे मुझे बाध्य होना पड़ रहा है कुछ कहने के लिये। 26 ता0 को भाई भोलाशंकर बदायूं में थे ।। बजे तक, वहां रहे उसके बाद उस विद्यालय में गये 26 जनवरी के कार्यक्रम में वहां पर उन्होंने उत्तेजनात्मक बातें कही और उस क्षेत्र के सांसद के बारे में कही, उस विद्यालय में दूसरे पक्ष के कोई व्यक्ति मौजूद नहीं थे लेकिन जनता ने ही कहा आप 26 जनवरी के बारे में कहें, देश के बारे में बोलें किसी की व्यक्तिगत आलोचना या सांसद के बारे में न कहें। इतना कहने पैर मेरे मित्र इतने उत्तेजित हो गये उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनको मैं इस सदन में नहीं कहना चाहता हूं जो भी घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई भोला शंकर बोलते-बोलते सैकड़ों आदमियों को लेकर बाजार में चले आये और जिस विनय कुमार का अपहरण हो गया है उसके मकान पर गये और मकान पर पथराव किया (शेम-शेम) इस घटना की एफ0आई0आर0 लिखी गयी है। एक स्थानीय डाक्टर जो किसी पार्टी के नहीं हैं, दुकान पर पथराव किया गया, सारे बाजार में पथराव हुआ, दुकान के शीशे टूटे हुए हैं। (व्यवधान) कोई भी उसको देख सकता है अधिकारियों ने उसे देखा है।

जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखे हैं। उस दिन एक बजे के करीब मैं भी जनपद में था और इस घटना की मुझे जानकारी मिली तो पुलिस अधीक्षक से कहा कि श्री भोला शंकर की सुरक्षा का प्रबंध किया जाये। तब एस0पी0 उनसे मिले और उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया। दिनांक 27 को बहुत बड़ी संख्या में अपने ग्रामीण भाईयों को लेकर अपने समर्थकों की एक सभा बिलसी में उन्होंने की और बाजार का घेराव वह अपने समर्थकों सहित करना चाहते थे, इसलिये उनको रोका गया। यह सत्य है, उस दिन 27 को मैं भी बिलसी गया लेकिन नगर के अंदर नहीं गया, बल्कि 2 किलोमीटर दूर डाक बंगले में रुक गया और पुलिस अधीक्षक से कहा कि बाजार की सुरक्षा का प्रबंध किया जाये तथा श्री भोला शंकर जी की सुरक्षा का प्रबंध किया जाये।

26 तारीख के बाद घटना जो सभा में घटी है वह घटना श्री भोला शंकर के खिलाफ नहीं हुई उल्टे उनकी ओर से बिलसी बाजार में और शिशु मंदिर, जो बच्चों का है, वहां आक्रमण किया गया। (शेम-शेम की आवाजें) उनकी रिपोर्ट भी लिखी गयी है। भाई भोला शंकर का अपमान हो तो उसे मैं सदन का अपमान समझूंगा। चूंकि हम दोनों लोग मित्र हैं और एक साथ एक बार में वकालत करते रहे हैं। इसलिये ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और न कोई उन्हें चोट है जिसमें दफा 307 का अपराध बनें। छोटी घटना है और उसके हिसाब से कार्यवाही की गयी है। (व्यवधान)

मान्यवर, जो घटना घटी है उसके संबंध में नगरपालिका के अध्यक्ष का

जो अपहरण हुआ है उसके विरोध में भी एक कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठा था उसको उठवाया गया और एस0पी0 से कहा गया है कि इसकी जांच करायी जाये। मान्यवर, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है और उनकी जान की रक्षा की जायेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

अभी जो तथ्य सामने आये हैं जैसा राज्य मंत्री ने कहा है, मान्यवर, लगता यह है कि राज्य मंत्री जी वहां मौके पर मौजूद रहे हों और आज चश्मदीद गवाह के रूप में बात कही है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि वह बहुत दिनों से वकालत पेशे में हैं, तो वह भी जानते होंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर दफा 307 में कोई संघातिक चोट लगना आवश्यक नहीं है। तो दफा 307 का निर्णय आप नहीं करेंगे, इसका निर्णय वहां की पुलिस करेगी अपनी विवेचना में। इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसमें सुधार कर लें। और राज्य मंत्री जी से यह भी आग्रह है कि जो आपने बात कही है विधायक के सम्मान की रक्षा और उनकी पूरी सुरक्षा की जायेगी, लेकिन 26 तारीख की घटना के बाद माननीय सदस्य आज तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, तो इसकी आपने कोई व्यवस्था किया?

मान्यवर, दूसरी बात मैं संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार के गृह मंत्री ने आपसे नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है, सी0बी0आई0 जांच करने के लिये? यदि मांगा है तो सर्टिफिकेट देने में आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाये।

मान्यवर, तीसरा बिन्दु यह है कि दफा 307 के प्रकरण में जिस अधिकारी ने आपको सूचना नहीं दिया, ऐसा आप कहते हैं, तो उसके खिलाफ एक सप्ताह में कार्यवाही करने की घोषणा इस सदन में आप करें।

(व्यवधान)

श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, अभी राज्य मंत्री श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य जी ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वह स्वयं उस समय वहां मौजूद थे। उस दिन इनके यहां पुलिस के डी0आई0जी0, डी0एस0पी0 की दावत थी यह सबको पता है। मेरे खिलाफ 8 बजे रिपोर्ट लिखाई गई है। घटना सवा ग्यारह बजे की बताते हैं। मैं उस समय इन्टर कालेज में मौजूद था और धरने में भी था। मेरे खिलाफ अपहरण करने की एफ0आई0आर0 बताते हैं। जिसका अपहरण किया

गया वह आज रिश्तेदारी में मौजूद है। अगर मैं दोषी था तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मेरे खिलाफ एफ0आई0आर0 माननीय राज्य मंत्री जी की कृपा से लिखी गई है और उसमें मान्यवर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी इन्होंने प्रभावित किये। मेरे खिलाफ 107 और 116 की बात कही मेरे खिलाफ एक्शन के लिये आपकी कृपा से लिखा गया है। मान्यवर, मेरे लिये यह तथ्य है कि मेरे पास जो मैटर हैं वह जमा कर लिये जायं। मान्यवर, यह मेरी हत्या करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी की बातों से एक बात सामने आ गई इसलिये कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य जी ऐसे कह रहे थे जैसे सरकारी गवाह बोला करते हैं, जैसे पूरी घटना इन्होंने देखी हो। मान्यवर, इस माननीय सदन की परम्परा यह रही है कि यदि कोई सम्मानित सदस्य अपनी बीती कहना चाहता है तो सदन उसकी बात को स्वीकार करता रहा है। माननीय मंत्री, श्री वैश्य जी स्वयं उसी जनपद के रहने वाले हैं वह कह रहे हैं ऐसी घटना नहीं हुई। तो यह तो सरकारी वर्जन हो गया। इनके तथ्य कितने सही हैं इसका पता लगता है जैसे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक स्लिप लिखकर अभी श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य जी को भेजी जिस समय कि वह घटना के बारे में बता रहे थे। वैश्य जी ने अपनी ऐनक ठीक की और फिर उस स्लिप को पढ़ा।

जब वैश्य जी को घटना की जानकारी जितनी उन्हें पता थी वह दे रहे थे तो उस स्लिप की क्या आवश्यकता थी। स्लिप इनके पास है। हो सकता है कुछ बातें इनके दिमाग से स्लिप कर गई होंगी जिसके लिये इन्हें स्लिप की जरूरत पड़ी हो। एक आखिरी बात इन्होंने कही कि उनकी सम्पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई तो मान्यवर क्या यही सुरक्षा व्यवस्था की गई कि इनके जो लाइसेंस शुदा हथियार थे उन्हें निरस्त करने के निर्देश दे दिये गये हैं। सरकार कुछ कह रही है सदस्य कुछ कह रहे हैं तो मान्यवर इसके लिये सी0बी0आई0 जांच करायें। या फिर एक सर्वदलीय समिति बना दी जाय और अगर जांच में गलती पाई जाय तो निश्चित रूप से सदन में वह निश्चित रूप से क्षमा मांग लेंगे। और अगर सर्वदलीय समिति इस निर्णय पर पहुँचती है कि गलती सरकार की है तो इसमें सरकार क्षमा मांगे। हम चाहते हैं कि आप इस पूरे प्रकरण को

सी0बी0आई0 को सौंप दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं इस मामले को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं मैंने भाषण के प्रारम्भ में भी कहा था कि आदरणीय सदस्य इधर के और उधर के दोनों जनप्रतिनिधि हैं। उनका सम्मान सर्वोपरि है। भोला शंकर मौर्य जी हमारे पुराने साथी हैं वह जिस तरह से भी अपने को सुरक्षित चाहेंगे वैसी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। जाँच के बारे में जो वर्तमान एजेन्सी बताई मैं माननीय तिवारी जी से बात कर लूँगा, जैसा वह चाहेंगे बात कर ली जाएगी। दूसरी बात माननीय वैश्य जी भोला शंकर मौर्य जी के जिले के हैं उन्होंने जानकारी दी।

सदस्यों के द्वारा दिए हुए तथ्य सही माने जाते हैं। वैश्य जी के पास अगर कोई तथ्य हैं तो वह सदन में आने चाहिए तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो संसदीय परिपाटी से अलग हो। मैं दोहराना चाहूंगा कि भोला शंकर मौर्य जी अपने को सब तरह से सुरक्षित समझें अगर वह समझते हैं कि वह सुरक्षित नहीं हैं तो वह जिस तरह से अपने को सुरक्षित समझेंगे उस तरह से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है उनको कोई खतरा नहीं है अगर उनके मन में कोई खतरा लगता है तो उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप निर्देश दे दें कि सी0बी0आई0 से जांच करायेंगे, और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करायेंगे।

(शोर)

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, मैं इस बात को बहुत विस्तार में नहीं लाना चाहता। अनेक प्रकार की बातें आई हैं और सारा प्रकरण लगभग हर पहलू से प्रकाश में आ गया है। मेरी ओर से इस पर कोई टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं है अगर मैं कुछ कहूंगा तो जांच प्रभावित हो सकती है। इसमें तीन बातें सामने आई हैं।

पहली बात तो यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने 307 की बात का उल्लेख नहीं किया तो मैं बता दूं कि कहीं कोई त्रुटि रहेगी तो उसमें कार्यवाही हो जाएगी।

दूसरी बात, जहां तक श्री भोला शंकर मौर्य जी की सुरक्षा का प्रश्न है। तो उनकी सुरक्षा के बारे में कह दिया गया कि सुरक्षा कर दी जाएगी।

तीसरी बात जाँच के बारे में कही गई है आपको शंका लग रही है कि स्थानीय पुलिस सहीं जांच नहीं करेगी, तो मैं बताना चाहूँगा कि वहां दो-तीन एफ0आई0आर0 जो दर्ज हुई हैं उसमें घोषणा करता हूं कि सारे प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 के द्वारा कराई जाएगी।

(श्री भोला शंकर मौर्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये।)

श्री कल्याण सिंह-

सी0आई0डी0 की निष्पक्ष जांच करा ली जाएगी। तीनों एफ0आई0आर0, सी0आई0डी0 की जांच के लिए है। सी0आई0डी0 से आगे जांच कराने की आवश्यकता मैं इसमें नहीं समझता हूं। इतना बता देना चाहता हूँ कि किसी दोषी व्यक्ति को बचाया नहीं जाएगा और किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा।

(मेजें थपथपाई गई)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उन्होंने सी0आई0डी0 जांच की बात कही है। मैं यह तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय से संभवतः आपके पास यह लिखकर आया है कि अगर नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दें तो भारत सरकार सी0बी0आई0 से जांच कराने के लिये तैयार है। एक तथ्य माननीय भोला शंकर मौर्य जी ने बताया और एक तथ्य आपके राज्य मंत्री जी ने बताया है। दोनों तथ्यों के बारे में निष्पक्षता के साथ जांच हो और जो आदमी दोषी है उसके खिलाफ अपेक्षित कार्यवाही हो सके इसके लिये यह आवश्यक है कि नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिया जाय। इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, अभी माननीय भोला शंकर मौर्य जी ने अपना बयान दिया और माननीय वैश्य जी ने कुछ बातें कहीं। यह स्पष्ट हो गया कि दोनों बातों में विरोधाभास है इसलिये जांच की आवश्यकता हो गयी। अब प्रकरण केवल यह है कि जांच किस एजेंसी से करवायी जाय। यहां पर एक माननीय सांसद का नाम आ गया। जनप्रतिनिधियों में यहां पर विधायक और दिल्ली में सांसद, इससे बड़ी कोई और हस्ती नहीं होती। अगर गृह मंत्री जी ने भेजा है कि अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता है तो मैं विरोध पक्ष की ओर से मांग करता हूं कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र देकर इसकी जांच सी0बी0आई0 के सुपुर्द की जाय ताकि

निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात अगर आपने कोई हथियार निरस्त करने की बात की है, विधायकों को शैडो और गनर दिये जाते हैं, अगर विधायक को लाइसेंस दिया है तो उसके निरस्तीकरण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उनका लाइसेंस निरस्त करना, कम से कम विधायक के सम्मान के लिये उनके पास उसको रहने दिया जाय यह मेरा कहना है। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, हो सकता है कि सूचना का अभाव हो लेकिन अगर यह परम्परा चलेगी तो मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही चलना मुश्किल हो जायेगा। अनेक ऐसे अधिकारी हैं, यह नौकरशाही पूरे शासन पर हावी हो गयी है। अगर नौकरशाही पर अंकुश नहीं लगा तो आज विधायक और कल मंत्रियों को भी अपमानित करने की घटनायें होंगी। नौकरशाही पर काबू रखने के लिये आज ही घोषणा करें कि उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। मैंने तो उसके निलंबन की मांग की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

सभी की जानकारी प्राप्त कर लूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी ने सी0आई0डी0 जांच की घोषणा की है। अगर यह जांच की घोषणा शुरू में कर दिया होता तो हमारे ऐसा व्यक्ति तो सहमत ही होता। लेकिन माननीय राज्य मंत्री द्वारा सफाई देने के बाद अब सी0आई0डी0 की जांच का कोई औचित्य नहीं रह गया है। एक सरकारी व्यक्ति पूरी तरह से कह रहा है कि कोई घटना हुई ही नहीं है तो हिम्मत है सी0आई0डी0 की कि मंत्री के बयान के खिलाफ रिपोर्ट लगा दें। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जिस भावना को व्यक्त किया कि किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जायेगा और दोषी को बचाया नहीं जायेगा, इस भावना को देखते हुए बिना किसी पूर्वाग्रह के, जिद के घोषणा करें। सी0आई0डी0 को सुपुर्द करने से सरकार का खर्चा ही बढ़ेगा। इसकी जांच सी0बी0आई0 से करायें। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें।

श्री कल्याण सिंह-

मैं केवल एक सूचना दे रहा हूं। माननीय कैलाश नाथ सिंह ने एक बात कही थी कि माननीय भोला शंकर मौर्य का लाइसेंस निरस्त न किया जाय। यदि माननीय भोला शंकर मौर्य के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही चल रही होगी तो वह लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही समाप्त कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष:

मैं अब इस पर व्यवस्था दे रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी:

मान्यवर, सी0आई0डी0 की जांच तो इन्होंने अपने दोषी लोगों को बचाने के लिये कराई है। अभियुक्तों को गिरफ्तारी से बचाने के लिये सी0आई0डी0 जांच कराई है। सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना लिया है? सी0बी0आई0 से जांच कराने में क्या आपत्ति है। या फिर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दें जो भारत सरकार ने मांगा है। भारत सरकार ने सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करके ही मांगा है। इस प्रदेश की सरकार एक विधायक के प्रकरण में क्यों इतना विलम्ब कर रही है? सी0बी0आई0 की जांच में इनको क्या आपत्ति है? फिर जब उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री यहीं विधान सभा में क्लीन चिट दे रहा है कि भोला शंकर मौर्य की गलती है, दूसरे पक्ष की गलती नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लीन चिट दे दी तो फिर क्या जांच होगी?

यदि आप चाहते हैं कि विधायकों का सम्मान रहे तो सी0बी0आई0 से जांच करावें। यह भोला शंकर मौर्य जी के मामलों में यदि यह सरकार जांच कराने का काम नहीं कर रही है तो यह सम्पूर्ण सदन और आपकी पीठ का अपमान है। आज इधर के एक सदस्य के साथ हुआ, कल उधर के सदस्यों के साथ होगा। इसमें ये नौकरशाही पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं। इनको कृपया सी0बी0आई0 से जांच कराने के निर्देश देने की कृपा करें।

(सर्वश्री मो0 मुकीम, हरी चरन यादव, रामपाल, गंगा बख्श सिंह तथा अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये। कुछ माननीय सदस्य अपने आसन से नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष:

आप तो माननीय मौर्य जी से भी एक कदम आगे चले गये। माननीय मौर्य जी ने कहीं भी हरिजन होने की चर्चा नहीं की और आप हरिजन का मामला उठाने लगे। उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र में भी कहीं हरिजन शब्द नहीं लिखा (घोर व्यवधान) कृपया मुझे व्यवस्था देने दें (घोर व्यवधान के मध्य) आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें। नियम 300 के अन्तर्गत माननीय नरेश अग्रवाल और माननीय भोला शंकर मौर्य के हस्ताक्षर से एक सूचना प्राप्त हुई थी (घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा:

मान्यवर, पहले व्यवस्था तो करावें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

अंतिम उत्तर क्या आया बता दें।

श्री अध्यक्ष:

यह शोभा नहीं देता है कि आप इस प्रकार की अव्यवस्था करें। माननीय नेता विरोधी दल से अनुरोध है कि फ्लोर पर बैठे माननीय सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करावें (घोर व्यवधान) जब आप चाहते हैं कि सदन न चले तो अव्यवस्था पैदा करते हैं। कितना शांतिपूर्वक सदन चला, आपने अपनी बात कही, लेकिन जब मैं व्यवस्था दे रहा हूं तो वेल में आकर बैठे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा:

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आपने माननीय सदस्यों से अपनी सीट पर जाने के लिये कहा। तो मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से घोषणा करवा दीजिये, सी0बी0आई0 से जांच कराने की, तो यह सब ठीक हो जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ की तरफ नारे लगाते हुए बढ़ने का प्रयास किये, जिन्हें विधान सभा रक्षकों ने रोक लिया।)

श्री लीला राम शर्मा:

मान्यवर, निष्पक्ष जांच के लिए सी0बी0आई0 द्वारा जांच कराना आवश्यक है।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह:

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सी0बी0आई0 की जांच करवाने के लिए तैयार नहीं हैं और माननीय भोला शंकर मौर्य को सी0बी0आई0 पर विश्वास है। इसमें मान्यवर, एक ही रास्ता निकल सकता है कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय, जिसमें दोनों पक्ष के कुल पांच सदस्य हों और वह कमेटी इस मुद्दे पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे दें। मान्यवर, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात से सहमत हों, तो मान्यवर, आप इसकी कमेटी बना दें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल की बात सही है, मेरी भी आपसे मांग है कि आप सर्वदलीय कमेटी बना दें और उसका अनुपात आप स्वयं देखकर

उसकी संख्या रख दें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी:-

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि इसमें न्याय के लिए आवश्यक है कि इसकी एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:-

मैं इस सूचना पर 19 तारीख को निर्णय दूंगा।

नरेश अग्रवाल:-

मान्यवर, इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री की हठ-धर्मिता पर सदन नहीं चलेगा।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाते रहने से घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष:-

अगली सूचना जो माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी की है, उसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

(घोर व्यवधान)

इसके बाद माननीय संत श्रीराम द्विवेदी की सूचना है, इसमें औचित्य का कोई प्रश्न अन्तर्गत नहीं है, इसे अस्वीकार करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैं सदन को 2.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(इसके बाद 2 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।

2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

3 बजे श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

3 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने पुनः सदन का स्थगन 4 बजे तक और बढ़ा दिया।

4 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, अभी जो प्रकरण माननीय श्री भोला शंकर मौर्या जी के संबंध में इस सदन में उठा, उसके संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसमें वह तत्काल वहाँ के प्रभारी, थाना के खिलाफ कार्यवाही करें। दूसरा उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाय, तीसरा उनके हथियारों के लाइसेन्सों के निरस्तीकरण की जो बात है, उसे समाप्त किया जाय चौथा सी0आई0डी0 के किसी एस0पी0 रैंक के अधिकारी से इसकी जाँच कराई जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हमारी बात तो माननीय मुख्य मंत्री जी मानेंगे नहीं। हम तो चाहते हैं कि उस अधिकारी को निलम्बित किया जाय और अन्य के खिलाफ भी कार्यवाही की जाय।

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, चार बिन्दु हैं। इन चारों बिन्दुओं पर शासन की ओर से बात रखना चाहता हूँ। प्रथम, सी0आई0डी0 के किसी एस0पी0 रैंक के अधिकारी से जाँच करायी जायेगी, दूसरा, श्री भोला शंकर मौर्या जी की सुरक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, वह सरकार करेगी। तीसरा, उनके हथियारों के लाइसेन्सों की निरस्तीकरण करने की बात यहाँ पर उठाई गई थी, हम आज ही आदेश भेज देंगे कि उनके लाइसेन्सों को निरस्त न किया जाय चौथा, जिस क्षेत्र में विधायक जी के अपमान की शिकायत प्राप्त हो रही है, मैं दो-तीन दिन में जानकारी प्राप्त कर, उस पर कार्यवाही कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रकरण पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि 19 फरवरी, 1992 को मैं इस पर निर्णय दूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, उस समय मैं इसका भी ध्यान रखूँगा।

औचित्य के प्रश्न की अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-300 के अंतर्गत श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की जो सूचना है, इस पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मैं इसे शासन को भेज रहा हूं। इसके बाद श्री संत श्रीराम द्विवेदी जी की सूचना है, यह नियम-300 के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 के अंतर्गत आज 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना सर्वश्री कुंवर रेवती रमण सिंह, प्रमोद तिवारी, बेनी प्रसाद वर्मा, राम आसरे वर्मा, राम लखन, ऊदल, डा0 बृजभान यादव, सोमांश प्रकाश, विजय पाल सिंह तोमर व श्री बलराम यादव जी की जनपद गाजियाबाद के हापुड़ कस्बे में पुलिस फायरिंग एवं साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री कैलाशनाथ सिंह यादव जी की जिलाधिकारी मऊ द्वारा राजनैतिक नेताओं के उत्पीड़न के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री भारत सिंह रावत जी की गढ़वाल मण्डल के जनपद उत्तर काशी, चमोली एवं टिहरी में भूकम्प पीड़ितों को समुचित सहायता न मिलने के संबंध में है, चौथी सूचना सर्वश्री किशोरी लाल, ज्वाला प्रसाद यादव, राज नारायण बिन्द व श्री सुल्तानरजा मिर्जा की पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा शहीदों का अपमान किये जाने के संबंध में है।

पाँचवीं सूचना सर्वश्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और श्री गया चरन दिनकर की विधायकों को जान से मारने आदि के संबंध में है, छठी सूचना श्री यदुनाथ सिंह जी की दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में जहरीली सुरा से 200 लोगों की मौत के संबंध में है, सातवीं सूचना सर्वश्री प्रमोद तिवारी, राम लखन, नरेश अग्रवाल, लाल जी वर्मा, हृदय नारायण दीक्षित, राम औतार शाक्य, अशोक कुमार, ओम प्रकाश श्री सुखदेव जी की परसपुर जनपद गोण्डा में पुलिस द्वारा छात्रों की हत्या के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री स्वामी नाथ यादव जी की प्रदेश में गन्ना किसानों का बिचौलियों द्वारा शोषण किये जाने के संबंध में है।

मेरा एक निवेदन है कि आज महामहिम जी के अभिभाषण के ऊपर माननीय नेता विरोधी दल जी का भाषण होने की आशा है। किस हद तक वह बोल पायेंगे, यह तो समय पर निर्भर करता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि नियम 311 के अंतर्गत दी गई सूचना पर माननीय सदस्य केवल ग्राह्यता के बारे में संक्षेप में अपनी बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। पहली सूचना नेता विरोधी दल की है, गाजियाबाद में पुलिस फायरिंग के बारे में है।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, कल ही इस सदन में जब हम लोगों ने नियम 311 में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में इस मसले को सदन में उठाया था, तो मान्यवर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इस प्रदेश को दंगा रहित और भय मुक्त समाज बनायेंगे। उन्होंने कहा था कि समाज की इस प्रकार की संरचना करने के लिये हम कटिबद्ध हैं। कल ही जब हम बोल रहे थे, तो परसों और कल तक गाजियाबाद के हापुड़ कस्बे में 12 लोगों की जान साम्प्रदायिक दंगे में ही गयी।

मान्यवर, जब से बी0जे0पी0 की सरकार बनी है, तब से नर संहार का तांता शुरू हो गया है। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यह सरकार किसी तरह भी प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाने में पूर्ण रूप से असफल रही है और इसीलिये आज पूरे प्रदेश में जैसा मैंने कल कहा था कि एक भय का वातावरण खासतौर से अल्प संख्यकों में व्याप्त हो गया है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम न बहुसंख्यक और न अल्पसंख्यकों का ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जहां पर भय का वातावरण रहे, बल्कि ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जहां पर भय का कोई वातावरण न रहे। आप कैसा समाज बनाना चाहते हैं। आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें न अल्प संख्यक रहें और न मुसलमान भाई रहें। आप चाहते हैं कि यहां पर केवल बहुसंख्यक ही रह जायें और जो लाठी के बल पर और बन्दूक के बल पर न शासन को माने और न प्रशासन को माने और न पुलिस को मानें।

इससे ज्यादा खतरनाक और क्या बात हो सकती है। इसलिये आपने देखा कि कल जलालपुर की घटना का जिक्र किया था। यहां पर भी यही हुआ। विवाद होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाये और उसके लिये सरकार की ओर से उनको संरक्षण मिले। मान्यवर, जहां पर साम्प्रदायिक तनाव नहीं होता है, वहां पर साम्प्रदायिक तनाव बना दिया जाता है और वहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी जाती है जिससे भय मुक्त समाज और दंगा रहित समाज बनाने के बजाय वहां पर भय ही भय व्याप्त है। हापुड़ में जो हुआ अगर उस पर एक नजर डाली जाये, तो नाजिर जहां ने अपनी सम्पत्ति को बेचा और उसको दूसरे लोगों ने जब खरीद लिया, तो वहां पर एक शिवलिंग रख दिया गया और उसी में साम्प्रदायिक तनाव फैला, वहां पर पहले कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं था, लेकिन उसको साम्प्रदायिक बना दिया गया। शिवलिंग को किसी की निजी संपत्ति पर रखने का अधिकार किसी को नहीं है। इसी से वहां झगड़ा पैदा हुआ और पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पहले वहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का तनाव नहीं था लेकिन गोली चलने के बाद इस बात का जबरदस्त प्रयास किया गया और इसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिये मुद्दा बना दिया। दूसरी ओर उस रोज 5 बजे उसे गिरफ्तार किया गया और 6 बजे अल्पसंख्यकों को चाकू से मार डाला। इस प्रकार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक

के झगड़े में उसे परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह की घटनायें इस प्रदेश में होती रही तो आपकी पुलिस उसे रोक नहीं पायेगी और जो अमन-चैन आप पैदा करना चाहते हैं। वह नहीं कर पायेंगे। अगर लोगों का विश्वास उठ गया तो आप पुलिस के बल पर, प्रशासन के बल पर प्रशासन चला नहीं पायेंगे चाहे कोई सरकार हो वह भी नहीं चला पायेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। न्यायिक जांच की प्रक्रिया बहुत लम्बी है दो ढाई साल उसमें लगेंगे और जब तक उसका नतीजा आयेगा पता नहीं तब तक आप सरकार में बने रहेंगे या नहीं। आप केवल एक साम्प्रदाय की, केवल आर0एस0एस0 की बात, उनकी रक्षा करने की बात या उनके द्वारा समाज में विभेद पैदा करने की बात को नहीं रोकेंगे तो जो बनारस में हुआ वैसा ही होगा।

बनारस में 8 ता0 को पुलिस ने कार्यवाही कर दी होती तो 13 ता0 की घटना नहीं घटती। मुझे याद है जब मैं और भूतपूर्व प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वहां गये तो केवल एक संप्रदाय के लोगों को बंद किया गया था और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे रोज खिशा वालों को या खोंचे वालों को बंद किया गया यह दिखाने के लिये कि हमने दोनों तरफ के लोगों को बंद किया है। इस हापुड़ की घटना की केवल न्यायिक जांच करा देने से आपका उत्तरदायित्व खत्म नहीं होता। पहले आपको इन बातों को देखना चाहिये कि जिन लोगों ने वहां शिवलिंग रखा, पीडी रखी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, क्या वे लोग गिरफ्तार हुये और जेल भेजे गये। अगर इस तरह से किसी की निजी संपत्ति में विवाद खड़ा कर दिया जायेगा तो इसका कहीं अंत नहीं होगा। इससे बड़ा प्रदेश और देश को खण्डित करने के लिये दूसरा षड़यंत्र नहीं हो सकता है। आप जो भयमुक्त समाज और दंगा रहित समाज की घोषणा करते हैं यह केवल कल्पना ही रह जायेगी इसे आप उसे धरती पर नहीं उतार पायेंगे। कृपया अपने लोगों के आचरण में सुधार लाइये उनसे कहिये कि थोड़ा सहनशील बनें। इस प्रदेश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं सभी को बराबरी का अधिकार है, सभी को अपना धर्मस्थल और अपनी निजी संपत्ति रखने का पूरा-पूरा अधिकार है। इस प्रकार की घटनायें अगर नहीं रुकी तो यह झंझावात पूरे प्रदेश में चल पड़ेगा। अभी बनारस में हुआ, जलालपुर में हुआ और हापुड़ में हो रहा है; किशनपुर में भी हुआ आगे इसका तांता लग जायेगा।

(इस समय 4 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बसन्त लाल गुप्ता पीठासीन हुये)

मेरा आपसे केवल एक आग्रह है कि यह समय का जो अंतराल बीत

रहा है उसको रोकने के लिये एक सदन की कमेटी आप बना दें। सदन की कमेटी में दोनों तरफ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य रहें। मान्यवर, सत्ता में आने के बाद सोच में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जहां पहले आप लोग भी मांग करते रहे हैं बार-बार कि सदन की कमेटी बनायी जाये उसी तरह कदाचित आज कमेटी बनाने में आप हिचकिचायेंगे नहीं और वह 10 दिनों में सदन में रिपोर्ट अपनी दे दे जिससे इस बात का पता चल जाये कि इसके लिये कौन दोषी है और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके एक सबक सिखा दें जिससें भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।

श्री प्रमोद तिवारी-

अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार ने प्रगति का कोई वायदा नहीं किया था और न विकास की कोई गारन्टी ही दिया था कि सरकार सत्तारूढ़ होगी तो विकास करेगी। हां एक गारन्टी जरूर दिया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो भयमुक्त और दंगा रहित वातावरण बनायेगी। मान्यवर, भय-मुक्त और दंगा रहित समाज बनाने में इनकी जमा पूंजी बिक चुकी है और अब इस सरकार को कहा जा सकता है कि दंगा कराने वाली यह सरकार हो गयी है। अभी तक दंगे होते थे तो सरकार उनको रोकती थी लेकिन मौजूदा सरकार इतिहास में जानी जायेगी कि सर्वाधिक दंगा करने वाली भाजपा सरकार थी।

मान्यवर, यह एक ऐसी सरकार होगी जो पहले तो इनके कार्य बाहर बैठकर सत्ता में पहुंचने का होता था लेकिन अब सत्ता में पहुंचने के बाद इनकी सरकार हर मोर्चे में असफल हो गयी है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, विकास कार्य शून्य हो चुके हैं और किसी भी मोर्चे में यह सरकार सफल नहीं हुई है। इसलिये अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिये प्रदेश के हर कोने में यह सरकार दंगे करवा रही है। मान्यवर, यह सरकार दंगे कराने की एक्सपर्ट सरकार है। (व्यवधान)

मान्यवर, हापुड़ की घटना को आपने देखा। इस घटना से एक सबक मिलता है। पहले इन्होंने लोगों की हत्यायें करायी और फिर अपहरण कराया। वहां लोगों को इतना आतंकित कर दिया गया है कि लोग अपनी संपत्ति को बेच भी न सकें तो मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के लोग हापुड़ में आतंक का ऐसा वातावरण कायम करना चाहते हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां यह सब इनके इशारे और भागीदारी से हुआ है। मान्यवर, एक बात और स्पष्ट आयी कि 15 दिनों से वहां ऐसी स्थितियां पैदा की गयीं जिससे वहां कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती थी और वही हुआ लेकिन वहां का प्रशासन सोता रहा।

मान्यवर, सरकार जुडीशियल इंक्वायरी किससे करायेगी, यह बात स्पष्ट नहीं किया है, इसलिये मेरी मांग है कि यह जांच हाईकोर्ट के जज द्वारा कराई जाये। लेकिन इसके पहले जैसा नेता विरोधी दल ने कहा है उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि इस सदन की एक सर्वदलीय कमेटी बनायी जाये जो मौके पर जाकर देखे कि इस घटना में कौन लोग दोषी है।

मान्यवर, इस सरकार से मैं नैतिकता की आशा नहीं करता हूं क्योंकि जिस जनता ने इनको यहां भेजा है उसे न राम मिला न रोटी, और न यह भय मुक्त और क्षमा रहित वातावरण ही जनता को दे पाये हैं। मान्यवर, यदि इनमें जरा सी भी नैतिकता है तो त्याग पत्र देकर जनता से यह माफी मांगे और अलीगढ़ अपने घर जाकर बैठ जायं। कन्टोनमिन्ट में जो चुनाव हुए हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जनता क्या चाहती है।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

बाई इलेक्शन में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली, जनता इनको नहीं चाहती तो हम क्या करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

उप चुनाव तो नवम्बर में हुए थे। कन्टोनमेंट के तो अभी फरवरी में हुए। जनता ने पहले देखा और अब वह भी समझ गई। अब उसने अपने हिसाब से चुना।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(× × ×)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहें, यह सब कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

(शोर गुल होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

बकरी कैसे बोलती है, यह तो मैं नहीं जानता पर हाँ जब सामूहिक रूप से बोलती है तो ऐसी ही आवाज आती है।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(× × ×)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, जनपद गाजियाबाद के हापुड़ में जो घटना घटी, वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। नाजिर जहाँ की जमीन को कब्जे में लेने के लिये वहां पर पिण्डी रखी गई प्रशासन ने हस्तक्षेप करके उस पिण्डी को हटवा दिया। परिणामस्वरूप प्रशासन और कुछ लोगों के बीच तनाव पैदा हुआ। फायरिंग हुई, पाँच लोग मारे गए। घटना का एक हिस्सा तो मान्यवर यह है। दूसरा हिस्सा यह है कि जब प्रशासन ने गोली चलवाई, पाँच लोगों की जान चली गई तो प्रशासन ने अपने को बचाने के लिये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के झगड़े का नाम दे दिया। इसमें भा0ज0पा0 के कार्यकर्ताओं की अगुवाई रही। इसमें अल्पसंख्यकों के 4 लोग चाकुओं से गोद-गोद कर मारे गये। वहाँ पर 12 लोगों की जानें गई हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है वह ठीक है कि सदन की एक समिति गठित की जाय जो तत्काल जांच करे। न्यायिक जांच के आदेश दिये गये हैं, परन्तु उसके परिणाम कब आयें, कब नहीं, यह सदन अविलम्ब जानना चाहेगा कि यह घटना कैसे घटी। लोगों को चाकुओं से छेदने के लिए शह किसने दी। फायरिंग के आदेश किसने दिए। यह सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विस्तृत जांच का काम सदन की समिति कर सकती है। मुख्यमंत्री जी को सहर्ष मान लेना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं।

डा0 बृजभान यादव-

(× × ×)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा0 बृजभान यादव-

इतने लोग मारे गये। इतनी हत्यायें हुई हैं प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को गोली मरवाने का काम किया है। माननीय नेता विरोधी दल तथा श्री प्रमोद तिवारी जी ने जिस बात को स्पष्ट किया है कि विधायकों की समिति बना दी जाएं, मैं इस बात पर बल देता हूं। ताकि जल्दी रिपोर्ट आए और जनता को बचाया जा सके।

* श्री सोमांश प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से हापुड़ में किशनपुर बिलाल में जो घटना हुई हैं उसके संबंध में खासतौर से कहना चाहता हूँ। मेरी निश्चित जानकारी है कि हापुड़ में जो एक प्लाट था वह एक मुस्लिम लेडी का है और वह उसकी मालिक है वही प्रशासन का झगड़ा हुआ है। एक वर्ग के द्वारा उस मुस्लिम लेडी की जमीन पर कब्जा कराकर पीपल के पेड़ के पास शिवजी की पिन्डी को लगाकर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश की जा रही है। प्रशासन को इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस पर विचार करें। एक तरफ तो कहते हैं कि भयमुक्त समाज बनायेंगे, न्याय होगा, वही दूसरी ओर जो इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग है उनके साथ ज्यादती हुई तो उनका विश्वास टूट जाएगा, फिर जो स्थिति पंजाब में है, जो स्थिति कश्मीर में हो रही है, वही स्थिति यहां भी होगी। अमानुल्ला साहब पताका फहराने आ रहे हैं जैसे हमारे जोशी जी हवाई जहाज के अन्दर बैठकर झंडा फहराने गये थे तो प्रदेश और देश नहीं बच पाएगा अगर इस तरह की घटनायें होती रहेंगी तो प्रदेश में अराजकता हो जाएगी। जंगल राज्य हो जाएगा। खासतौर से हमारे गाजियाबाद जिले का पुलिस प्रशासन जो है इससे लोग त्रस्त हैं। सन्तराम ड्राइवर का केस हुआ उसको पुलिस ने गोली मार दी। छात्रों पर गोली चली है उसमें किसी मजिस्ट्रेट ने फायर के आदेश नहीं दिए। इस तरह से पुलिस निरंकुश हो रही है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जब इधर बैठते थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, तब वह बहुत सी बातें ऐसी कहते थे और आज वह इतना बदल गए हैं। आप बदल गये हैं। या शासन तंत्र के कारण आप मजबूर है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के भाषण 79-85 में सुने हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि उधर जाकर आपकी मानसिकता क्यों बदल गयी है। यह उचित बात नहीं है। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रदेश की जनता चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म या वर्ग के लोग हों, उनकी सुरक्षा की गारंटी आपकी है। उनके मन में विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी, उनमें सुरक्षा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की भावना पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी है।

* श्री विजय पाल सिंह तोमर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मान्यवर, हमारी सरकार की कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि दंगा रहित और भय मुक्त समाज हमारी सरकार देगी। लेकिन शासक दल के लोग दंगा कराने पर उतारू हैं। हापुड़ में जो घटना हुई वह सांप्रदायिक घटना नहीं थी। एक मुस्लिम औरत की जमीन पर अनावश्यक रूप से नाजायज कब्जा करने के लिये शिव लिंग, पिंडी की स्थापना की गयी और जब प्रशासन ने उसको हटाने की कोशिश की तो सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने बम से हमला किया जिससे प्रशासन के लोग घायल हुये और फायरिंग होने से 5 लोग मौके पर मारे गये। 3 लोग बाद में मरे। उसके बाद इस घटना को सांप्रदायिक रूप दिया गया। 12 तारीख को 6 बजे कर्फ्यू लगा और उसी रात को 4 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गयी।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का और शासन तथा प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब फायरिंग हुई तो एक भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति नहीं मारा गया इससे साफ जाहिर है कि सांप्रदायिक दंगा नहीं था। जब प्रशासन ने कब्जा हटाया तो सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं और उनके साथियों ने उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया और अल्पसंख्यक समुदाय के 4 लोगों की हत्या कर दी गयी। मान्यवर, अभी गाजियाबाद में 4 दिन पहले छात्राओं पर गोलियाँ चलायी गयी जिससे 3 छात्रायें घायल हो गयीं। वहां पर हर कार्य गोली से होता है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जानी चाहिये। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर इसकी जांच करायी जानी चाहिये और दायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये कि वह कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया।

श्री बलराम यादव-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

यह कार्यवाही में लिखा नहीं जायेगा।

श्री बलराम यादव-

इसलिये वहां के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्य इसके जिम्मेदार लोगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

को हटाकर न्यायिक जांच करवायी जाय।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

माननीय अधिष्ठाता जी, हापुड़ में जो हुआ, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे भी दुखद यह है कि इस घटना पर हमारे कुछ मित्र राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी आरोप लगाया गया कि दंगे भारतीय जनता पार्टी ने कराये, दंगे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं। मान्यवर, आपको भी जानकारी होगी, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या आज तक उत्तर प्रदेश में जितने भी दंगे हुए हैं, उनके नाम पर न्यायिक आयोग गठित हुए हैं और हमेशा आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी आयोग की रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का नाम आया। आदरणीय सदस्य बता दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं, अलीगढ़ में जो दंगे हुए थे, मैं अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपसे चाहूंगा कि उस न्यायिक जांच ...(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपसे बोलने के लिये कहा नहीं (घोर व्यवधान) इसका एक तरीका है, आप बात समझ लीजिये (घोर व्यवधान) आप चिल्लाकर सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते।

एक सदस्य-

आपका चलाने का मूड नहीं है। (घोर व्यवधान)

एक सदस्य-

जब तक आप बैठे रहेंगे, सदन नहीं चलेगा, आप हट जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल खड़े हो गये थे, मैं उनके सम्मान में बैठ गया था।

श्री अधिष्ठाता-

(घोर व्यवधान के मध्य) जब मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूँगा, तभी वे बोलेंगे।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय को संभवतः इसका ज्ञान नहीं है कि सदन का सामान्य शिष्टाचार क्या है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल को विशेष अधिकार प्राप्त है कि जब चाहें खड़े होकर बोल सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपकी बात समझ रहा हूं। माननीय सदस्यों से जब तक मैं कहूंगा नहीं (घोर व्यवधान) कृपया शांत रहें, कृपया बैठ जायं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बात सुन रहा था। जब तक माननीय नेता विरोधी दल को देख कर कहेता नहीं।

(घोर व्यवधान)

आप गलत अर्थ लगा रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मैं सामान्य शिष्टाचार से परिचित हूं। मैंने आपकी ओर देखा नहीं। तो कैसे बोलेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

(× × ×)

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि अलीगढ़ में जो दंगा हुआ था, अलीगढ़ के दंगे पर रिपोर्ट भी आई है, जो उस समय के न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें उस दंगे के लिए किसको दोषी पाया है, यह बता दें?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जिस समय जनता पार्टी की सरकार पहली बार इस प्रदेश में गठित हुई, इमेर्जेंसी के बाद वहां पहली बार दंगा हुआ था। मुझे याद है इस मामले को मैंने कई बार सदन में उठाया था और माननीय नेता विरोधी दल हमारे

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

साथ बैठा करते थे। उस समय जनता पार्टी की सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया था और दंगा हुआ था जहां तक मुझे स्मरण है, माननीय बनारसी दास जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गयी। उस सरकार ने उस न्यायिक आयोग को वापस ले लिया। हमारी पार्टी की ओर से रिटेन स्टेटमेंट दाखिल हुआ था। उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों के नाम दर्शायें थे, जो साक्ष्य थे, उसमें कुछ लोगों के नाम आ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ, सब आपको पता है।

मान्यवर, हमारी मान्यता है, कि हम इसके ब्योरे में नहीं जाना चाहते हैं कि कल कितने दंगे होते थे, आज कम दंगे हुए, तो यह कोई बहुत तारीफ की बात नहीं है। अगर एक भी कोई दंगा होता है, तो हम उसे गम्भीरता से ले रहे हैं और वह दुखद है। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने यह बात कही कि हम अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक को खत्म करना चाहते हैं। मान्यवर, हमारी भारतीय संविधान पर पूरी आस्था है। हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा है कि हम अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं देते हैं। हमने हमेशा कहा है कि यह अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद दोनों ही बुरे हैं, क्योंकि दोनों ही मिल कर अलगाववाद को जन्म देते हैं।

हमारी सरकार इस बात को लेकर चलती है कि यह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा एक राष्ट्र है, एक संस्कृति है। हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं, जहां पर सर्वधर्म सम्भव होगा। हर व्यक्ति को उपासना पद्धति की आजादी होगी यह राष्ट्र धर्म हमारा पहले है। हम यह भी संस्कार देना चाहते हैं। एक बात और कही गयी कि ये दंगे कराते हैं और न्यायिक आयोग गठित करते हैं। माननीय सोमांश प्रकाश ने कहा कि वहां पर बैठते थे, तो कुछ और कहते थे और आज कुछ और कह रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल ही न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की होती, और हमारा मन साफ न होता। हम यह चाहते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए। दंगे हुए, गोलियां चलीं, लोग मरे, हम इसको स्वीकार करते हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने 12 की संख्या बताई, इसकी जांच करा लेंगे, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है, यह संख्या 12 नहीं है, 9 है इसलिए हमने न्यायिक आयोग की घोषणा कर दिया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल ही घोषणा कर दी थी। अब एक सवाल आज पैदा हो रहा है कि न्यायिक आयोग क्यों गठित कर दिया गया। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश देश में माननीय न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर हमें कोई शंका नहीं है इसलिए एक सुझाव आया कि माननीय सदस्यों की कमेटी बना दी जाय। मैं यह समझता हूं कि जो हमारा न्यायिक आयोग है, जो माननीय न्यायाधीश हैं उन[illegible] गठित आयोग होगा, उससे हमें न्याय मिलेगा। माननीय तिवारी जी ने एक बात कही कि अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि उसमें कौन

होगा तो मैं स्पष्ट करे देता हूं माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखा जा रहा है, हम तो मना रहे हैं कि सिटिंग किसी जज को दे दें।

हमारी रुचि किसी तरह से किसी ऐसे न्यायाधीश को जाने का नहीं है। हम सर्वोच्च न्यायाधीश से प्रार्थना कर रहे हैं, कि वह करें। अब एक बात यह कही गयी कि न्यायिक आयोग इसलिए गठित कर दिया गया कि देर लगे और तब तक हमारी सरकार रहे न रहे तो मैं आपको यह बता दूं कि यह सरकार 5 साल रहेगी और दुबारा सामान्य चुनाव में जीतकर फिर आयेगी।

अब मान्यवर, किसी बैरोमीटर से नापा जा रहा है कि हमारी पापुलरिटी घटी है, बाइइलेक्शन हो गया विधान सभा का उसमें पापुलरिटी का पता चल गया, विधान परिषद् का चुनाव हुआ उसमे पापुलरिटी का पता चल गया।

एक सदस्य-

चोरी से।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, उधर से आवाज आई कि चोरी से मान्यवर, मैं तो नहीं कहता कि जिसने जो प्रक्रिया की होगी उसको वही याद रहता है। हमारी सरकार है, जो हमारी सरकार में चुनाव कराये गये हैं तो जो लोग कभी वोट डालने नहीं जाते थे हमने प्रयास किया और उनको भी अवसर प्रदान किया, क्लीअर मतदान हुआ है, किसी चोरी से, दबाव से हम चुनाव कराना नहीं चाहते थे। मैं चुनाव में पश्चिमी जिलों में था जब मैं बुलन्दशहर गया तो लोगों ने हमसे कहा कि जिन्दगी में पहली बार बैलेट पेपर के दर्शन किये हैं, हमने बुलन्दशहर में भी देखा है, यही हाल था। अभी कैन्टोनमेन्ट में चुनाव हुए। मैं आंकड़ों की चुनौती नहीं देता लेकिन आगरा की बात मैं जानता हूं कि 6 में से 5 लोग बी0जे0पी0 के जीत कर आये हैं। मेरठ की जानकारी हमको है। इसलिए पापुलरिटी घटी है या नहीं यह तो चुनाव बताते हैं। अगर आंकड़ा देंगे तो दंगे हुए, उसको हम स्वीकार करते हैं जो है उनको लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि बहुत लम्बे समय तक वह घटा हो, ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं है। आज स्थिति पूरे प्रदेश में नियंत्रित है। मान्यवर, हमने इसका कोई भेद नहीं किया जैसा कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषित किया था।

हम लोग उनमें नहीं हैं जो धीरे से कान में पूछते थे कि हिन्दू कितने मरे है और मुसलमान कितने मरे हैं, आदमी के खून का रंग एक होता है और हम आदमी को आदमी मानते हैं चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो इसलिए बिना पता किये, आंकड़े देकर अनावश्यक लोगों के मन को बोझिल नहीं करना

चाहता हूं। मान्यवर, पहले यहाँ से रुपया घोषित किया जाता था चेहरा देखकर, नाम देखकर, जाति देखकर कि कितना दिया जाय लेकिन मान्यवर, हमने तय किया है कि जो मरा है, आहत हुआ है उनका नाम कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, उनकी कोई बिरादरी हो वह आदमी हो। मैं मरने का मुआवजा नहीं देता हूँ लेकिन सरकार की ओर से व्यवस्था होती है कि जिन लोगों की मौत होगी उनके आश्रितों को 50-50 हजार रुपये हमने देने का फैसला किया है। उसके बाद जो घायल हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

जलालपुर में इतना ही दे रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

इस समय जहाँ की बात हो रही है, उसको सुन लें जलालपुर के बारे में अलग से बैठकर बात कर लेंगे। मान्यवर, जो गम्भीर रूप से घायल हैं उनको 10 हजार रुपये देने का फैसला किया गया है। एक बात और बता दूं, उपद्रवी उपद्रवी है उसकी न कोई जाति है न मजहब है। हमारा दृष्टिकोण सोचने का यह है कि उपद्रवी को उपद्रवी की तरह से देखा जायेगा और इसका परिणाम है। पश्चिमी जिलों में कल भी जाते थे आज भी जाते हैं और तरफ भी हम लोग जाते हैं, स्थिति क्या है, पहले भी जाते थे तो बताया जाता था कि लॉ एण्ड आर्डर खराब है। आज जब वहां का आदमी मिलता है तो वह बधाई देता है कि आपने अच्छा काम किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्थिति हमने साफ रखी है।

मान्यवर, इसमें नियम 311 का सवाल पैदा नहीं होता है, न्यायिक आयोग गठित होने की बात हो गयी है। मान्यवर, इस पर जब मैंने भाषण किया तो भी ग्राह्यता का विरोध किया, मैंने कहीं भी कंटेन्ट्स के बारे में चर्चा नहीं की। कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो स्वाभाविक है तिवारी जी कहते कि उस न्यायिक आयोग को प्रभावित करना चाहते हैं। किसी तरह का कोई प्रभावित करने का इरादा नहीं है। मेरी सरकार का इरादा है कि सही स्थिति सामने आये और दोषी दंडित किये जायं। आप सुन लें, परसपुर वाला मामला भी सामने आयेगा। अरे आप धैर्यपूर्वक मुझे सुन तो लें, मेरी बात सुन लें।

मान्यवर, आयोग गठित हुआ, इतना क्वीक ऐक्शन किसी भी सरकार ने नहीं किया होगा, लोगों को जेल भेजा कार्यवाही की, इन्क्वायरी करायी। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि इसे नियम 311 के अन्तर्गत स्वीकार न करें। नियम 311 में कुछ प्रतिबद्धतायें हैं, उन प्रतिबद्धताओं में यह कहीं आता नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा देना चाहेंगे तो दे देंगे। आपने कहा कि न्यायिक जांच के लिये लिख देंगे, चीफ जस्टिस से प्रार्थना करेंगे कि कोई सीटिंग जज उपलब्ध करा दें।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो कह ही रहे हैं कि न्यायिक जांच करायेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

कितने दिनों के अंदर वह कार्य कर देंगे। मान्यवर, इनकी जानकारी के लिये बता दूं इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में इनके प्रत्याशियों की कैन्टोमेन्ट बोर्ड के चुनाव में जमानतें जब्त हो गयीं। आगरा में क्यों हुआ, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, आगरा में इनका रिश्ता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, तिवारी जी जानते हैं कि कांग्रेस के कितने लोग जीतकर आये हैं।

मान्यवर, उनका शंका करना स्वाभाविक है। मैं जानकारी दे दूँ आगे क्या करेंगे। जो बात कही गयी थी, उसमें आगे बता दूंगा तो आपकी शंका निर्मूल हो जायेगी। अयोध्या में हुआ, न्यायिक आयोग गठित करने की बात हुई। आप पूरी बात सुन लें। आंखों से देख रहा हूं, सुन रहा हूं, इतनी जल्दी तीन दिन में न्यायिक आयोग गठित होने के बाद, तीन दिन में स्टाफ मुहैय्या कराया, कार्यालय मुहैय्या कराया, इतनी जल्दी कभी किसी ने आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं किया होगा।

यह हम भी देखते आये हैं वर्षानुवर्ष इस आदरणीय सदन में यहां देखते आये हैं, वहां बोलकर सीखते थे आज मौका मिला है करना चाहते हैं। आयोग गठित हो गया 6-6 महीने साल-साल भर स्टाफ नहीं प्रोवाईड किया गया, फंड नहीं दिया गया और इसीलिये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड यह पीड़ा हमारे मन में थी। हमें मौका मिला, 3 दिन के अंदर हमने स्टाफ दे दिया, सारी सुविधायें दे दीं। हम ईमानदारी के साथ साफ नीयत से काम करना चाहते हैं, माननीय न्यायाधीश को लिखा जिस समय वे आ जायेंगे, तत्काल सारी सुविधा उपलब्ध करायेंगे हम चाहते हैं कि तत्काल रिपोर्ट मिले और हम कार्यवाही करें।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने

बड़ी सफाई के साथ अलीगढ़ दंगे के बारे में रिपोर्ट बता दी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि उस आयोग ने उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो वहां नवमान साहब थे उसमें उनका नाम आया था कि नहीं? यदि आया था तो सिद्ध होता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

पहले यह तो बतायें कि उसकी रिपोर्ट किस तारीख को आयी है ? वह रिपोर्ट अभी सबमिट ही नहीं हुई है।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं कि इस शासन पर प्रशासन के लोग हावी हो गये हैं। नौकरशाही का शिकंजा बढ़ गया है और कई बार इस बात को हम लोगों ने कहा लेकिन आज तक प्रशासनिक अधिकारियों पर शिकंजा कसने का प्रयास नहीं किया गया है। इसकी परिणति यह हुई कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी जगह रह गये और माननीय मंत्री को हटना पड़ा। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ डी0एम0 और एस0पी0 निरंकुश होकर कार्य कर रहे हैं। विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। भूतपूर्व विधायकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। एक उदाहरण मऊ का मैं आपको देना चाहूँगा जो बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। 25 जनवरी, 1992 को दो बजे दोपहर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया था और उसमें मुख्य विषय यह रखा गया था कि सरकारी ऋण की वसूली में जिन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है उससे कैसे छुटकारा पाया जाये। सभा में कई दलों के लोग आये थे। न जाने डी0एम0 को क्या दुश्मनी थी, कभी डी0एम0 के खिलाफ सवाल हुआ होगा, उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया होगा, अखबारों में बयान आये होंगे, उन्होंने उस शान्तिपूर्ण चलने वाली सभा में सिटी मजिस्ट्रेट और एस0डी0एम0 को भेजा और यह कहा कि जो माईक लगा है उसे तोड़ दिया जाय। उन्होंने वहाँ जाकर माईक तोड़ दिया, चाँदनी जो वहाँ बिछी थी उसको हटा दिया तथा जो कार्यकर्ता वहाँ सभा कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। आगे की घटना सुनिये। वहाँ पर कृष्ण कुमार पांडे और सुभाष यादव जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, को वहाँ से खींचकर दो लोगों ने एक तो डी0एम0 का शैडो था तथा एक ड्राईवर था, डी0एम0 कार्यालय के सामने पटक दिया,उन दोनों के कपड़े फाड़ दिये उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया कि वहाँ पर जो लोग देख रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो गये। सुभाष यादव पैन्ट शर्ट में था और कृष्ण कुमार पांडे कुर्ता पैजामे में था, दोनों के कपड़े फाड़ दिये गये। कृष्ण कुमार पांडे का जनेऊ तोड़ दिया हाथ में जो गण्डा बंधा था उसे तोड़ दिया तथा कमर में बंधी करधनी तोड़ दी।

उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और बहुत पीटा। किसी अधिकारी का विरोध करने पर उसे यह शोभा नहीं देता कि वह इस प्रकार का आचरण करे उसे गालियां दे। लेकिन अफसोस तब हुआ जब वह लहूलुहान हो गया। सुभाष यादव जो बीमा एजेन्ट था उसकी जेब में आठ हजार रुपये बीमा के थे तथा कृष्ण कुमार पांडे की जेब में 136 रुपये थे वह भी लिये। जिलाधिकारी का यह कहना कि तुम्हारे नेताओं को मैं जानता हूँ, दो सौ मीटर दूर पर तुम्हारी सभा है मगर दो सौ मीटर दूर तक कलेक्टर का शासन चलता है, यह उचित नहीं है। शाम को तो सुभाष यादव किसी तरह से छोड़ दिया गया मगर कृष्ण कुमार पांडे की

(समय 5 बजे)

इतनी पिटाई की गयी कि जिस समय मारने के बाद उसको थाने ले जा रहे थे, सड़क के ऊपर उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और उसको किसी तरह पैदल ले जाकर थाने तक पहुँचाया गया। मैं समझता हूँ, विधायक और भूतपूर्व विधायक की बात तो हमने की, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता, देश का नौजवान क्या उसके साथ भी ऐसा सलूक होगा। मान्यवर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, 1975 में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में लड़ाई लड़ते हुये हम लोग जेल गये थे। उन्होंने कहा था कि देश का तरुण उत्पीड़ित होगा, तो देश की सत्ता बदल जाती है और आज आप इस देश के नौजवान पर कहर बरपा कर रहे हैं, यहीं तक सीमा होती, तो भी गनीमत होगी लेकिन आधी रात के समय एक सादे कागज पर पाण्डे और यादव से हस्ताक्षर करवाये गये, उसमें क्या लिखा गया, यह तो जाँच का विषय है। बाद में सुभाष यादव को तो छोड़ दिया गया, परन्तु पाण्डे को किसी तरह अस्पताल पहुँचाया गया मैं ऐसा नहीं समझता कि एक प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल में भी जाकर इस तरह की कार्यवाही करेगा। मान्यवर, उसने वहाँ के लोगों से मिलकर उसे अस्पताल से बाहर करवा दिया और उसका इलाज नहीं होने दिया, उसे शरीर पर जो चोटें लगी थी, उनका भी डाक्टरी मुआइना करने से रोका। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यह जो प्रशासन तंत्र है, यह शासन के ऊपर हावी हो गया है और इसी के चलते एक मंत्री तक को हटाना पड़ा। मेरी माँग है कि इस मामले की पूरी जाँच करवाई जाय और दोषी पाये गये डी0एम0 को दंडित किया जाय और जांच तक के लिये उस डी0एम0 को उस जिले में न रखकर अन्यत्र भेजा जाय। मैं एक मिनट और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। बड़े आश्चर्य का विषय है, माह जून में हम लोग चुनकर विधान सभा में आकर बैठे। एक एम0पी0 हैं हाजी गुलाम मोहम्मद और एक विधायक हैं, उन दोनों के खिलाफ दिनांक 24-12-91 को थाना मूड़ापान्डे, जनपद मुरादाबाद में धारा 171/72 में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि यह लोग

कह रहे थे कि जनता दल को वोट दो। मान्यवर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उस समय यही कहा गया था कि पुलिस हमारी भाई है, इससे नहीं लड़ाई है और तब हम लोग जेलों में ठूंस दिये गये थे। तो मान्यवर, यह चुनाव हुये जून में और दिनांक 24-12-91 को रिपोर्ट दर्ज हुई है और इसकी एक दरोगा तहकीकात कर रहा है। मैं मांग करूँगा कि पुलिस प्रशासन के लोग जो जनप्रतिनिधियों को कष्ट पहुँचा रहे हैं, उन पर तत्काल रोक लगनी चाहिये। मैं दोनों मामलों की जाँच की माँग करता हूं साथ ही यह भी माँग करता हूँ कि मऊ के जिलाधीश को ट्रासंफर करके जाँच कराई जाय, ताकि न्याय हो सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय नेता जनता दल (अ) ने एक बात यह कही कि इस समय प्रशासनिक अधिकारी (ब्यूरोक्रेसी) पूरी तरह से शासन पर हावी है। मान्यवर, यह बात सही नहीं है, वस्तुस्थिति यह है कि हम विधि के अनुसार शासन कर रहे हैं और हम उनके सुझावों का स्वागत करते हैं। हम दबाव डालकर अपनी मर्जी के अनुसार उनसे नीति के मामले में सुझाव लेने की परम्परा नहीं डालना चाहते। जहाँ तक वहां का प्रश्न है, मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ इस समय पूरी शान्ति है, किसी प्रकार की उत्तेजना या तनाव नहीं है।

मान्यवर, सभायें लोग करते हैं और सभा में जिस संख्या में लोग पहुँचते हैं, उससे पता लग जाता है कि समर्थन क्या है, खेर मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। आदरणीय यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, कुछ बातों की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है और हम इसे गंभीरता से लेंगे। हमारे पास जो तथ्य आये हैं और जो माननीय यादव जी ने तथ्य दिये हैं, उनमें कुछ विरोधाभास है, उसको दिखवा लेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा अगली सूचना पर श्री भारत सिंह रावत जी को बुलाये जाने पर)

(श्री ओम प्रकाश, श्री अखिलेश व श्री भारत सिंह जी के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री भारत सिंह रावत जी को बुलवा लिया है। आप लोग कृपा करके बेठ जायें।

(श्री ओम प्रकाश, श्री अखिलेश व श्री भारत सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये एक साथ बोलने से व्यवधान)

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री भारत सिंह रावत जी को बुलवा लिया है,इसलिए में आपको नहीं सुनूँगा।

(तीनों सदस्य सदन के मध्य खड़े रहे और बोलने का अवसर मांगते रहे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय केलाश नाथ सिंह जी इसी पर बोल चुके हैं। आप तो नियमों के विरुद्ध काम करवाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

में चाहूंगा कि श्री ओम प्रकाश जी को, जो छात्र नेता हैं, उनको दो मिनट बोलने के लिये मौका दे दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

आप इनको दो-दो मिनट बोल लेने दें।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

आप ओम प्रकाश ओर भारत सिंह को दो-दो मिनट का अवसर बोलने का दे दें।

(तीनों माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री किशन गोपाल-

जब आपने व्यवस्था दे दी, फिर भी यह बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

इनको व्यवस्था तो उठा लेने दीजिये।

(व्यवधान)

नोटः- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

माननीय नेता विपक्षी दल माननीय सदस्यों को जबरदस्ती बुलाना चाहते हैं जब आपकी व्यवस्था हो गयी।

श्री अधिष्ठाता-

जबरदस्ती कैसे बोलेंगे (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल ने कहा इनको बोलने का मोका दिया जाय मौका दिया जायेगा लेकिन अभी नहीं (व्यवधान) आप कृपया बैठें।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आपको बोलने का मौका दिया जायेगा लेकिन अभी नहीं। आप बाद में खूब बोल लें। (व्यवधान) इसके बाद अगर बोलेंगे तो कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)-

(× × ×) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कुछ भी नहीं लिखा जायेगा मैंने रावत जी को बुलाया है उनके अलावा और लोग बैठ जायें।

श्री अखिलेश-

(× × ×) (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री अखिलेश-

जिलाधिकारी जिस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं वह सरकार के लिये कलंक की बात है। (व्यवधान)

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

मैंने भारत सिंह रावत जी को बुलाया है। आप लोग बैठें।

श्री अखिलेश-

इसकी जांच सदन की कमेटी बनाकर कराई जाय। (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। केवल दो मिनट सुन लीजिये इस सदन में हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिये आये हैं। हम यहां क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दिया है। आप बेठ जायं न बैठने पर (व्यवधान) जो आप बोलेंगे वह आपका कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। मैंने भारत सिंह रावत को बुला लिया है, इसलिये रावत जी आप बोलें।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

व्यवस्था के प्रश्न पर आप हमें समय दें।

श्री अधिष्ठाता-

आपका व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, यह मैंने पहले ही कह दिया है। आपको मैंने समय नहीं दिया है। आप बैठ जायं। रावत जी आप बोलें। आप लोग शांत रहें। आप लोग बैठ जायं। व्यवधान न पैदा करें। श्री रावत जी को बोलने दें।

गढ़वाल मण्डल के जनपद उत्तरकाशी, चमोली एवं टिहरी में भूकम्प पीड़ितों को समुचित सहायता न मिलने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत-

अधिष्ठाता महोदय, गढ़वाल मंडल के जनपद उत्तरकाशी, चमोली एवं

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टिहरी में आये भूकम्प के कारण सैकड़ों लोग मारे गये हैं, हजारों जानवर मरे हैं और हजारों घर नष्ट हुये हैं जिससे वहां का भूगोल ही नष्ट हो गया है।

जो मकान शासन द्वारा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त बताये गये हैं उन मकानों में भी लोग भयभीत होकर रह रहे हैं। उन लोगों का मनोबल टूट गया है। यहाँ तक कि जो बंगले, जो सरकारी इमारतें हैं उनकी भी हालत जर्जर है। सरकारी लोग भी भयभीत हैं। मकानों में दरारें आ गई हैं। इस तरह से सारे जनपद में लोग भय की काली छाया में जी रहे हैं। उनका भविष्य अन्धकारमय है। शासन ने और सारे देश के लोगों ने उनके साथ सहानुभूति दिखाई है, उनके साथ संवेदनाएं दिखाई हैं। मेरा यह कहना है कि उन लोगों को दो सरकारों के पाटे के बीच में न रखा जाय। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ मान्यवर कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वह तो कहती है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने पैसा नहीं दिया। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश को भूकम्प राहत के लिये पैसा दिया गया है। इसका कोई पता नहीं है। आज भूकम्प राहत के नाम पर जो पैसा शासन ने दिया है उसका सही ढंग से वितरण नहीं हुआ है। सरकार के लोगों ने पक्षपात किया है। मोरी ब्लाक में बहुत से मकान टूटे हैं परन्तु यह सूचना दी गई कि वहाँ एक ही मकान टूटा है और वहां उस आदमी का नाम दिया गया जो कि भा0ज0पा0 का आदमी है। मैं उसका नाम जानता हूं, उसका नाम है भजन सिंह।

भारतीय जनता पार्टी का आदमी होने के कारण उसको पैसा दिया गया बाकी सारे के सारे मोरी ब्लाक में किसी को भी पैसा नहीं मिला। उसी तरह से नौ गाँव ब्लाक में भी जो नुकसान हुआ है, उसमें भा0ज0पा0 के लोगों को पैसा दिया गया है। श्रीमन् इस तरह से पक्षपात किया गया है। वहाँ के विकास के बारे में क्या किया जा रहा है। श्रीमन् यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहता था कि इस पर बृहत् रूप से विस्तार से बात होनी चाहिए थी। वहाँ पर लोग भयभीत हैं सारा का सारा इलाका भूकम्प रेखा के अन्दर आ गया है। कब फिर भूकम्प आ जाये, कब क्या हो जाय, लोग इस तरह से भयभीत हो रहे हैं। उनको मकान बनाने के लिये किस तरह की सामग्री दी जाय। किस माडल के उनके मकान बनाये जायें इस पर सोचना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

ग्राह्यता पर बोलें। अभी आगे भी काफी बाकी है।

श्री भारत सिंह रावत-

अब परीक्षाएं होने वाली हैं। लड़कों के परीक्षा केन्द्र दूर-दूर हैं।

मान्यवर, में आपसे निवेदन करूँगा कि वहाँ पर भू-सर्वेक्षण होना चाहिए। लोगों का कहना है कि सन् 1803 में भी इसी तरह का भूकम्प आया था। लोगों ने फिर मकान बनाये थे। उस समय के माडल के मकान नहीं टूटे हैं। आज के वह मकान टूटे हैं जो कंकरीट और लोहे के बने हुए हैं। मैं सादर निवेदन करूँगा कि वहाँ पर भू-सर्वेक्षण कराया जाय और उनके लिये किस प्रकार के मकान बनाये जायं इसका एक माडल तैयार किया जाय और यह जो पक्षपात किया गया है वह न हो। जिन लोगों का मनोबल गिर रहा है उसे मजबूत किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायं। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैंने आपकी आज्ञा शिरोधार्य की है मुझे थोड़ा सा समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

इस विषय पर पहले संसदीय कार्य मंत्री बोल लें उसके बाद आपकी सुनूँगा।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मैंने नियम-311 की सूचना पर माननीय विधायक जी के विचार बड़ी गम्भीरता से सुने। माननीय विधायक जी इस विभीषिका से लड़ने के लिए हमने जिस तत्परता के साथ यथा समय राहत कार्य किया है लेकिन हो सकता है कि कहीं कोई अड़चन आई हो। उन्होंने श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए यह कहा तो मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा कि "भूकंप राहत कार्य विषय एवं वस्तु स्थिति" यह पुस्तक आप लोगों को मिल गई होगी। इसको पढ़ने के बाद आप सुझाव देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कोई शिकायत नहीं होगी और अगर होगी तो उसका निवारण किया जाएगा। इस पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ पर एक चार्ट बना हुआ है इसको भरने पर राहत प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिसाब लगाया है कि लगभग चार सौ करोड़ से भी अधिक वहां भूकंप से नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां क्या स्थिति हुई है कितनी क्षति हुई है यह तभी समझा जा सकता है जब कोई वहां जाकर देखे। पत्रकार लोग वहां गये और वहां उन्होंने देखा और जो राहत कार्य हुए हैं उसको भी देखा। उन्होंने इस सरकार की सराहना की है। अगर आप लोग कोई सुझाव देवें तो उसको देखा जाएगा। राहत देने के संबंध में नियम कानून

जो हैं उसें भी हमने शिथिलता दी है। पूरी तरह से सहायता देने की चेष्टा की है, राहत देने की चेष्टा की है। सरकार के साथ-साथ स्वयं सेवी संस्थाओं ने राहत देने में हाथ बंटाया है उनको हम धन्यवाद देते हैं। मान्यवर, 8.35 करोड़ रुपये स्वैच्छिक संस्थाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष में आया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्थाओं के जिन कार्यकताओं ने जिन दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर कीर्तिमान का कार्य किया है। उन्होंने अनेक गाँव एडाप्ट किए हैं उस गाँव में जो क्षति हुई है वहां उन्होंने प्रभावी कार्य किए हैं। इन संस्थाओं द्वारा जो कार्य किए गये हैं, वहां गाँवों को एडाप्ट करके पूरे मकान बनवाए गये हैं। व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा भी काफी मदद की गई है। गाजियाबाद के लोगों ने मकान के खेप बनाकर भेजे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भूकंप पीड़ितों की सहायता की है। अहेतुक सहायता जो 750/- रुपये अधिकतम है उसमें हमने नियमों में शिथिलता करके रु0 3,000/- कर दिया है। इस प्रकार हमने राहत पहुँचाई है। हमारे मैदान के रहने वाले भाई जिन्होंने राहत कार्य में सहयोग दिया है उसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं। वहां का पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। सरकार की तरफ से निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। प्रति यूनिट 100 रुपये के हिसाब से खाद्यान्न का वितरण किया गया।

मान्यवर, प्रत्येक यूनिट को एक कम्बल और एक परिवार को 5 कम्बल दिये गये हैं। भूकम्प से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को 30 हजार रुपये दिये गये हैं। जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 5 हजार रुपये दिये गये हैं और जो लोग साधारण घायल हुये हैं उनको 2 हजार रुपये दिये गये हैं। जो पशु इस भूकम्प में मरे हैं उनके मालिकों को आर्थिक सहायता दी गयी है। जो वहां के रहने वाले हैं और उनको जो हक हुकूक मिलते हैं तो वहां के लोगों को जो हक हुकूक मिलते, लकड़ी मिलती उसको अग्रिम रूप से देने की व्यवस्था की गयी है। वहां लगान माफ किया गया है। क्षतिग्रस्त मकानों के लिये 20 हजार रुपये दिये गये हैं, इसमें से कुछ नकद और कुछ सामान दिया गया है। 15 हजार रुपये ऋण की भी व्यवस्था की गयी है। इस तरह से कुल मिलाकर 85 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। हमारी पूरी प्रतिबद्धता 138 करोड़ रुपये की है उस कोशिश में हम लगे हुए हैं। मकान बनने में थोड़ा समय लगेगा, मकान एक दिन या दो दिन में नहीं बन सकता था। मकान बनाने के लिये लकड़ी, टीन, सीमेंट आदि की व्यवस्था हम कर रहे हैं। वहां पर कम्युनिटी हाल बनाने की चेष्टा की गयी है जिससे कि लोग शीत से अपने को बचा सकें। मान्यवर, सारे प्रयास किये जा रहे हैं। मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि हमने एक पुस्तक प्रकाशित की है, आप इसको पढ़ें और देखें और

जानकारी दें। मैं सभी माननीय सदस्यों का सरकार की ओर से, मुख्य मंत्री जी की ओर से आह्वान करता हूं कि इस संकट का सामना करने के लिये सब लोग मिलकर कार्य करें जिससे पर्वतीय क्षेत्र के भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिल सके।

यह विपत्ति पर्वतीय क्षेत्र के किसी एक व्यक्ति की नहीं है यह हमारे ऊपर आयी है, उससे हम अपनी सम्बद्धता प्रकट करते हैं। उनको राहत देने की पूरी व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े परिश्रम के साथ काम किया है। इस मौके पर हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं। जिनके खिलाफ शिकायत आयी उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी है। अगर माननीय सदस्य किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत देंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं किया जायेगा। एक बात मान्यवर, मैं और कहना चाहता हूं कि नियम 311 के तहत यह सूचना नहीं आती है, इसको आप निरस्त करें। जो जानकारी माननीय सदस्य चाहते थे वह मैंने देने का प्रयास किया है।

श्री भारत सिंह रावत-

मान्यवर, मैंने दो बातें उठायीं थी जिनके बारे में आप बता दें। एक तो मैंने कहा था कि इस इलाके का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाय ताकि जब भविष्य में भूकम्प आये तो उसकी पहले से जानकारी हो सके और उसके आधार पर वहां वैसे मकान वगैरह बनाये जायं। दूसरी बात मैंने कही थी कि वहां पर हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परीक्षायें होने जा रही हैं। वहां पर स्कूल टूट गये हैं, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। लोगों के लिये 15-20 किलोमीटर दूर परीक्षा के सेंटर रखे गये हैं। वहां के गरीब लोगों के पास आने-जाने व रहने के लिये पैसा नहीं है तो इसकी भी व्यवस्था करवायें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय सदस्य ने दो बातें कहीं। एक तो सर्वेक्षण कराने की बात कही तो इन सबके बारे में सरकार चिंतित है, हम सर्वेक्षण करा रहे हैं, उनके लिये कम पैसे में अधिक उपयोगी मकान कैसे बन सकें। इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी इस पुस्तक में है आप इसको देखें और फिर जैसा कहेंगे तो पूरा समाधान करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सरकार जो सहायता मिली भी उसका उपयोग नहीं कर रही है। इस पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की मद में कर

रही है। इसलिये में सदन से जा रहा हूं।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

बहिर्गमन करना तो मेरी बात सुनकर जाना।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा दल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी गढ़वाल में आये भूकम्प का राजनीतिकरण कर रही है, वहां के लोगों की जो हानि हुई है। उसमें समुचित सहायता नहीं दी है। जो केन्द्र ने सहायता दी है, उसका उपयोग नहीं किया है ओर मनमानी की है, इसलिये मेरा दल बहिर्गमन कर रहा है।

श्री कल्याण सिंह-

बहिर्गमन करने के पहले मेरा जवाब सुनते जाओ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सभी माननीय सदस्यों के साथ सदन से उठ कर चले गये।)

श्री कल्याण सिंह-

श्रीमन् लोकतंत्र का तकाजा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहे तो उसका जवाब सुनने की क्षमता और धैर्य उसमें होना चाहिये ; मुझे खेद है कि माननीय प्रमोद तिवारी निराधार बात कह कर चले गये और बार-बार मेरे अनुरोध के कि मेरा उत्तर सुनकर जाइये, बहिर्गमन करना चाहते हैं तो दो मिनट बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वे चले गये। में उनकी बात का उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि भूकम्प के राहत कार्यों में इस सरकार ने पक्षपात किया है, इसका राजनीतिकरण किया है। यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वरीयताएं दी, इत्यादि -इत्यादि।

मैं कहना चाहता हूं कि इतनी हल्की बात माननीय प्रमोद तिवारी कहेंगे, कम से कम मेरी अपेक्षा नहीं थी। यह पीड़ित मानवता का सवाल है। दलगत क्षुद्र राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठ कर विचार किये जाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने भूकम्प के पीड़ितों को राहत देने में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं की है, चूंकि यह राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने निःस्वार्थ भाव से दुर्गम ऊंचाइयों पर लोगों को राहत कार्य पहुंचाया है। मुझे खुशी है कि इतनी संस्थाओं ने इतनी सहायता की। आप भी अपने कार्यकर्ता भेजते, हम स्वागत करते।

राजनीति हम नहीं, व कर रहे हैं।

दूसरा आरोप है कि केन्द्र सरकार जो सहायता कर रही है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं! कदाचित होते तो सुनकर जाते कि केन्द्र की सरकार ने समाचार-पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से कई बार इस बात की घोषणा की है कि 74-75 करोड़ रुपया दिया उत्तर प्रदेश के भूकम्प पीड़ितों के लिये, सच क्या है, सच यह है कि जब माननीय प्रधान मंत्री दौरे पर गये थे, मैं उनके साथ था। पत्रकारों के सामने केवल 80 लाख रुपये का चेक दिया। फिर 20 लाख रुपये का चेक रेडक्रास सोसाइटी के माध्यम से भारत सरकार का मिला है और एक करोड़ रुपया नगद और मिला है। नकद धनराशि यह मिली है, जिसका दुरुपयोग बताया गया है। जो 73-74 करोड़ रुपये का हिसाब बताया है उसमें से 16 करोड़ 87 लाख रुपया वह धनराशि है जो देवी आपदा कोष से मिलती है। देवी आपदा कोष प्रत्येक राज्य में होता है। उसमें 75 परसेंट केन्द्र सरकार का होता है और 25 परसेंट राज्य का होता है। हर तीन माह बाद एक किश्त मिलती है, यह चौथी किश्त थी जो जनवरी के माह में मिलनी थी। केवल इतना सहयोग किया है कि हमको हमारी ही देय किश्त जो जनवरी में मिलनी थी वह नवम्बर माह के आखिरी सप्ताह में दे दी। हमारा ही देय था, हमको ही मिलना था। कोई अतिरिक्त धनराशि भूकम्प पीड़ितों के नाम पर नहीं दी है। दूसरे आज उत्तर प्रदेश के अर्थोपाय, जिनको वेज एण्ड मीन्स कहते हैं, उसमें 129 करोड़ होता है, इससे ज्यादा निकालें तो ओवर ड्राफ्ट में चले जाएंगे। यह स्थिति 7 दिन तक चल सकती है, आठवें दिन हमारे चेक डिसआनर हो जाएंगे। उन्होंने केवल एक सहायता कर दी, उन्होंने कहा कि हम आपके वेज एण्ड मीन्स की लिमिट को बढ़ा दे रहे हैं यानि हम कर्जा उठा सकते हैं, बैंक से, इसमें भी अपनी धनराशि का 25 नये पैसे भी नहीं आया है। मकानों के नाम से हडको को 30 करोड़ रुपये कर्जे के रूप में दिये जाने की बात कही गयी, लेकिन मकानों के पुनर्निमाण के संबंध में अतिरिक्त धनराशि नहीं मिली है। 152 करोड़ रुपये स्वीकार करने की बात कही गयी, लेकिन 152 नये पैसे भी नहीं मिले। भारत सरकार को जितनी सक्रियता से भाग लेना चाहिए था, वहां पर शिथिलता बरती जा रही है। क्या मैं यह कहूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन भूकम्प पीड़ित लोगों के साथ जो दर्द पीड़ित मानवता है, उसको देखते हुए इस समय सारी बातें भूल जाना चाहिए था, लेकिन केन्द्र भेदभाव कर रहा है। उसके बाद कांग्रेस की ओर से शोर हो रहा है कि दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे पैसा दिलवाइये, यहां क्यों लड़ते हो। हम केन्द्र से जब पैसा मांगते हैं, तो मेरा सहयोग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्लान आउट से काटा गया है। 3710 करोड़ का था पिछले साल, पर्वतीय क्षेत्र को मिलाकर 3900 करोड़ हो

गया था, योजना आयोग ने घटा कर 2559 करोड़ रु0 निर्धारित किया, 751 करोड़ इसमें और जुड़ना चाहिए था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा क्लीयरेंस न मिलने के कारण जो आज भी लटका हुआ है। 1950-51 से लेकर आज तक सारा इतिहास बताता है कि पर कैपिटल इन्कम के हिसाब से उत्तर प्रदेश को जो मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 1950-51 से आज तक नहीं मिला।

खेद इस बात का है कि किसी सरकार ने सवाल नहीं किया, किसी मुख्य मंत्री ने इस सवाल को क्यों नहीं उठाया है। मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने इस सवाल को उठाया है। जहां तक भूकम्प पीड़ित राहत का सवाल है, मैं छिपाना नहीं चाहता हूं, जो बातें थी, वह मैंने बता दी इसके संबंध में यह जो किताब है आप लोगों को मिलेगी। इन शब्दों के साथ जो माननीय प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाये थे, इस नाते मैंने कुछ बातें यहां कह दी।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जायं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से

श्री अधिष्ठाता-

मैंने आपको बोलने की आज्ञा नहीं दी है।

(श्री किशोरी लाल के नाम पुकारे जाने पर) (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आप चिल्लाकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं। यह कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आपको मैं अनुमति नहीं देता हूं। यह कोई भी बात कार्यवाही में नहीं

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लिखी जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता-

कोई चीज कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

(× × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

कार्यवाही में नहीं लिखा जा रहा है, हमने कह दिया है कि कोई चीज कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी।

मैंने श्री किशोरी लाल जी यादव को बुलाया है वह बोलें नहीं तो मैं आगे बढ़ूं।

श्री किशोरी लाल-

मान्यवर, पहले इनको शान्त करायें।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री बलराम यादव व कुछ अन्य विपक्षी सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिन्हें सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया।)

श्री अधिष्ठाता-

किशोरी लाल जी आप बोलें।

श्री किशोरी लाल-

मान्यवर, पहले आप सदन को व्यवस्थित करायें।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग स्थान ग्रहण करें, नियम के विरुद्ध कोई मौका नहीं दिया जायेगा।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लाल जी वर्मा-

(× × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई चीज कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

(× × ×)

(घोर व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री बलराम यादव, श्री अखिलेश व जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

(× × ×)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री बलराम यादव, श्री अखिलेश व जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे) (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायं। कुछ नहीं लिखा जायेगा। माननीय किशोरी लाल जी आप बोल रहे हैं या नहीं?

श्री किशोरी लाल-

मान्यवर, सदन को तो पहले व्यवस्थित कराइये तभी तो बोलें।

(घोर व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी व जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे।)

श्री लालजी वर्मा-

(× × ×)

(घोर व्यवधान)

नोटः- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई चीज कार्यवाही में लिखी नहीं जायेगी। यह जो आप लोग कर रहे हैं, यह तो और कोई भी कर सकता है, आप लोगों को शोभा नहीं देता।

(सदन के फ्लोर पर सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

(× × ×)

(भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक सदस्य अपनी सीटों पर बैठे नारे लगाने लगे।) (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायें।

(समय 6 बजे)

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री बलराम यादव, श्री अखिलेश व जनता पार्टी के अनेक सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आपको पूरा अधिकार है कि आप जैसे भी उचित समझें सदन को चलायें। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी कुछ कहने को व्यग्र हैं। मेरी विनती है कि आप कृपा करके उन्हें सुन लें। अगर कोई संगत बात हो तो उसे सुन लें वरना अनुमति न दें। मान्यवर, जो क्षणिक उत्तेजना में माननीय सदस्यों ने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है वह उचित नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कार्यवाही देख लें और जो-जो शब्द और वाक्य असंसदीय है उसे कार्यवाही से निकाल दें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे कृपया अपने-अपने आसन पर चले जायें।

(श्री राम गोविन्द चौधरी लेकिन इन्हें आप अधिष्ठाता पद से हटाइये)

(संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं मैं उससे संतुष्ट हूं

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेकिन कोई नियम ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत इन्हें बोलने की अनुमति दी जाये।

(घोर व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, इन्हें दो मिनट का समय दे दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसको अनुमति नहीं देता हूं। मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

(6 बजकर 4 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 6 बजकर 19 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही, अधिष्ठाता श्री बंसत लाल गुप्ता के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता-

नियम 311 के अन्तर्गत तीन प्रस्ताव आ चुके हैं और उनको सुनने के बाद अस्वीकृत किया जाता है और बाकी जो प्रस्ताव है, उनको इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है कि माननीय सदस्य यदि चाहें, तो आगे भी उसकी सूचना देंगे तो उन पर नियमानुसार कार्यवाही होगी।

(इस पर श्री स्वामीनाथ यादव, श्री लालजी वर्मा, श्री यदुनाथ सिंह आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया, इस बीच एक सदस्य ने रिपोर्टर टेबिल के दोनों स्पीकर तोड़कर नीचे फेंक दिये)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ के वर्ष 1987-88 के स्थितिपत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ के वर्ष 1987-88 के स्थितिपत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा को भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट:- + छापा नहीं गया।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 1 जनवरी, 1988 से 10 जनवरी, 1989 तक +

वित्त, संस्थगत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त) -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन (1 जनवरी, 1988 से 10 जनवरी, 1989 तक की अवधि का) को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1984-85 +

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त) -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड, लखनऊ का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन, 1984-85 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

विज्ञप्ति संख्या-वि0क0-2-2152/ग्यारह-7(51)/91-उ0प्र0 अधि0 15-48 आदेश-91, दिनांक 26 अक्टूबर, 1991 +

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त) -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 नवम्बर, 1991 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-वि0क0-2-2152/ग्यारह-7(51)/91-उ0प्र0 अधि0 15-48-आदेश-91, दिनांक 26 अक्टूबर, 1991 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

विज्ञप्ति संख्या वि0क0-2-2154/ग्यारह-7(51)/91-उ0प्र0अधि0 15-48 आदेश 91, दिनांक 26 अक्टूबर 1991 +

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त) -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 नवम्बर, 1991 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि0क्र0-2-2154/ग्यारह-7(51)/91-उ0प्र0 अधि0 15-48 आदेश 91, दिनांक 26 अक्टूबर, 1991 को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक) +

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त) -

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का

नोट :- + छापा नहीं गया।

31 मार्च, 1990 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन सख्या-2 (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार, को भारत का संविधान के अनुच्छेद 1551 (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय अनुपूरक) नियमावली, 1990 +

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, में आपकी आज्ञा से परिवहन, अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2810 टी/30-4-6-90, दिनांक 30 जुलाई, 1990 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय अनुपूरक) नियमावली, 1990 को विलम्ब के कारणों सहित मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1988 की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा कार्य निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 तथा 14 फरवरी, 1992 की बेठक में सदन के दिनांक 14 फरवरी, 1992 से 24 फरवरी, 1992 तक के उपवशनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(1) सदन का दिनांक 14 फरवरी, 1992 से 24 फरवरी, 1992 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:-

फरवरी, 1992

14 शुक्रवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (द्वितीय दिन)
15 शनिवार	
16 रविवार	
17 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
18 मंगलवार	
19 बुधवार	
20 बृहस्पतिवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तृतीय दिन)
21 शुक्रवार	1- असरकारी कार्य (आधा दिन)
	2- विधायी कार्य-

नोट:- + छापा नहीं गया।

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992- आधा घंटा

(ख) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992-आधा घंटा।

अपराह्न 5.00 बजे

3- नियम 103 के अंतर्गत श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्तांव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा:-

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र चायल एवं द्वाबा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस क्षेत्र में वृहद रूप से उद्योगों की स्थापना की जाय'

22 शनिवार

बैठक नहीं होगी।

23 रविवार

24 सोमवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चतुर्थ एवं अंतिम दिन)

(2) दिनांक 18 तथा 19 फरवरी, 1992 को सदन की बैठक न हो।

(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अंतर्गत सूचनाएं न ली जायं।

वित्त, संस्थगत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ)

नियम 311 की शेष सूचनाएं लिए जाने की मांग

(सर्वश्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी, विशम्भर प्रसाद निषाद, गयाचरन दिनकर, बी0 आर0 वर्मा आदि सदस्य डायस पर खड़े होकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री केलाशनाथ सिंह यादव-

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न पर आप माननीय सदस्य को बोलने देते तो इस तरह से सदन का समय नष्ट नहीं होता। ऐसा करके आपने माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है। क्योंकि 311 की सूचनाओं में जो सूचनायें शेष बच गई थी, वे सभी लोक महत्व की थी। मेरी सूचना भी नियम 311 के तहत थी, चूंकि आपने हमें बोलने का अवसर नहीं दिया है, अतएव मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री केलाशनाथ सिंह यादव व उनके दल के अन्य सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि सदन को व्यवस्थित तरीके से चलने दिया जाय। आज यह बात तय हो गई थी, हालांकि उसका सन्दर्भ में नहीं देना चाहता। लेकिन आज स्पीकर महोदय ने आपको यह निर्देश दिया था कि आज नेता विरोधी दल का भी भाषण होगा। वह केवल संशोधन का प्रस्ताव रख देंगे तो उस पर यह तय हुआ था कि जितने माननीय सदस्यों ने 311 की नोटिसें दी हैं, उनको आज आप सुनेंगे। परन्तु आपने कह दिया कि शेष जो नोटिसें हैं, उनको निरस्त किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने यह कहा था कि समयाभाव के कारण शेष नोटिसों को निरस्त किया जाता है। (शोर/व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, जब यह तय हो गया था कि आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल का भाषण नहीं हो पायेगा, वह केवल संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे तो जो समय था, उसका सदुपयोग हो जाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि 311 के अंतर्गत जो नोटिसें हैं, उन्हें आप आज ही सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

20 आदमी अभी और हैं, जिन्हें बोलना है। कैसे में समय दे दूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, 20 तारीख को फिर ये नोटिसें लगेंगी। उस दिन की जो घटनायें हैं, वह भी उसमें होंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ही इस पर आप सुन लें। उस दिन का समय बचाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता -

मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। जो लोग रह गये हैं, उनका क्या होगा। वह तो इससे वंचित रह जायेंगे। इसलिए मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। बार-बार मैं अपने निर्णय को नहीं दोहराऊँगा।

(शोर/व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा -

माननीय नेता विरोधी दल के सुझाव के बाद भी आपने उनको नकार दिया, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री जी ने श्री रामगोविन्द चौधरी के बारे में कहा कि उनको सुन लिया जाये, लेकिन आपने मना कर दिया। मान्यवर, नियमों में व्यवस्था उठाने की व्यवस्था है और वहीं राम गोविन्द चौधरी जी कह रहे थे।

(व्यवधान)

अगर आप नियम 311 की सूचनाओं में थोड़ा-थोड़ा समय दे देते, तो इस समय तक वह समाप्त हो गयी होती और जितना समय अव्यवस्था में चला गया है, वह न जाता।

श्री स्वामी नाथ यादव -

जब तक आप हमें निष्कासन का आदेश नहीं देंगे, हम लोग यहां से नहीं जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता -

आप लोग सदन (व्यवधान) को छोड़ें। मार्शल इनको बाहर कर दें।

(डिप्टी मार्शल गार्डों की सहायता से श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी को सदन के बाहर ले जाने का प्रयास करने लगे)

(कई सदस्य सदन के मध्य आकर बैठ गये)

श्री अधिष्ठाता -

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(6 बजकर 35 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 6 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।

6 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री बसन्त लाल गुप्ता के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता विरोधी दल (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, इतने बड़े हादसे के बाद आप फिर उपस्थित हो रहे हैं (व्यवधान) (× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नेता विरोधी दल आप माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं (व्यवधान)

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा-

पहले नियम 311 पर निर्णय कराइये। (व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम 51 के अंतर्गत कुल 8 सूचनायें, प्राप्त हुई।

1- श्री स्वामीनाथ यादव, 2- श्री संत श्रीराम द्विवेदी, 3- श्री राम सरन सिंह, श्रीमती ज्ञानवती सिंह, श्री सुरेश प्रताप गांधी, 4- श्री अकबर हुसेन, 5- डा0 ब्रजभान यादव, 6- श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री गया चरण दिनकर, 7- श्री मुन्ना चौहान और 8- श्री यदुनाथ सिंह की प्राप्त हुई है।

इनमें से श्री स्वामीनाथ यादव की सूचना यू0पी0 स्टेट हार्टिका कर्मचारियों की छंटनी के उपरांत उनका समायोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है को वक्तव्य के लिये और दूसरी सूचना श्री संत श्रीराम द्विवेदी की प्रदेश में गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे शोषण एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है का केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है।

नोटः- (× × ×) यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

अब हम 20 फरवरी, 1992 को 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 48 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 1992 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
14 फरवरी, 1992

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

जनपद बाराबंकी में मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 1991 में क्रय किये गये सामान की सूची।

क्रय किये गये सामान की सूची	मूल्य
1- लिन्ट क्लाथ	1947.50
2- लिन्ट क्लाथ	1172.50
3- पोटेशियम डाइक्रोमेट	1984.00
4- सोडियम साइटेट	1952.00
5- करटन क्लाथ	1821.25
6- सफेद पेपर	102.25
7- ग्लास मारकिंग पेंसिल	170.00
8- प्रिफिल निडिल	2700.00
9- ट्यूब लाइट कम्पलीट	310.00
10-स्पेसमन ट्यूब विद कार्क	1715.00
11-एन0/10 एच0सी0एल0	1936.00
12-ट्यूब लाईट	140.00
13-स्टेशनरी	145.00
योग-	16095.50

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

जनपद बाराबंकी में फाइलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 1991 में क्रय किए गए सामानों की सूची।

क्रम-सं0	क्रय किए गए सामान की सूची	मूल्य
1	2	3
1-	पेट्रोमेक्स मेन्ट	192.00
2-	पेट्रोमेक्स चिमनी	132.00
3-	प्लास्टिक जग	90.00
4-	प्लास्टिक मग	26.00
5-	सुराही	60.00
6-	तौलिया (छोटी)	1236.00
7-	जीप का सीट कवर क्लाथ	660.00
8-	ट्यूब लाइट कम्पलीट	270.00
9-	बल्ब इलेक्ट्रिक	491.00
10-	झाड़ू	30.00
11-	इलेक्ट्रिक ट्यूब राड	420.00
12-	शीशे का गिलास	36.00
13-	इलेक्ट्रिक चोक	76.00
14-	तौलिया (बड़ी)	1539.00
15-	टार्च सेल	450.00
16-	लेखन-सामग्री	2151.00
	योग-	7859.00

(रु0 सात हजार आठ सौ उनसठ मात्र)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्र0सं0 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

जनपद फैजाबाद के तहसील जलालपुर में वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में पूर्ण निर्मित होने वाले भवनों की सूची

वर्ष	क्रमांक	नाम विद्यालंय
1989-90	1-	प्रा0 पा0 जगतपुर विल्टई
	2-	प्रा0पा0 गौरा मोहम्मदपुर
	3-	प्रा0पा0 कुलहिया पटठी
	4-	प्रा0पा0 फतेहपुर
	5-	प्रा0पा0 हजपुरा
	6-	प्रा0पा0 लखमीपुर
	7-	प्रा0पा0 गोदरा
	8-	प्रा0पा0 चकिया
	9-	प्रा0पा0 गौराकबिरहा
	10-	प्रा0पा0 बेरमा
1990-91	1-	प्रा0पा0 हैदराबाद
	2-	प्रा0पा0 मंगुराडीला
	3-	प्रा0पा0 जोल्हापुर
	4-	प्रा0पा0 मकदूमपुर
	5-	प्रा0पा0 शेखपुर पालीवार
	6-	प्रा0पा0 बबुरा नहरपुर
	7-	प्रा0पा0 चकौरा
	8-	प्रा0पा0 कोरझा

विद्यालयों की सूची जिनके भवन निर्माण का कार्य अपूर्ण/प्रगति पर है ।

1- प्रा0पा0 मीरापुर
2- प्रा0पा0 दौलताबाद
3- प्रा0पा0 मथरारशूलपुर

विधान सभा

3- भवनविहीन विद्यालयों की सूची:-

1- प्रा0पा0 खलिसपुर डुहिया
2- प्रा0पा0 बरवा
3- प्रा0पा0 मसौढ़ा
4- प्रा0पा0 प्रतापपुर
5- प्रा0पा0 (कन्या) रामगढ़
6- प्रा0पा0 पूराबदलही
7- प्रा0पा0 दाउदपुर
8- प्रा0पा0 अइन्दलपुर
9- कन्या प्रा0पा0 अरई
10- प्रा0पा0 कसिया
11- प्रा0पा0 बरौली
12- प्रा0पा0 गोलपुर

विधान सभा प्रदेश उ०प्र०

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 1ले शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अब्दुल ए0 सलाम के अता0 प्रश्न संख्या-48 के उत्तर का संलग्नक-"ग्रामों की सूची"

ब्लाक-सठियांव

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित हैण्ड पम्प
1-	मोहब्बतपुर	4
2-	पैकोली सिराजपुर	3
3-	चक सिकठी	3
4-	सौनापुर	3
5-	मुस्तफाबाद	3
6-	सठियांव	3
7-	केरमा	3
8-	मेम्बरपुर	3
9-	अवाडी	2
10-	अनवॉन	3
11-	बिन्दकठियागिरी	2
12-	दौलतपुर	3
13-	चाड्डी	3
14-	नैठी	4
15-	भुसुंडी	1
16-	ओझौली	4
17-	दाऊदपुर कुर्मी	3
18-	असाऊर	3
	योग-	53

ब्लाक-जहाँनागंज

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित हैण्ड पम्प
1-	मैनुद्दीनपुर	2
2-	ठण्डवा	3
3-	अनठागोपालपुर	4
4-	मन्दे	7
5-	ईदिलपुर	1
6-	चौबेपुर	1
7-	सोनापुर	1
8-	जलालपुर	1
9-	एकौना	1
10-	कारीसाथ	2
11-	दौलताबाद	2
12-	जिगरसंडी	1
13-	धर्मपुर असलमपुर	1
14-	नासूपुर	3
15-	मोनिउद्दीनपुर	2
16-	परासी	2
17-	धनहुआ	3
18-	खुदवल	1
	योग-	38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0प्र0सं0-53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 14वें शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री घनश्याम शुक्ल के अतारांकित प्रश्न संख्या-53 के उत्तर का संलग्नक ।

मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के उन 10 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों की सूची जो खराब पड़े हैं ।

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	हैण्डपम्प की संख्या
1-	मुजेहना	रूबाबा जोत	1
2-	रूपईडीह	विश्मापुर	1
		भुरकुड़ी	1
		पन्ना बगुलहा	1
		सिसइया	1
3-	इटियाथोक	पुरेतिवारी राम सहाय	1
		सझबल	1
		भवनियापुरकला	1
4-	मनकापुर	दतोली	1
		दुर्बालीराम चरन	1
		योग-	10

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0प्र0सं0-73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 77 पर)

जनपद-देवरिया

निर्माणाधीन प्राइमरी पाठशाला भवनों की सूची

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र	क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र
1-	प्रा0पा0 सेमरी	पथरदेवा	2-	प्रा0पा0 कर महा उग्रसेन	शुकरौ
3-	" " पकहा	विशुनपुरा	4-	समरोहवा खोठ्ठा	"
5-	" क0 पटना	लार	6-	प्रा0पा0 हरपुर सुक्खड़	"
7-	" बिरना	लार	8-	" गनेशपुर	"
9-	" करचौं	लार	10-	" बरसाथ	देवरिया
11-	" बैरिया	वसया	12-	" परसा जोल्हा	बैतालपुर
13-	" श्यामपट्टी	तमकुही	14-	" ककबल	गौरीबाजार
15-	" पिपराखुर्द	बिशुनपुरा	16-	" शिवपुर	गौरीबाजार
17-	" केरौदी मठ	भाटपार	18-	" रमपुरवा	रुद्रपुर
19-	" किशुनवा	दुधई	20-	" ईश्वरपुरा	रुद्पुर
21-	" परसौनी	हाटा	22-	" मठियामहाबल	पथरदेवा
23-	" मेहरौनाघाट	लार	24-	" बेलही	पथरदेवा
25-	" सहियागढ़	लार	26-	" महुआपाटन	रामपुर का0
27-	" बिशुनपुरा	रामकोला	28-	" श्यामपुर	दसहा
29-	" खानछपरा	नौरंगिया	30-	" रामपुर हीरामन	दसहा
31-	" गुलरिहा	नौरंगिया	32-	" मलहना	सलेमपुर
33-	" खिरिया	दुधई	34-	" गढ़वा	लार
35-	" गौरापिडरी	शुकरौली	36-	" देउवारी	भागलपुर
37-	" क0 कसिली	भागलपुर	38-	" धनौती लाला	भागलपुर
39-	"पिपरा मुइअगरवा	सेवरही	40-	" संझपार	भलुअनी
41-	" तरवासुन्दर	सेवरही	42-	" सोनबरवा	भलुवनी
43-	" बरवास्थान	रामकोला	44-	" मेहिअबा	बरइज
45-	" बलवा दुबौली	रुद्रपुर	46-	" लाखुपार	भाटपार
47-	" चकरा गौसाई	सलेमपुर	48-	" विशुनपुरा	भाटपार

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र	क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र
49-	प्रा0पा0 पडरी बाजार	सलेमपुर	50-	प्रा0पा0 चौरिया खास	भटनी
51-	" परसिया तिवारी	बरहज	52-	" परसोनी	भटनी
53-	" छितौनी पूर्वी	खड्डा	54-	" नवादा	बनकटा
55-	" बेलवा खैरवा	नौरंगिया	56-	" दलन छपरा	बनकटा
57-	" भटही खुर्द	रामकोला	58-	" रायगंज	बिशुनपुरा
59-	" भिरवा	रुद्रपुर	60-	" बनवारी टोला	वसया
61-	" अहिरौलीदान	सेवरही	62-	" डुमरी	वसया
63-	" भैया बिजौली	बरहज	64-	" पुरन्दरपुर	फाजिलनगर
65-	" नगवा	रुद्रपुर	66-	" धुनबलिया	फाजिलनगर
67-	" डाला	रुद्रपुर	68-	" मधौली	सेवरही
69-	" अघैला	भटनी	70-	" जंगलपट्टी	सेवरही
71-	" तरैनी	पथरदेवा	72-	" बन्दरपुरवा	तमकुही
73-	" अनुआपार	सलेमपुर	74-	" गोपालपुर बिरैचा	हाटो
75-	" भारथुआ	सलेमपुर	76-	" डुमरी	मोतीचक्र
77-	" अजयपुरा	बरहज	78-	" लाखावा माफी	कप्तानगंज
79-	" रावतपार	देवरिया	80-	" सिसवनियां	नौरंगिया
81-	" महराजपुर	देवरिया	82-	" धर्मपुर नरचोचवा	विशुनपुरा
83-	" रानीघाट	देवरिया	[illegible]	" भस्करी	लार
85-	" फलवरिया लच्छी	देवरिया	86-	" खरवनिया	लार
87-	" खरा बनुआ	गौरीबाजार	88-	" बभनी संकरापार	भलुअनी
89-	" अर्जुनडीहा	गौरीबाजार	90-	" पड़री अरूध्द	भलुअनी
91-	" सेखवनियाखुर्द	पडरौना	92-	" कछवइया सोमाली	हाटा
93-	" पगरा बुजुर्ग	पडरौना	94-	" मुजहना (क0)	हाटा
95-	" अचलपट्टी	पड़रौना	96-	" टड़वा	रुद्रपुर
97-	" अमवा गायघाट	पडरौना	98-	" सिंलहटा	रुद्रपुर
99-	" बिच पटवा	दुधई	100-	" गोडाली	भागलपुर
101-	" डूभर स्थान	दुधई	102-	" बढौना	भागलपुर
103-	" बसन्त झरती	दुधई	104-	" बनकटा शम्भु	भाटपार
105-	" भठही बुजुर्ग	रामकोला	106-	" जासपार	भाटपार
107-	" करमहा	रामकोला	108-	" मिश्रौली कोइलार	भटनी
109-	" परसानी खुर्द	रामकोला	110-	" खजुरी करौता	भटनी

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र	क्र0सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र
111-	प्रा0 पा0 बेल बनिया रामकोला		112-	प्रा0 पा0 सहजौली	बेतालपुर
113-	" नवलछपरा	खड्डा	114-	" बढ़वा	बेतालपुर
115-	" जखनिया	खड्डा	116-	" बरवा सेमरा	देसही
117-	" रामपुर गोनहा	खड्डा	118-	" इकहरैया	देसही
119-	" नरकुछपरा	खड्डा	120-	" श्यामपुर हतवा	पडरौना
121-	" बचौंडा शुलपट्टी	पडरौना	122-	" चकरा गौसाई	सलेमपुर
123-	" सिसवां शुक्ल	कप्तानगंज	124-	" भटगवां	कप्तानगंज
125-	" अहरौली कुरमही रामकोला		126-	" पाम छपरा	सेवरही
127-	" गड़रिया चिन्तामणि सेवरही		128-	" पकड़ीडार	नौरंगिया
129-	" रामपुर पुलवरिया नौरंगिया		130-	" मंगलपुर	मोतीचक्र
131-	" खैरटवा	मोतीचक्र	132-	" अनिरुद्धवा	कसया
133-	" अन्हवा	कसया	134-	" दीघड़ा सोमाली	सलेमपुर
135-	" चकरवाव होरदास सलेमपुर		136-	" तनकटिंगादुबे	बनकटी
137-	" बखरी बाजार	बनकटी	138-	" बिन्दही	पथरदेवा
139-	" सेमरा हरदोपट्टी तमकुही		140-	" मीर बिहार	तमकुही
141-	" मलकोली	देवरिया	142-	" महुई	देवरिया
143-	" भुजोली (न0 क्षेत्र)	देवरिया	144-	" क0 वखरी	गौरी बाजार
145-	" बभनौली	गौरी बाजार	146-	" बसन्तपुर	गौरी बाजार
147-	" मिरजापुर	बरहज	148-	" परसियां बेलडांड	बरहज
149-	" असोगवां खुर्द	फजिलनगर	150-	" गडहिया बसंतपुर	दुधई
151-	" धर्मपुर पर्वत	दुधई	152-	" सेमरा महेशपुर	शुकरौली
153-	" रामपुर	शुकरौली			

भवनहीन प्राइमरी स्कूल जिनके भवन निर्माण हेतु 1992-93 की जिला योजना में प्रस्ताव किया गया है।

1-	प्रा0पा0 टेकुआ	भलुअनी	2-	प्रा0पा0 खुदियामिश्र	भलुअनी
3-	" बढपुरवा	भलुअनी	4-	" जमीरा	रुद्रपुर
5-	" तिलौली	रुद्रपुर	6-	" कोल केशव	रुद्रपुर
7-	" गायघाट	रुद्रपुर	8-	" धर्मपुर कछार	रुद्रपुर
9-	" रामकुटी	रुद्रपुर	10-	" कोठिलवा	रुद्रपुर
11-	" मेहरौना	भाटपार	12-	" धबरवन	भाटपार
13-	" बड़का गांव	"	14-	" शुकवा	"
15-	" कुरमौटाधुरी	भटनी	16-	" इमिलिया	भटनी
17-	" जिरोसों	"	18-	" टेघ्रा	"
19-	" खुरहुरिया	दुधई	20-	" गोबरही	दुधई
21-	" जंगल सिसवा	"	22-	" बभनौली	"
23-	" दरोगाडीह	"	24-	" करौदी	देवरिया
25-	" क0 बादी	देवरिया	26-	" लुअठही	गौरीबाजार
27-	" गौरी बुजुर्ग	गौरी बाजार	28-	" सबना लक्ष्मन	"
29-	मथ्ईयाश्रीराम	सेवरही	30-	महथापार	भागलपुर
31-	तिलौली	भागलपुर	32-	सोनाड़ी	"
33-	ज्ञान छपरा	"	34-	संतरांव	"
35-	करावल उपाध्या	बरहज	36-	भड़सरा दीक्षित	बरहज
37-	परसिया देबार	"	38-	बैलोचहा	पडरौना
39-	बनबीरपुर	पडरौना	40-	कसिया	पडरौना
41-	टड़वा खास	"	42-	जंगल शाहपुर	बिशुनपुरा
43-	बबुइया खरसाल	विशुनपुरा	44-	चिरहिया	"
			46-	माफीकोठीलवा पू0	बिशुनपुरा
47-	बघपरना	"	48-	कनखेरिया	कसया
49-	दीनापट्टी	कसया	50-	परसौनी मुकन्दहा	कसया
51-	पोखर भीन्डा	"	52-	महुआ पाटन	कसया
53-	पगरापड़री	तमकुही	54-	सोनदिया	तमकुही
55-	छपरा अहिरौली	"	56-	चन्दौटा	"
57-	तेजबलिया	"	58-	महुअवा बुजुर्ग	"
59-	रामपुर राजा	"	60-	लौगरा डीह	"
61-	कतेरवा	बनकटा	62-	खौरापार	बनकटा
63-	रामपुर बुजुर्ग	"	64-	टड़वा	"
65-	कुचवा मठिया	फजिलनगर	66-	नान्हू मुण्डेरा	मोतीचक्र
67-	पट्टन	मोतीचक्र	68-	सोढरा	"
69-	परदहा	"	70-	सहोदर पट्टी	देसही
71-	सहवा	देसही	72-	बौलिया	कप्तानगंज
73-	घघबार	लास लार	74-	बहोरवा	सलेमपुर
75-	डेहरी उर्फ तिलौली	सलेमपुर	76-	चांदपार	"
77-	खजुरी तिवारी	हाटा	78-	खलेबा	हाटा

परिशिष्ट 'च'

(देखिये अता0प्र0सं0-138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 108 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-138 के खण्ड (ख) के उत्तर के संबंध में परिशिष्ट 'क'

मौरावा

वर्ष 1989-90 में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया।

वर्ष 1990-91 में खरंन्जा एवं मिट्टी की भरायी एवं जल कल बाडी का निर्माण कार्य कराया गया।

कराये गये निर्माण कार्य की सूची निम्नवत है -

क्र0सं0	कहां से कहां तक	मोहल्ला
1-	पुलिया से भरोसे यादव के मकान तक	लोनियन खेडा
2-	मेनरोड से रामपाल तेली के मकान तक	लोकइया खेडा
3-	पुत्ती सेठ की चक्की से हसून कबड़िया के मकान तक	चन्दन खेड़ा
4-	पुत्ती सेठ की चक्की से मेन रोड तक	चन्दनखेड़ा
5-	नोखे की दुकान से प्रताप मिश्र के मकान तक	नगर
6-	सिवालिया के कोनो से मेन रोड तक	
7-	मेन रोड से बिल्लेश्वर यादव के मकान तक	"
8-	मेन रोड से मुनेश्वर सिंह के मकान तक	"
9-	बरखन्डी शुक्ल के मकान से बच्चन नाई के मकान तक	कोरिहाता
10-	रहीम बख्श के मकान से मेन रोड तक	
11-	मेन रोड से जगदीश सोनी के मकान तक	सोनररिया
12-	मेन रोड से गिल्ला सिंह के मकान तक	शिवपुरी
13-	मेन रोड से विशुन दत्त अवस्थी के मकान तक	कारनटोला
14-	भाई जान की दुकान से सरीख के मकान तक	पटेवाजान

उत्तर प्रदेश विधान सभा

15-	चौरसिया के मकान से हजारी तेली के मकान तक	पुरानी बाजार

उक्त मोहल्लों में खंडजा एवं मिट्टी की भराई का कार्य कराया गया है एवं बाउन्ड्रीवाल उपयुक्त निर्माण कार्य में मु0 301046 (तीन लाख एक हजार छियालिस रुपये मात्र व्यय किये गये।)

वर्ष 1991-92 में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया सड़क निर्माण में प्रयोग की गयी सामग्री मानक के अनुसार ही लगायी गयी है क्योंकि यह निर्माण कार्य का भुगतान अवर अभियंता जिला परिषद् उन्नाव को संस्तुति के आधार पर किया गया है एवं भुगतान दवर अभियंता जिला परिषद् उन्नाव द्वारा कराये गये बिल के अनुसार किया गया अतः आवंटित धनराशि का उपयोग सही ढंग से किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-138 के खंड (ख) के उत्तर के संबंध में परिशिष्ट "ख"

परिशिष्ट "ख"

पुरवा

वर्ष 1989-90	1- नया कालेज से त्रिपुरापुर रोड खरन्जा निर्माण।	24223/-रु0
	2- सिनेमाहाल से बाजार तक	23302/-रु0
	3- सिनेमा रोड से तोपखाना तक	11513/-रु0
वर्ष 1990-91	पाटनरोड से स्लाटर हाउस तक मिट्टी भराई।	52564/-रु0
	मौरावां रोड से वजीर तक मिट्टी भराई	12863/-रु0
	मुल्ला अलीम के मकान से मुन्नु लोहार के मकान तक	20183-रु0
	उदली गढ़र तालाब से साइफन तक नाले की खुदाई तक	20592-रु0
	लालबाग से साइफन तक नाले की खुदाई (नाली निर्माण)	13105/-रु0
	1- खान मु0 के मकान से लतीफ पटवारी के मकान तक रजी अहमद के मकान से नाबदान तक।	20180/-रु0, 4208/-रु0
	सकील मौलवी के मकान तक उददा उठान के मकान से मेन रोड की नाली वार्ड नं0-8	12092/-रु0
	2- रमेश शंकर पाण्डेय के मकान से कोने से राधेश्याम शुक्ला के मकान तक बचन के मकान से	12373/-रु0 12312/-रु0
	पंडित राम स्वरूप के मकान तक वार्ड नं0-10	12051/-रु0
	3- बाबू लाल गुप्ता के मकान से भगवती के मकान तक फतेमों के मकान से अधारी के मकान तक।	1375/-रु0
	गया भुर्जी के मकान से तालाब की ओर वार्ड नं0-11	1344/-रु0
	4- स्कूल से पक्के तालाब रोड एवं सरजू कुम्हार के मकान से रफीक के मकान तक वार्ड नं0-12	7067/-रु0
	5- सिद्दीकी के मकान से पूरब की ओर रोड की नाली तक तथा पश्चिम की ओर इमाम के चबूतरे की ओर वार्ड नं0 13	1340/-रु0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6- शिशु विद्या मंदिर से पपक्का तक वार्ड नं0-10 (सड़क निर्माण) 6185/-रु0

1- मनसूर के दुकान से हलीम के मकान तक वार्ड नं0-4 27660/-रु0
2- डा0 रहमान के मकान से कीर के मकान तक वार्ड नं0-5 11669/-रु0
3- डा0 नसीम के दवाखाने से फकीरे के मकान तक वार्ड नं0-3 19401/-रु0
4- हासिम के मकान से जलील के मकान तक वार्ड नं0 4 28087/-रु0
5- जलील के मकान से अजीज के मकान तक वार्ड नं0-4 2156/-रु0
6- त्रिपुरारपुर रोड पर खड़न्जा एवं नाजी वार्ड नं0 4 20183/-रु0
7- श्री कृष्ण नन्द के मकान से सुखालाल के मकान कार्य वर्ष 1988-89 में करा दिया गया था इसका भुगतान वर्ष 1990-91 में किया गया है। 9918/-रु0

वर्ष 1991-92

1- शिवनाथ बाबा दुर्गापुर के मकान से शीतलगंज की ओर वार्ड नं0-13 3335 रु0
2- गनेश के मकान से दुर्गा देवी जी के मंदिर तक वार्ड नं0-13
3- सत्यम हलवाई के दुकान से सोलन सोना के दुकान तक वार्ड नं0-6
4- सत्यम के दुकान से हसीन खेद के मकान तक वार्ड नं0-6
5- सगीर मौलवी के मकान से जाहिद खाँ के मकान तक वार्ड नं0-8 55128/-रु0
6- जब्बार के घर से कुएं की ओर उत्तर दिशा हफीज मिंया के घर तक वार्ड नं0 7
7- जाहिद खाँ के मकान से कुएं की ओर उत्तर दिशा वार्ड नं0-8
8- पुत्तानी के कुँआ से रमैया के मन्दिर तक वार्ड नं0 12
9- इसहाक हाजी के मकान से राम प्यारे साहू वार्ड नं0-13

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 ।। वि0 सभा-30.6.92-(902)-572-(प्रेसरूम)।